खण्ड–510, अंक–01
मंगलवार, मार्गशीर्ष, शक संवत् 1941
(26 नवम्बर, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, चतुर्थ सत्र वर्ष, 2019)

(खण्ड 510 में 05 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
सत्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	1-12
उपस्थित सदस्य	13-20
राष्ट्रीय गीत	21
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ...	21-27
श्री अध्यक्ष द्वारा भारत के संविधान पर प्रकाश एवं संविधान निर्माताओं के प्रति आभार	27-29
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	29
संविधान की उद्देशिका एवं कर्तव्य पर चर्चा से हटकर सरकार की उपलब्धियां पढ़वाने पर आपत्ति	29
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा ...	29-45
संविधान दिवस में डा0 भीमराव अम्बेडकर का नाम सम्मिलित किये जाने की मांग	45-127
श्री राज्यपाल द्वारा संविधान दिवस पर दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत)	127-128
सदन के सदस्यों द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों की शपथ ...	128-129
बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर विधान मण्डल में लगवाने की मांग	129
उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-05 सन् 2019) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	129
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-06 सन् 2019) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	129
सदन का अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	129
राष्ट्रगान	130

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1-अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2-अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3-अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
4-अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5-अजय प्रताप सिंह ''लल्ला भइया'' कुंवर — गोण्डा
6-अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
7-अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8-अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
9-अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
10-अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
11-अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12-अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13-अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
14-अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
15-अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
16-अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
17-अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
18-अनीता लोधी राजपूत, डा0 — बुलन्दशहर
19-अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
20-अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
21-अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
22-अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
23-अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
24-अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
25-अमन मणि त्रिपाठी — महाराजगंज
26-अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
27-अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
28-अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
29-अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
30-अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
31-अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
32-अरुण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
33-अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
34-अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
35-अवतार सिंह भडाना, श्री — मुजफ्फरनगर
36-अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
37-अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
38-अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
39-अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
40-असलम अली, श्री — हापुड़
41-आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
42-आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
43-आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
44-आर0के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
45-आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
46-आलमबदी, श्री — आजमगढ़
47-आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
48-आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
49-आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
50-इकबाल महमूद, श्री — सम्भल

26.11.2019

51-इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
52-इन्द्र प्रताप उर्फ
खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
53-इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
54-उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
55-उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
56-उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
57-उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
58-उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
59-ओमकार सिंह, श्री बदायूं
60-ओमकुमार, श्री बिजनौर
61-ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
62-कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
63-कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
64-कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
65-कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
66-कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
67-करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
68-कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
69-कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
70-काली प्रसाद, श्री देवरिया
71-किरत सिंह, श्री सहारनपुर
72-किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
73-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
74-कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
75-कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
76-कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
77-केसर सिंह, श्री बरेली
78-कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
79-कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
80-कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
81-गंगा, श्री कुशीनगर
82-गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
83-गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
84-गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
85-गौरी शंकर, श्री जालौन
86-चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
87-चन्द्र प्रकाश उर्फ
सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
88-चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
89-चेतन चौहान, श्री अमरोहा
90-चेतराम, श्री शाहजहांपुर
91-छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
92-जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
93-जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
94-जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
95-जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
96-जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
97-जय देवी, श्रीमती लखनऊ
98-जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
99-जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
100-जयमंगल, श्री महाराजगंज
101-जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
102-जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ
बिल्लू, श्री मेरठ
103-जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
104-जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
105-ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
106-ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
107-डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
108-डेनजिल जे0 गोडिन, डॉ0 नाम-निर्देशित
109-तजीन फातिमा, डा0 रामपुर
110-तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
111-तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर

112-तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
113-त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
114-दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
115-दल बहादुर, श्री रायबरेली
116-दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
117-दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
118-दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
119-दिनेश खटीक, श्री मेरठ
120-दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
121-दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
122-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
123-देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
124-देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
125-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
126-देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
127-देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
128-धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
129-धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
130-धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
131-धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
132-धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
133-वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
134-धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
135-नईम उल हसन, श्री बिजनौर
136-नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
137-नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री इलाहाबाद
138-नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
139-नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
140-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
141-नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
142-नवाब जान, श्री मुरादाबाद
143-नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
144-नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
145-नाहिद हसन, श्री शामली
146-नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
147-निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
148-नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
149-नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
150-नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
151-नील रतन सिंह पटेल ''नीलू'', श्री वाराणसी
152-नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
153-पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
154-पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
155-पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
156-पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
157-पल्टूराम, श्री बलरामपुर
158-पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
159-पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
160-पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
161-पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
162-प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
163-प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
164-प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
165-प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
166-प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
167-प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
168-प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर

169-प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
170-प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
171-प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
172-फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
173-फागू चौहान, श्री मऊ
174-बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
175-बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
176-बम्बा लाल, श्री उन्नाव
177-बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
178-बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
179-बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
180-बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
181-बावन सिंह, श्री गोण्डा
182-बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
183-बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
184-बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
185-बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
186-बृजेश कटेरिया, इंजी0 मैनपुरी
187-बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
188-बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
189-बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
190-ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
191-ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
192-भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
193-भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
194-मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
195-मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
196-मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
197-मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
198-मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
199-मनोहर लाल, श्री ललितपुर
200-मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
201-ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
202-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
203-मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
204-महबूब अली, श्री अमरोहा
205-महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
206-महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
207-महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
208-महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
209-महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
210-महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
211-माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
212-माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
213-मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
214-मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
215-मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
216-मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
217-मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
218-मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
219-मोहम्मद असलम ''शाइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
220-मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
221-मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
222-मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
223-यासर शाह, श्री बहराइच
224-युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
225-योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
226-योगेश धामा, श्री बागपत
227-योगेश शर्मा, श्री खीरी
228-रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
229-रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
230-रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
231-रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर

232-रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
233-रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
234-रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
235-रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
236-रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
237-रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
238-रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
239-रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
240-रवि शर्मा, श्री झांसी
241-रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
242-रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
243-राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
244-राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
245-राकेश राठौर, श्री सीतापुर
246-राकेश सिंह, श्री रायबरेली
247-राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
248-राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
249-राज करन कबीर, श्री बांदा
250-राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
251-राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
252-राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
253-राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
254-राजबाला, श्रीमती रामपुर
255-राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
256-राजीव तरारा, श्री अमरोहा
257-राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
258-राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
259-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
260-राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
261-राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
262-राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
263-राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
264-राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
265-राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
266-राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
267-राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
268-रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
269-राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
270-राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
271-राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
272-राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
273-रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
274-राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
275-राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
276-राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
277-रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
278-रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
279-रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
280-राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
281-रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
282-रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
283-लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
284-लाखन सिंह, श्री औरैया
285-लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
286-लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
287-लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
288-लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
289-विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
290-विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
291-विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर

292-विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
293-विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
294-विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
295-विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
296-विजय मिश्र, श्री भदोही
297-विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
298-विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
299-विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
300-विनय शाक्य, श्री औरैया
301-विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
302-विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
303-विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
304-विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
305-विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
306-विनोद कुमार यादव, श्री गाजीपुर
307-वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
308-वीरेन्द्र, श्री एटा
309-वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
310-वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
311-शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
312-शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
313-शशांक वर्मा, श्री खीरी
314-शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
315-शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
316-शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
317-शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
318-शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
319-शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
320-शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
321-शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
322-शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
323-शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
324-श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
325-श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
326-श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
327-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
328-श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
329-श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
330-श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
331-संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
332-संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
333-संगीता बलवन्त, डॉ0 गाजीपुर
334-संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
335-संजय, श्री बुलन्दशहर
336-संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
337-संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
338-संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
339-संजय यादव, श्री बलिया
340-संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
341-संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
342-संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
343-संजीव राजा, श्री अलीगढ़
344-संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
345-संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
346-सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
347-सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
348-सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
349-सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
350-सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
351-सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
352-सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर

353-सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
354-सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
355-सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
356-साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
357-साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
358-सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
359-सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
360-सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
361-सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
362-सुचि, श्रीमती बिजनौर
363-सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
364-सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
365-सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
366-सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
367-सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
368-सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
369-सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
370-सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
371-सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
372-सुरेश कुमार, श्री शामली
373-सुरेश कुमार, श्री अमेठी
374-सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
375-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
376-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
377-सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
378-सुरेश राही, श्री सीतापुर
379-सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
380-सुशान्त सिंह, कुं0 बिजनौर
381-सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
382-सुशील सिंह, कुं0 चन्दौली
383-सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
384-सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
385-सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
386-सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
387-सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
388-सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
389-सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
390-सौरभ सिंह, श्री खीरी
391-स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
392-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
393-हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
394-हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
395-हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
396-हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
397-हरीराम, श्री सोनभद्र
398-हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
399-हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
400-हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
401-हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
402-हृदय नारायण दीक्षित उन्नाव
403-गौरव कुमार, श्री (जैदपुर) बाराबंकी
404-सुभाष राय, श्री (जलालपुर) अम्बेडकरनगर

महामहिम श्री राज्यपाल
श्रीमती आनंदीबेन पटेल

मंत्री-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री योगी आदित्यनाथ मुख्य मंत्री	गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भू-तत्व एवं खनिकर्म, कर एवं निबन्धन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, मुख्य मंत्री कार्यालय, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्धन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप तथा प्रोटोकाल।
2	श्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्य मंत्री	लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर तथा सार्वजनिक उद्यम।
3	डा0 दिनेश शर्मा उप मुख्य मंत्री	माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी।
4	श्री सूर्य प्रताप शाही	कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान।
5	श्री सुरेश कुमार खन्ना	वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा।
6	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय।
7	श्री सतीश महाना	औद्योगिक विकास।
8	श्री दारा सिंह चौहान	वन एवं पर्यावरण तथा जन्तु उद्यान।
9	श्री रमापति शास्त्री	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण।
10	श्री जय प्रताप सिंह	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।
11	श्री ब्रजेश पाठक	विधायी एवं न्याय तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा।
12	श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी	पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास।

26.11.2019

1	2	3
13	श्री चेतन चौहान	सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा।
14	श्री श्रीकान्त शर्मा	ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत।
15	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोती सिंह)	ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास।
16	श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह	खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0 तथा निवेश प्रोत्साहन।
17	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	सहकारिता।
18	श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''	नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन।
19	श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''	नागरिक उड्डयन, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
20	डा0 महेन्द्र सिंह	जल शक्ति तथा बाढ़ नियन्त्रण।
21	श्री सुरेश राणा	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें।
22	श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी	पंचायती राज।
23	श्री अनिल राजभर	पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण।
24	श्री राम नरेश अग्निहोत्री	आबकारी एवं मद्य निषेध।
25	श्रीमती कमल रानी	प्राविधिक शिक्षा।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री उपेन्द्र तिवारी	खेल एवं युवा कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायती राज (MOS)।
2	डा0 धरम सिंह सैनी	आयुष विभाग (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (MOS)।
3	श्रीमती स्वाती सिंह	महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार।

1	2	3
4	डॉ0 नीलकंठ तिवारी	पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य (स्वतंत्र प्रभार) प्रोटोकाल (MOS)।
5	श्री कपिलदेव अग्रवाल	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास।
6	श्री सतीश द्विवेदी	बेसिक शिक्षा।
7	श्री अशोक कटारिया	परिवहन विभाग (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य (MOS)।
8	श्री श्रीराम चौहान	उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात।
9	श्री रविन्द्र जायसवाल	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन।

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्रीमती गुलाब देवी	माध्यमिक शिक्षा
2	श्री जयप्रकाश निषाद	पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास
3	श्री जय कुमार सिंह जैकी	कारागार, लोक सेवा प्रबन्धन
4	श्री अतुल गर्ग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण
5	श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह)	खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति
6	श्री मोहसिन रजा	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज
7	श्री गिरीश चन्द्र यादव	आवास एवं शहरी नियोजन
8	श्री बल्देव सिंह औलख	जल शक्ति
9	श्री मनोहर लाल मन्नु कोरी	श्रम एवं सेवायोजन
10	श्री संदीप सिंह	वित्त, चिकित्सा शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा
11	श्री सुरेश पासी	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें
12	श्री अनिल शर्मा	वन एवं पर्यावरण तथा जन्तु उद्यान

1	2	3
13	श्री महेश गुप्ता	नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
14	श्री आनन्द स्वरूप शुक्ला	संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास
15	श्री विजय कश्यप	राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण
16	डा0 गिर्राज सिंह धर्मेश	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण
17	श्री लाखन सिंह राजपूत	कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान
18	श्रीमती नीलिमा कटियार	उच्च शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
19	चौधरी उदयभान सिंह	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन
20	श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय	लोक निर्माण
21	श्री रमा शंकर सिंह पटेल	ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
22	श्री अजीत सिंह पाल	इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी

नेता विरोधी दल

श्री राम गोविन्द चौधरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री हृदय नारायण दीक्षित

उपाध्यक्ष

रिक्त

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल

1-श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़)

2-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ)

3-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर)

4-श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा (फिरोजाबाद)

5-श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा (मथुरा)

6-श्री फतेह बहादुर, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर)

7-श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा (खीरी)

8-श्री संजय गर्ग, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)

9-रिक्त

10-रिक्त

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2019 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 12 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-343

1-अजय कुमार, डॉ0 इलाहाबाद
2-अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री बस्ती
3-अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री सम्भल
4-अजीत पाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
5-अजीत पाल सिंह, श्री कानपुर देहात
6-अतुल गर्ग, श्री गाजियाबाद
7-अनिल कुमार मौर्य, डा0 सोनभद्र
8-अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
9-अनिल राजभर, श्री वाराणसी
10-अनिल सिंह, श्री उन्नाव
11-अनीता, श्रीमती अम्बेडकर नगर
12-अनीता लोधी राजपूत, डा0 बुलन्दशहर
13-अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
14-अनूप प्रधान, श्री अलीगढ़
15-अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
16-अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
17-अभिजीत सिंह सांगा, श्री कानपुर नगर
18-अमन मणि त्रिपाठी, श्री महाराजगंज
19-अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
20-अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
21-अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
22-अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
23-अरविन्द गिरि, श्री खीरी
24-अरुण कुमार, डॉ0 बरेली
25-अरुण कुमार यादव, श्री आजमगढ़
26-अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) वाराणसी
27-अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
28-अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
29-असलम अली, श्री हापुड़
30-आजाद अरिमर्दन, श्री आजमगढ़
31-आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
32-आनन्द शुक्ला, श्री चित्रकूट
33-आर0के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
34-आलमबदी, श्री आजमगढ़
35-आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री हरदोई
36-आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
37-इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
38-इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
39-इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
40-उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
41-उदयभान सिंह, चौ0 आगरा

42-उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
43-उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
44-ओमकार सिंह, श्री बदायूं
45-ओमकुमार, श्री बिजनौर
46-ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
47-कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
48-कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
49-कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
50-कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
51-करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
52-कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
53-कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
54-काली प्रसाद, श्री देवरिया
55-किरत सिंह, श्री सहारनपुर
56-किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
57-कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
58-कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
59-कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
60-केसर सिंह, श्री बरेली
61-कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
62-कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
63-कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
64-गंगा, श्री कुशीनगर
65-गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
66-गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
67-गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
68-गौरी शंकर, श्री जालौन
69-चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
70-चन्द्र प्रकाश उर्फ
सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
71-चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
72-चेतन चौहान, श्री अमरोहा
73-चेतराम, श्री शाहजहांपुर
74-जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
75-जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
76-जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
77-जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
78-जय देवी, श्रीमती लखनऊ
79-जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
80-जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
81-जयमंगल, श्री महाराजगंज
82-जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
83-जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ
बिल्लू, श्री मेरठ
84-जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
85-ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
86-ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
87-डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
88-डेनजिल जे0 गोडिन, डॉ0 नाम-निर्देशित
89-तजीन फातिमा, डा0 रामपुर
90-तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
91-तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
92-दल बहादुर, श्री रायबरेली
93-दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
94-दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
95-दिग्विजय नारायण उर्फ
जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
96-दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
97-दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
98-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
99-देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
100-देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
101-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
102-देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज

103-देवेन्द्र सिंह लोधी
एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
104-धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
105-धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
106-धर्मराज सिंह यादव उर्फ
सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
107-धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
108-धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य
''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
109-धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
110-धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
111-नईम उल हसन, श्री बिजनौर
112-नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
113-नन्द गोपाल गुप्ता
''नन्दी'', श्री इलाहाबाद
114-नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
115-नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
116-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
117-नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
118-नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
119-निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
120-नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
121-नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
122-नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
123-नील रतन सिंह पटेल
''नीलू'' श्री वाराणसी
124-नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
125-पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
126-पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
127-पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
128-पवन कुमार उर्फ
पवन केडिया, श्री कुशीनगर
129-पल्टूराम, श्री बलरामपुर
130-पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
131-पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
132-प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
133-प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
134-प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
135-प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
136-प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
137-प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
138-प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
139-प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
140-प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
141-प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
142-बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
143-बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
144-बम्बा लाल, श्री उन्नाव
145-बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
146-बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
147-बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
148-बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
149-बावन सिंह, श्री गोण्डा
150-बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
151-बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
152-बृजभूषण राजपूत उर्फ
गुड्डू भइया, श्री महोबा
153-बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
154-बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
155-बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
156-बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
157-ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
158-ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
159-भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर

160-भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
161-मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
162-मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
163-मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
164-मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
165-मनोहर लाल, श्री ललितपुर
166-मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
167-ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
168-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
169-महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
170-महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
171-महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
172-महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
173-महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
174-माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
175-मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
176-मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
177-मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
178-मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
179-मोहम्मद असलम ''शाइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
180-मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
181-मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
182-मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
183-युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
184-योगेश धामा, श्री बागपत
185-योगेश वर्मा, श्री खीरी
186-रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
187-रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
188-रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
189-रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
190-रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
191-रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
192-रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
193-रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
194-रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
195-रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
196-रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
197-रवि शर्मा, श्री झांसी
198-रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
199-रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
200-राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
201-राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
202-राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
203-राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
204-राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
205-राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
206-राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
207-राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
208-राजबाला, श्रीमती रामपुर
209-राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
210-राजीव तरारा, श्री अमरोहा
211-राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
212-राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
213-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
214-राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
215-राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
216-राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
217-राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
218-राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर

219-राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
220-राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
221-रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
222-राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
223-राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
224-राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
225-राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
226-रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
227-राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
228-राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
229-राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
230-रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
231-रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
232-रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
233-राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
234-रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
235-रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
236-लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
237-लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
238-लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
239-लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
240-लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
241-विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
242-विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
243-विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
244-विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
245-विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
246-विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
247-विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
248-विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
249-विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
250-विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
251-विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
252-विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
253-विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
254-विनोद कुमार यादव, श्री गाजीपुर
255-वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
256-वीरेन्द्र, श्री एटा
257-वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
258-वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
259-शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
260-शशांक वर्मा, श्री खीरी
261-शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
262-शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
263-शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
264-शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
265-शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
266-शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
267-शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
268-शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
269-शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
270-श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
271-श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
272-श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
273-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
274-श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
275-श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
276-श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
277-संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़

278-संगीता बलवन्त, डॉ0 गाजीपुर
279-संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
280-संजय, श्री बुलन्दशहर
281-संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
282-संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
283-संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
284-संजय यादव, श्री बलिया
285-संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
286-संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
287-संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
288-संजीव राजा, श्री अलीगढ़
289-संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
290-संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
291-सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
292-सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
293-सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
294-सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
295-सत्य प्रकाश अग्रवाल
''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
296-सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
297-सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
298-सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
299-साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
300-साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
301-सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
302-सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
303-सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
304-सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
305-सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
306-सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
307-सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
308-सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
309-सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
310-सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
311-सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
312-सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
313-सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
314-सुरेश कुमार, श्री शामली
315-सुरेश कुमार, श्री अमेठी
316-सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
317-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
318-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
319-सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
320-सुरेश राही, श्री सीतापुर
321-सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
322-सुशान्त सिंह, कुं0 बिजनौर
323-सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
324-सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
325-सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
326-सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
327-सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
328-सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
329-सौरभ सिंह, श्री खीरी
330-स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
331-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
332-हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
333-हरविन्दर कुमार साहनी
उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
334-हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
335-हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
336-हरीराम, श्री सोनभद्र
337-हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
338-हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
339-हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद

340-हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा	342-गौरव कुमार, श्री	(जैदपुर) बाराबंकी
341-हृदय नारायण दीक्षित	उन्नाव	343-सुभाष राय, श्री	(जलालपुर) अम्बेडकर नगर

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर (श्री केशव प्रसाद मौर्य), जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह) भी सदन में उपस्थित थे।

* श्री फागू चौहान, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-354, घोसी-जिला-मऊ को बिहार के महामहिम राज्यपाल नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप सीट रिक्त।

[12:00 बजे] राष्ट्रीय गीत

श्री अध्यक्ष-

अब हम वन्दे मातरम् के लिए खड़े होते हैं।

नत्थी (क)

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

समधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

[12:02 बजे] मा0 श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष-

आज संविधान दिवस के अवसर पर दोनों सदनों के संयुक्त मिलन में मा0 श्री राज्यपाल जी ने यहां अभिभाषण दिया है, मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं। मा0 सदस्यगण उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के वर्ष 2019 के चतुर्थ सत्र के लिए यहां आहूत...

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

[दोनों सदनों के एक साथ समवेत् अधिवेशन में, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

जैसा कि आपको विदित है कि आज ही के दिन 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। हमारे संविधान के महान वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 19 नवम्बर, 2015 को मुम्बई में अम्बेडकर स्मारक की आधारशिला रखते हुए 26 नवम्बर को **'भारत के संविधान दिवस'** के रुप में चिन्हित कर इस दिन को संविधान दिवस के रुप में मनाए जाने की घोषणा की गई। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल का आज का यह विशेष सत्र **संविधान दिवस** के उपलक्ष्य में आहूत किया गया है।

ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया तब हमें स्वतंत्र भारत में श्वांस लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक सशक्त लोकतंत्र की परिकल्पना की थी। भारत को एक कल्याणकारी राज्य तथा सुदृढ़ लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हमारे इस अद्वितीय संविधान की रचना की गई।

लोकतंत्र की परिकल्पना पर आधारित संविधान की शक्तियों का स्रोत निश्चय ही भारत की जनता है, इसलिए संविधान की प्रस्तावना का आरम्भ **''हम भारत के लोग''** से होता है। प्रस्तावना में संविधान निर्माण के शक्ति स्रोत, संविधान के स्वरूप और उद्देय को स्पष्ट किया गया है। भारत की जनता ही संविधान को शक्ति प्रदान करती है। हमारा संविधान भारत की राज व्यवस्था को संचालित करने का अप्रतिम पथ-प्रदर्शक है। संविधान के महान वास्तुकारों का स्वप्न एवं उनकी आकांक्षाओं का संकल्प, प्रस्तावना से निम्नवत् प्रकट किया गया है।

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

प्रस्तावना में हमारे संविधान के स्वरूप को इंगित किया गया है, जिसके अनुसार भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है अर्थात् भारत अपने आन्तरिक निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम और स्वतंत्र है।

भारत के संविधान के लक्ष्य या उद्देश्य प्रस्तावना में निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार इस संविधान का उद्देश्य सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करना है। संविधान का उद्देश्य यह भी है कि नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त हो एवं सभी की समता व गरिमा सुनिश्चित हो।

मुझे यह कहते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार प्रस्तावना में निहित राष्ट्र की एकता और अखण्डता को पूर्णरूपेण सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़े हुए अनुच्छेद 370 के विशेष प्राविधानों को हटा दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद-35A को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना के इस संकल्प को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। अब भारतीय संविधान के समस्त प्राविधान जम्मू कश्मीर पर भी समान रूप से लागू होंगे। जो कानून भारत के अन्य भागों में लागू होते हैं वही अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। एक देश एक विधान एक निशान का सपना अब साकार हुआ है।

संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति का दायित्व देश की सभी संस्थाओं पर समान रूप से है। इस दिशा में केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मुझे हर्ष है कि मेरी सरकार द्वारा राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के यथार्थ पालन के क्रम में उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को गरिमामयी जीवन प्रदान करने के लिए **प्रधानमंत्री आवास योजना** के अन्तर्गत 25 लाख से अधिक आवास का निर्माण करते हुए देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी सरकार द्वारा गरिमामयी जीवन और स्वच्छता अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ 61 लाख **इज्जत घर (शौचालय)** देकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी जनपद **खुले में शौच मुक्त (ODF)** घोषित हो चुके हैं।

मेरी सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक न्याय की परिकल्पना को साकार करते हुए कम आय वाले परिवारों की कन्याओं के विवाह हेतु **मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना** प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत सभी वर्गों के निर्धन परिवारों की लगभग 96 हजार गरीब कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया है। वर्तमान में इस योजना हेतु प्रत्येक विवाह के लिए दी जाने वाली 35 हजार रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दिया गया है।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को रोजगार के अवसर की समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारम्परिक कारीगरों यथा बढ़ई, दर्जी, टोकरी-बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई इत्यादि स्वरोजगारियों तथा पारम्परिक

हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन एवं संवर्धन तथा उनकी आय में वृद्धि हेतु **विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना** का शुभारम्भ एवं **उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड** का गठन किया गया है।

इसी के क्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विशेष उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से **एक जनपद एक उत्पाद योजना (ODOP)** मेरी सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है। **एक जनपद एक उत्पाद समिट 2018** का आयोजन कर एक लाख 91 हजार 191 लाभार्थियों को लगभग 18 हजार 345 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किये गए, जिससे लगभग 5 लाख नागरिकों को रोजगार मिलेगा।

भारतीय संविधान के मूल आदर्शों की प्राप्ति के लिए संविधान नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारण्टी देता है। संविधान में उक्त आदर्शों की प्राप्ति के लिए राज्य के नीति-निदेशक तत्वों व सिद्धान्तों का भी प्राविधान किया गया है।

हमारा संविधान नागरिकों को वे सभी अधिकार प्रदान करता है जो उनके गरिमामयी जीवन के लिए आधारभूत एवं अपरिहार्य हैं। संविधान के महान वास्तुकारों द्वारा यदि हमें मूल अधिकार नहीं दिए जाते तो हम समानता, स्वतंत्रता और गरिमामयी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। जब हम ऐसे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो देश के प्रति अपने कर्तव्यों को कैसे भूल सकते हैं ? अधिकार और कर्तव्य सदैव ही सहचर व सहगामी होते हैं। अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं वहीं दूसरी तरफ कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता को जन्म देते हैं। यदि हम अपनी स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं तो यह भी आवश्यक है कि हम दूसरों की स्वतंत्रता के प्रति धैर्य एवं सहिष्णुता का भाव रखें।

जब किसी समाज के सभी व्यक्ति किसी निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा के अन्दर पारस्परिक भेद-भाव को भुलाकर सामूहीकरण की भावना से प्रेरित होते हुए एकता के सूत्र में बंध जाते हैं तो उसे राष्ट्र के नाम से पुकारा जाता है। वास्तव में राष्ट्र से अलग होकर किसी भी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की दृढ़ता और अखण्डता को बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करे एवं राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए आपस में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसारण करे। मैं कामना करती हूं कि राष्ट्रप्रेम की यह भावना मेरे देश के प्रत्येक नागरिक में समाहित हो तथा देश कल्याण में सहयोगी हो।

हमारा देश यदि हमारी स्वतंत्रता, गरिमामयी जीवन और समता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है तो उसके सापेक्ष नागरिकों से भी कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा करना स्वाभाविक है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम देश के महान संविधान, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें तथा देश की सामाजिक व सांस्कृतिक धरोहर का परिरक्षण करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करें। इसलिए संविधान में नागरिकों से अपेक्षित उनके मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख निम्नवत् है :-

अनुच्छेद-51 क- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे ;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे ;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे ;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं ;

(च) हमारी समाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे ;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दया भाव रखे ;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे ;

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे ;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई उंचाइयों को छू ले ;

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

यद्यपि उक्त सभी मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं परन्तु संविधान के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए सरकारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों के उक्त कर्तव्य निर्वहन हेतु उचित वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है। मेरी सरकार द्वारा हमारी सामाजिक संस्कृतिक गौरवशाली परम्परा का महत्व समझते हुए उसका परिरक्षण करने के उद्देश्य से विस्तृत योजना तैयार की गई है।

यह गौरव का विषय है कि यूनेस्को द्वारा प्रयागराज में कुम्भ मेले को **मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर** के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कुम्भ मेले का सफल आयोजन करने के लिए मेरी सरकार द्वारा समस्त संभव प्रयास किए गए और इस विश्वस्तरीय आयोजन के दौरान आयोजन स्थल को स्वच्छ व सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रदेश की जनता के सहयोग के लिए मैं अपने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करती हूं।

हमारी प्राचीन संस्कृति का गौरव बढ़ाते हुए राम जन्मभूमि, अयोध्या की पावन भूमि पर देव दीपावली के अवसर पर सरयू नदी के तट पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।

हमारी संस्कृति की परिचायक एवं प्रतीक गोवंश के परिरक्षण के लिए मेरी सरकार द्वारा सभी जनपदों में **वृहद् गोवंश संरक्षण केन्द्रों** की स्थापना तथा सभी जनपदों में गोवंश के भरण-पोषण की व्यवस्था की गई है।

हमारे प्रदेश के नागरिकों की मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा एवं समर्पण भाव तथा मेरी सरकार के अथक प्रयासों द्वारा रिकॉर्ड वृक्षारोपण करते हुए वर्ष 2019 में 22 करोड़ 59 लाख पौधों का रोपण किया गया। उत्तर प्रदेश में किए गए उक्त रिकॉर्ड वृक्षारोपण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया।

डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के अनुसार किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की प्रगति से जानी जाती है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरी सरकार द्वारा महिलाओं को सम्मान एवं स्वावलम्बन के समुचित अवसर प्रदान करने हेतु राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत **मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना, किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना 'सबला', स्वाधार योजना, उज्जवला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तथा महिला हेल्पलाइन** जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि मेरी सरकार की योजनाओं के माध्यम से नागरिकों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना का प्रसार होगा।

किसी देश की संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों की नैतिकता पर आधारित हैं और नैतिकता से परिपूर्ण समाज ही गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण करता है। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने के उद्देश्य को यथार्थ रूप से सफल बनाने हेतु नागरिकों में जागरूकता एवं कर्तव्य निर्वहन की चेतना का प्रवाह होना भी अत्यन्त आवश्यक है।

मैं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों के क्रम में इस विशेष सत्र के आयोजन हेतु प्रदेश भर में कार्य योजना बनाने के लिए सरकार को धन्यवाद देती हूं। मेरी सरकार द्वारा संविधान के महान शिल्पी डा0 भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में 26 नवम्बर, 2019 से 14 अप्रैल 2020 **(समरसता दिवस)** तक संविधान दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। इन प्रयासों के माध्यम से नागरिकों में मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम सम्मिलित हैं। मैं आशा करती हूं कि नागरिकों में संविधान के उद्देश्यों एवं मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता व चेतना उत्पन्न करने के लिए बनाई गई कार्य योजना अवश्य ही सफल होगी।

निश्चित रूप से संविधान दिवस की सार्थकता के लिए अभी काफी प्रयास किए जाने शेष हैं। इसी के साथ संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए इस गौरवशाली एवं गरिमामयी सदन की भूमिका भी बढ़ जाती है।

हजारों कोस की यात्रा का प्रारम्भ एक कदम से ही होता है, अतः माननीय सदस्यगण से मेरा अनुरोध है कि वे अपने सामाजिक जीवन में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जिनसे नागरिकों में

संवैधानिक चेतना का प्रसार हो। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि इस गौरवशाली सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण अपनी भूमिका का यथार्थ पालन करेंगे।

जय हिन्द!

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ मान लिया गया।

[12:03 बजे] श्री अध्यक्ष द्वारा भारत के संविधान पर प्रकाश एवं संविधान निर्माताओं के प्रति आभार

श्री अध्यक्ष-

हम सब अवगत हैं कि पूरा देश आज संविधान दिवस मना रहा है। मा0 संसद में भी इसी प्रकार का एक उत्सव है और उसके बारे में हम लोगों ने आज भी सुना होगा तथा जाना होगा। यहां उत्तर प्रदेश की विधान सभा में और विधान परिषद् में भी संविधान दिवस के आयोजन पर मा0 मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने निश्चय किया था और सभी सम्मानित नेताओं की बैठक में मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 राम गोविन्द चौधरी जी, मा0 लालजी वर्मा जी, मा0 श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' सहित सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक में इस तरह का निर्णय लिया गया था। उसी क्रम में हम सब लोग आज यहां उपस्थित हैं। मैं विषय से थोड़ा पर्दा हटा दूं इसलिए दो-तीन मिनट में अपना निवेदन प्रस्तुत कर लूं फिर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे। भारत का संविधान दुनिया के अन्य देशों से भिन्न प्रकृति का है, भिन्न प्रकार का है यह बात हम सब लोग जानते हैं। यह भारत का राजधर्म है। व्यक्ति और संवैधानिक संस्थाएं, व्यक्ति और संविधान, व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और राष्ट्र इन सबके रिश्तों को परिभाषित करने वाला दुनिया का सबसे बड़े विवरण वाला यह दस्तावेज है। न तो कोई देश और न तो कोई समाज, न ही प्रकृति बिना नियमों के, बिना संविधान के नहीं चल सकता है। प्रकृति के हम सब अंश हैं और प्रकृति में भी लय बद्धता है, नियमबद्धता है, एक संगति है और उस संगति को हमारे पूर्वजों ने देखा था कि प्रकृति को पूरा का पूरा चेहरा वर्षा, हेमन्त, शिशिर फिर किसी नये जीव का उगना, नई वनस्पति का उगना उसका पौधा बनना फिर फूल बनना फिर बीज बनना एक नियमबद्धता है पूरी प्रकृति का। हमारे पूर्वजों ने इस संविधान को कान्स्टीट्यूशन आफ नेचर को ऋतु कहा था। इसी तरह समाज व्यवस्था में भी जहां समाज में संगति नहीं होती ऐसे समाज कमजोर होते हैं।

भारतीय इतिहास में उत्तर वैदिक काल में जाना गया था कि जब प्रकृति की व्यवस्था समाज की व्यवस्था गड़बड़ायी तो उस समय के विद्वान सब मनु के पास गये थे और उनसे आग्रह किया कि आप व्यवस्था दीजिए शासन चलाइये। इसी तरह की बात बाद में अट्ठारहवीं शताब्दी में हाब्स नामक विचारक ने अपने ही ग्रन्थ लेवियाथन में कही थी। उसमें कहा गया था कि स्टेट आफ नेचर बहुत गड़बड़ हो गया था। मनुष्य मनुष्य से लड़ाई कर रहे थे तो उसमें से

एक आर्डर का जन्म हुआ। समाज व्यवस्था का जन्म हुआ। हमारे देश में संविधान का इतिहास बड़ा प्राचीन है। पहले भी इसी तरह के संकल्प थे। अंग्रेजी सत्ता से संघर्ष करते हुए धीरे-धीरे अंग्रेजी सत्ता ने कुछ छूट देनी शुरू की। फिर आन्दोलन हुआ और उसमें से हमारा भारत का संविधान प्रकट हुआ। एक लम्बी मेहनत के बाद बहुत लम्बे समय तक बैठकें चलीं। यह माननीय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में है और आगे आप सब यहां विषय रखेंगे। उन बैठकों के माध्यम से हम सबने एक संविधान पाया और यह संविधान भारत के मन का, भारत की प्रीति का और भारत के सपनों का और भारत के समग्र वैभव का और दुनिया का सबसे बड़ा दस्तावेज है। उतर प्रदेश को गर्व है कि जब संविधान सभा के चुनाव हो रहे थे तो यहीं जिस कुर्सी पर आपने मुझे बैठाया है जहां से मैं यह बात कह रहा हूं उस समय के विधान सभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन जी ने 55 सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा इसी आदरणीय सदन में की थी। यह हमारे लिये बड़े गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का संविधान सभा में बड़ा भाग था और उस संविधान सभा में श्रद्धेय पुरुषोत्तमदास टण्डन जी जो इस कुर्सी पर पहले बैठा करते थे उस संविधान सभा में कमलापति त्रिपाठी जी, उस संविधान सभा में उत्तर प्रदेश के अनेक नेता जिसमें श्री विशम्भर दयाल त्रिपाठी जी सहित तमाम नाम हैं जो सरसरी तौर पर गिनाये जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों का उसमें भाग था और जब संविधान सभा की शुरुआत हुयी तो उस दिन भी उत्तर प्रदेश के ही एक मा0 सदस्य ने संविधान सभा की कार्यवाही की शुरुआत में हिस्सा लिया।

हम उत्तर प्रदेश के इस आदरणीय सदन के सभी सदस्य सौभाग्यशाली हैं कि इसी आदरणीय सदन में रहने वाले अनेक सदस्यों ने और बाद में इसी आदरणीय सदन को कृपा मिली संविधान सभा के मा0 सदस्यों की भी कि इस अवसर पर हम सब उत्तर पदेश के सभी आदरणीय संविधान सभा के सदस्यों की स्मृति में माथा टेकते हैं और उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें सिर झुकाते हैं। इस अवसर पर संविधान सभा में संविधान के शिल्पी मसौदा समिति के सभापति और पूरे संविधान के रचनाकार श्रद्धेय डा0 अम्बेडकर जी को भी हम नमन करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को भी हम नमन करते हैं जो संविधान सभा का सदस्य तो नहीं था लेकिन हजार- दो हजार शब्दों में फैली संविधान सभा की कार्यवाही में जिसका बार-बार उल्लेख आया और उस व्यक्ति महामना का चित्र इस हमारे आसन के ऊपर लगा हुआ है। यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन उनकी चर्चा बहुत बार हुयी। संविधान सभा में डा0 अम्बेडकर, संविधान सभा में सरदार पटेल जो अल्पसंख्यक आदि मामलों की समिति के सभापति थे। डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे सभी संविधान सभा के सदस्यों को उत्तर प्रदेश के सदस्यों को बार-बार स्मरण करते हुये मैं आज की इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का नाम पुकारता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश पढ़ लें।

[12:10 बजे] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 नवम्बर, 2019 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 26 नवम्बर, 2019 से प्रारम्भ होने वाले सत्र का दिनांक 26 नवम्बर, 2019 का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की हैं :-

1-पूर्वाह्न 11:00 बजे राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष माननीया राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के पश्चात् मध्याह्न 12:00 बजे से विधान सभा की बैठक शुरु की जाय,

2-मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ की जाय,

3-निम्नलिखित अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाय,

क-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2019

ख-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2019

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि-

''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि-''कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

[12:11 बजे] संविधान की उद्देशिका एवं कर्तव्य पर चर्चा से हटकर सरकार की उपलब्धियां पढ़वाने पर आपत्ति

***नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मन बहुत प्रसन्न हुआ, जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें अधिक मन प्रसन्न हुआ, जब मा0 नेता सदन ने अपने उद्बोधन में इस बात की चर्चा की कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संविधान की उद्देशिका एवं कर्तव्य पर ही संक्षिप्त रूप में चर्चा होगी। मैं मा0 नेता सदन को धन्यवाद देता हूं कि इसमें आपने बाद में अम्बेडकर जी को जोड़ा लेकिन आज महामहिम राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण पढ़ना शुरु किया तो हम लोगों को लगा ही नहीं कि संविधान दिवस पर अभिभाषण हो रहा है कि बजट सत्र का भाषण हो रहा है।

यह बात सर्वदलीय बैठक में तय नहीं की गयी थी। केवल दो बातें थीं कि उद्देशिका और मूल कर्तव्य पर चर्चा होगी। मैं आप दोनों लोगों को बधाई देता हूं कि आपने अम्बेडकर जी को जोड़ा। फिर धन्यवाद प्रस्ताव देने जा रहे हैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी और मा0 स्वामी प्रसाद मौर्या जी उनका समर्थन करने जा रहे हैं। इसको हम क्या समझें ? इसको विपक्ष को धोखा देना समझें या संविधान को सामने रख करके अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। श्रीमन् यह एक नई परम्परा शुरु हो गयी है। आज हम लोग बहुत प्रसन्न थे कि संविधान जो हमारा पवित्र ग्रंथ है जिससे हम संचालित होते हैं जैसे-रामायण एवं गीता है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात अभी कह लीजिएगा।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मा0 अध्यक्ष जी, संविधान को भी धोखा, संविधान को भी धोखा, मा0 अध्यक्ष जी। इस पर मैं आपका विचार जानना चाहता हूं कि आप यह तय करें। मैंने मांग की थी कि 02 दिन का सत्र होना चाहिए क्योंकि सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बहुत सारे मा0 सदस्य हैं। सत्र 2-3 दिन चलेगा तो सभी मा0 सदस्य अपनी बात रख सकेंगे। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि यह एक विशेष सत्र है, इसकी गरिमा समाप्त हो जायेगी। केवल एक दिन का सत्र रखें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाईये और अपने समय पर अपनी बात कहिएगा।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मा0 अध्यक्ष जी, इसलिए मैं आपसे क्लीयर चाहता हूं कि यह संविधान दिवस पर आहूत किया गया है या संविधान दिवस की आड़ लेकर सरकार अपनी उपलब्धि को महामहिम राज्यपाल जी से यह अभिभाषण पढ़वाने के लिए आयोजन किया है।

श्री अध्यक्ष-

आप भी उसी की आड़ लेकर के कुछ ज्यादा कह रहे हैं। अब आप अपने नम्बर पर कहिएगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, पहले हम नियमों से चलते हैं, बाद में परम्पराओं से। मा0 नेता विरोधी दल ने जो बात कही है उसका जवाब तो दें।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने मा0 अध्यक्ष जी से सवाल किया है, आपसे नहीं। हमारे सवाल का जो जवाब देना होगा वह मा0 अध्यक्ष जी देंगे, आप क्यों देंगे।

श्री अध्यक्ष-

चलिए हमारे जवाब से संतुष्ट हैं। मा0 खन्ना जी आप मूल विषय पर आईए।

[12:15 बजे] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा

***वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, ''यह सदन मा0 श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को संविधान को अंगीकार किये जाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी उद्देशिका में अन्तर्निहित तत्वों एवं संवैधानिक मूल कर्तव्यों तथा संविधान के महान वास्तुकार डा0 बी0आर0 आम्बेडकर के सिद्धान्तों पर दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

मान्यवर, मैं सबसे पहले बधाई दूंगा अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने 2015 में विशेष रूप से एक कार्यक्रम में इस बात को उद्धृत किया कि हम लोग 26 जनवरी को, जिस दिन संविधान को देश के लिए समर्पित किया, उस दिन को तो मनाते हैं लेकिन जिस दिन संविधान, संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया वह तिथि है 26 नवम्बर, 1949, उस तिथि को याद रखना चाहिए और उसको मनाना भी चाहिए। आज उसी क्रम में मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के विशेष रूप से आवाह्न पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। इस विशेष सत्र के माध्यम से हम संविधान दिवस को, जिसे हम संविधान को अंगीकार किये जाने के दिवस के रूप में एवं इसके साथ ही साथ विशेष रूप से इसके प्रिएम्बल पर और संविधान में आर्टिकल 51 (ए) में जो ड्यूटीज दी गयी हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। मैं उनको धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और खासतौर से मैं कोशिश करुंगा कि मैं इसी पर अपनी बात फोकस करुं। मान्यवर, जैसाकि हम सब जानते हैं कि हम सभी अपने व्यस्तम जीवन में रोजमर्रा के कामों में इतना अधिक व्यस्त रहते हैं कि हमको जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा में हमारे सामने नहीं आती हैं, जिसका उपयोग हमारे सामने रोजमर्रा में नहीं आता है उसको हम गहराई तक जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इस बात के लिए विशेष रूप से बधाई देता हूं कि यह जो सत्र आहूत किया गया है उससे हमारे संविधान की जानकारी लोगों को मिलेगी, जो हमारे प्रिएम्बल हैं, जिसके ऊपर संविधान का बेसिक स्ट्रैक्चर दिया गया उसके ऊपर ये पूरा संविधान बेस करता है और खासतौर से हम लोग अभी तक अधिकारों के प्रति सचेत रहे लेकिन ड्यूटीज के प्रति उतना सजग और सचेत नहीं रहे, उसके कर्तव्यबोध कराने के लिए यह सेशन आहूत किया गया, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और आपको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। (मेजे थपथपाई गयीं) मान्यवर, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। 9 दिसम्बर से लेकर 26 नवम्बर 1949 तक 2 साल 11 महीने 17 दिन में यह संविधान बनकर तैयार हुआ। जिस समय सांविधानिक व्यवस्था बनी थी उस समय 389 सदस्य थे, बाद में चूंकि पाकिस्तान से बंटवारा हुआ इसलिए 299 सदस्य रह गये, उनके द्वारा 165 उपवेशनों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के साथ यह संविधान इस देश को समर्पित हुआ। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा काम हमारे आदरणीय बी0आर0 आम्बेडकर जी ने किया है जिसके लिए युगों-युगों तक उनकी प्रशंसा की जाएगी और उन्हें याद किया जाएगा। (मेजे थपथपाई गयी) पट्टामी सीतारमैया जो गांधी जी और सुभाष चन्द्र बोस के बीच में एक प्रकार से डिफरेंस पैदा करने का कारण बने थे उन्होंने संविधान सभा की बैठक में 25 नवम्बर 1949 को इस रूप में इस बात का उल्लेख किया था कि संविधान का अर्थ है राजनीतिक नाविक के लिए कुतुबनुमा। जिस प्रकार से राजनीतिक नाविक एक प्रकार से कुतुबनुमा को अपना आधार मानकर आगे चलता है उसी प्रकार से हमारा संविधान हमें आगे चलने की प्रेरणा देता है।

मान्यवर, एक बहुत बड़ी कृति है आज जिसके दिवस के रूप में मनाने के लिए हम यहां एकत्र हुए हैं। मान्यवर, सबसे पहले हम फोकस करेंगे, संविधान के प्रिएम्बल पर, जिस प्रकार से संविधान का प्रिएम्बल हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, उसको हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभियव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली, बन्धुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मान्यवर, यह हमारे संविधान की प्रिएम्बल है, इसमें जस्टिस, लिबर्टी, एक्वैलिटी और फ्रैटर्निटी के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे मौके आए कि जब इस संविधान के ऊपर बड़ी-बड़ी बहसें हुई और खासतौर से बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर हुई और मौलिक अधिकारों के ऊपर हुईं। हम आज खुशी से इस बात को कहना चाहते हैं कि संविधान में हमारी न्यायपालिका को इस बात का पूरा अधिकार दिया गया है कि वह इसको पूरी तरीके से इन्टरप्रेट करे। एक बहुत मशहूर केस

हुआ, पंजाब का एक केस हुआ, मान्यवर, गोलखनाथ का सुप्रीम कोर्ट में संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए और मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार, सीमित करने का अधिकार नहीं दिया गया। मान्यवर, गोलखनाथ केस में 11 जजेज की बेंच में 6 वर्सेज 5 के निर्णय से इस बात को प्रतिपादित किया गया और उसके बाद मान्यवर, 1973 में केरल के एक मुकदमें में जो केशवानन्द भारती केस के रूप में जाना जाता है, उसमें खास तौर से इस बात को इंगित किया गया कि किसी भी तरीके से कि 'बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्टीट्यूशन' हम बदल नहीं सकते यानी कि अपने आप में यह दोनों फैसले ऐतिहासिक हैं। गोलखनाथ केस के बाद 1973 में जो केशवानन्द भारती का केस आया, आज भी सभी अदालतों में उस केस को कोट किया जाता है।

आर्टिकल-141 में यह व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, हम उसको लैण्ड लॉ के रूप में स्वीकार करते हैं और आज भी यह निर्णय अपने आप में एक्जिस्ट करता है कि 'बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कान्स्टीट्यूशन बदला नहीं जा सकता है। मैं इसको इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि संविधान के प्रिएम्बल में इस बात को कोट किया गया कि जिस प्रकार से जस्टिस, एक्वैलिटी, फैटर्निटी को हमने अपना आधार माना। मान्यवर, अम्बेडकर जी ने जहां संविधान में तमाम अधिकारों की और अपने आप में एक परिपूर्ण संविधान दुनिया के तमाम संविधानों के अध्ययन करने के बाद बनाया था तो उन्होंने वहां पर संविधान के संशोधन करने की व्यवस्था रखी कि 2/3 से संविधान को संशोधित किया जा सकता है। 2/3 बहुमत से अर्थात् अगर जनमत किसी बात के पक्ष में न हो और जितनी भी आने वाली पीढ़ियां हैं क्योंकि देश, काल, परिस्थिति को देख कर ही हम अपने नियम और कानून बनाते हैं। लेकिन हम वर्षों तक अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सारी चीजें जो पुराने समय में हमने तय कीं, वह जरूरी नहीं है कि आने वाले अनुवर्ती पीढ़ी के लिए वह सभी कुछ लागू हो। इसलिए मान्यवर, उन्होंने इस बात को खास तौर से कहा कि 2/3 बहुमत से हम संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। मान्यवर, 25 नवम्बर को जिस समय वह अपना भाषण कान्क्लूड कर रहे थे, उन्होंने विशेष रूप से एक बात को इंगित किया, जिसको हम खास तौर से यहां पर कोट करना चाहते हैं कि डा0 अम्बेडकर ने 25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा के अन्तिम भाषण में यह कहा था कि 'संविधान चाहे जितना अच्छा हो, यदि उसे संचालित करने वाले लोग बुरे हैं तो वह निश्चित ही बुरा हो जाता है', डा0 प्रसाद ने कहा था कि संविधान की किसी बात के लिए उपबन्ध करें या न करें, देश का कल्याण उन व्यक्तियों पर निर्भर करेगा जो देश पर शासन करेंगे। यह 26 तारीख को डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था। लेकिन मान्यवर, कई मौके हिन्दुस्तान के आए, राजनीति जिन लोगों के हाथों में रही, उन लोगों की अपनी सोच, उन लोगों की अपनी दिशा, राजनीति के ऊपर मान्यवर, हावी जरूर रही और इसीलिए डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने भी इस बात को कोट किया था।

लेकिन जब-जब हमने देखा कि एक ऐसा समय था एक ऐसा समय था जब हमने संविधान में धारा-370 का समावेश किया, तब भी हमने उसको समय दिया और आज हम इस बात को खुशी से कह सकते हैं कि हमने पूरे देश की जनभावनाओं का आदर करते हुए धारा-370 को समाप्त किया। एक शायर ने कहा था कि इतिहास के पन्नों ने वह दौर भी देखे हैं, जब लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। 70 साल तक जिस संविधान के विषय पर कश्मीर का पूरे तरीके से विकास नहीं होने दिया। इसने अलगाववाद पैदा किया इसने तमाम तरह की स्मस्याएं पैदा कीं। देश राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में इतने दिनों से इस समस्या को हमने ढोया, लेकिन उस वक्त की राजनीति जिसके हाथ में थी उन्होंने धारा 370 लगाई थी और आज राजनीति जिसके हाथ में है, उसने इस देश से इस कलंक को पूरी तरह से मिटा दिया है।

मान्यवर, हम फोकस करना चाहते हैं संविधान के आर्टिकल-44 में इस बात को कोड किया है कि हम कॉमन सिविल कोर्ट को एडॉप्ट करें और कॉमन सिविल कोर्ट के मामले में हिन्दुस्तान में केवल एक ही राज्य ऐसा है गोवा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कई बार कोड किया जब गोवा में कॉमन सिविल कोर्ट हो सकता है तो पूरे देश में कॉमन सिविल कोर्ट लागू करने में क्या नुकसान है, लेकिन मान्यवर बहुत से राजनैतिक कद्दावर ऐसे हैं जो अपने को इस बात से यह समझते हैं कि किसी पर्टीकुलर सेक्शन के लिए किसी पर्टीकुलर समुदाय के लिए विरोध होगा, हालांकि मैं समझता हूं कि आर्टिकल-25 और आर्टिकल-44 कहीं अपने आप में विरोधाभासी नहीं है। आर्टिकल-44 अपनी जगह पर सही है, क्योंकि हमारे जितने कानून हैं चाहे आई0पी0सी0 हैं, चाहे सी0आर0पी0सी0 हैं, चाहे सिविल कोर्ट हैं ज्यादा से ज्यादा कानून पूरे देश के ऊपर हो, लेकिन विवाद उत्तराधिकार राज्य जैसे मसलों पर ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर हम एक मत नहीं हो पाए। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में हम चाहते हैं कि आर्टिकल-44 का सम्मान जरूर हो। अम्बेडकर जी क्या चाहते थे हम आपके सामने रखना चाहते हैं विशेष रूप से। अम्बेडकर जी ने 23-11-1948 को संविधान में यह कहा था कि मेरे मित्र श्री इमाम हुसैन ने पूछा है कि क्या भारत जैसे विशाल देश के लिए एक सामान नागरिक संहिता का होना सम्भव और वांछनीय होगा।

अब मुझे स्वीकार करना होगा कि सीधी सी बात के कारण मुझे घोर आश्चर्य है कि इस देश में मानवीय संबंधों के लगभग हर पक्ष को अपनी सीमा में लिए हुए पहले ही एक समान विधिक संहिता है हमारे पास एक पूरी अपराध संहिता है जो पूरे देश में चलन में है जो दंड संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में समाहित है। हमारे पास सम्पत्ति का कानून है जो सम्पत्ति से जुड़े संबंधों का नियमन करता है और वह पूरे देश में चलन में है। मैं ऐसे असंख्य कानूनों का हवाला दे सकता हूं, जो यह साबित करेंगे कि जिस देश में व्यवहारिक रूप से एक समान नागरिक संहिता है जिसके अन्तर्गत कोई समान है, जो पूरे देश में लागू है। केवन एक क्षेत्र ऐसा है जिस पर दीवानी कानूनी अब तक अपनी फतह नहीं बना सकी। विवाद और उत्तराधिकार इस मुद्दे पर बहस के दौरान कुछ मुस्लिम सदस्यों द्वारा यह आशंका प्रकट करने

पर एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान मुसलमानों के विरुद्ध है। डॉ0 अम्बेडकर ने इस आशंका को निर्मूल करार देते हुए कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी भी मुसलमान को कभी भी यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि सामान नागरिक संहिता के निर्माताओं ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को भारी आघात पहुंचाया। मान्यवर जो संविधान निर्माता थे उनका यह विचार है। हमारे संविधान में विशेष रूप से जो ड्यूटीज दी गई हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता जो महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में उन्होंने सभी को कोट किया है। मैं उन तीन-चार ड्यूटीज पर विशेष रूप से फोकस करना चाहता हूं।

हम अभी तक अधिकारों के प्रति सचेत रहे जयादा, लेकिन अधिकार तभी मिलते हैं जब उससे जुड़े हुए लोग कहीं न कहीं अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। मान्यवर, इसमें से दस कर्तव्य ऐसे हैं जो सन् 76-77 में जोड़े गए और एक कर्तव्य ऐसा है ग्यारहवां जो सन् 2002 में जोड़ा गया था जो शिक्षा से सम्बन्धित था। विशेष रूप से संविधान का पालन करें और उसमें आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह सवैधानिक सभा है।

हम इसको वाद-विवाद का स्थान बनाएं, हम इसको चर्चा का स्थान बनाएं या हो-हल्ला का स्थान बनाएं या मार-पीट का स्थान बनाएं या सस्टेनेबिल डेवलपमेण्ट गोल्स के ऊपर चर्चा करके इस विधान सभा का एक नया इतिहास रखे। मान्यवर, सारे के सारे उदाहरण आपके सामने हैं। एक तरफ इस विधान सभा ने वह भी दिन देखा कि जब यहां पर लात-घूंसा हुआ लेकिन इसी विधान सभा में आज एक ऐसे मुख्य मंत्री भी हुए हैं जिन्होंने एक इतिहास रचा कि यूनाइटेड नेशन्स ऑर्गेनाइजेशन्स के 16 सस्टेनेबिल गोल्स पर हमको दिए गए एजेण्डे पर 36 घण्टे अनवरत सदन चलाया ताकि हम अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाएं। इसके लिए उन्होंने अनवरत् 36 घण्टे का ऐतिहासिक सत्र आहूत करके इस पर चर्चा कराई।

आज हम ही लोगों को जिनके हाथों में राजनीति है, हमको यह तय करना है कि आखिरकार हम इन संवैधानिक संस्थाओं का किस प्रकार से आदर करें, यह हम ही लोगों को तय करना है। मान्यवर, हमारा राष्ट्र ध्वज है लेकिन हमारे एक प्रान्त में, जम्मू कश्मीर में इसका कितना अपमान हुआ, हम आज उसका वर्णन नहीं करना चाहते। हमारा राष्ट्र गान जिसको लेकर, जिसको गाकर लोग फांसी के फन्दे तक चले गए, जिसको गाकर लोगों का उत्साह बढ़ जाता था और जिसको गाते हुए उन्होंने फांसी का फन्दा हंसते-हंसते चूमा। चाहे अशफाक उल्ला खां हों, चाहे पं0 राम प्रसाद बिस्मिल हों, चाहे रोशन सिंह हों, इन लोगों ने हंसते-हंसते फांसी का फन्दा चूमा था। अशफाक उल्ला खां ने कहा था कि-

ऐ मातृभूमि, तेरी सेवा किया करूंगा
मुश्किल हजार आएं हरगिज नहीं डरूंगा
निश्चिय यह कर चुका हूं, सन्देह कुछ नहीं
तेरे लिए जिऊंगा, तेरे लिए मरूंगा
फांसी मिले मुझे या जनम कैद मेरी
बेड़ी बजा-बजाकर तेरा भजन करूंगा।

यह शहीद अशफाक उल्ला खां की अपनी नज्म है, उनकी अपनी नज्म है। मान्यवर, वन्दे मातरम् पूरे देश के जितने भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं जिन्होंने स्वंतत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति दी, यह उन लोगों का प्रिय गायन था लेकिन आज उसी पर वर्तमान तरीके के सवाल उठते हैं।

मान्यवर, देश की प्रभुता, एकता और अखण्डता पर मुझे बहुत प्रसन्नता है। कल मैंने आपका एक लेख पढ़ा था। उसमें खासतौर से इस बात को कहा गया था कि आज हमारे सामने यह सवाल है कि हम कैसे देश की प्रभुता, अखण्डता और एकता को एकजुट रखें। हमारे सामने आज इसी मुल्क में, इसी मुल्क के एक विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह के नारे लगाए जाते हैं तो इसको किस श्रेणी में रखा जाए ? इसके ऊपर जरूर विचार करना पड़ेगा कि हमारी ड्यूटीज क्या हैं ? आज की इस चर्चा का अर्थ केवल यही है कि हम लोगों को कर्तव्य बोध कराएं। बार-बार इसका एहसास कराएं कि हमारा क्या धर्म होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए और हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं ? इसलिए हम इसको खासतौर पर फोकस करना चाहते हैं। मान्यवर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास बहुत जरूरी है। हमने और जापान ने एक साथ, एक परिस्थिति में नये रास्ते पर अपना सफर शुरू किया था। उस समय जापान सेकेण्ड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो चुका था और भारत सन् 1947 में आजाद हुआ था। हम लोगों ने एक साथ, एक रास्ते पर चलना शुरू किया लेकिन हम अण्डर डेवलप्ड कण्ट्री बनकर रह गए और जापान आज दुनिया में विकसित देश के तौर पर खड़ा है।

आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, टेक्नोलॉजी, मानववाद और मानवता अगर पूरी दुनिया में कहीं देखने को मिलती है तो वह आज भी सबसे ज्यादा जापान में ही है साथ ही सिंसिअरटी, ऑनेस्टी, पंक्चुअल्टी भी जापान में है जिस प्रकार से वे अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हिन्दुस्तान से कच्चा माल खरीद करके आयरन और स्टील प्रोडक्ट के मामले में पूरे वर्ल्ड मार्केट को कम्पीट करते हैं तो आज हमको यह जरूर सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हम अण्डर डेवलप्ड क्यों रह गए, हम दूसरे देशों के जैसे विकसित क्यों नहीं हो पाए और आज जापान कहां पहुंच गया है ? इसलिए उस चीज को हमको भी अपने अन्दर आत्मसात करना चाहिए। मान्यवर, प्राकृतिक पर्यावरण हालांकि यह बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ जोड़ा गया और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल हमारे मुख्य मंत्री जी ने पिछले दो वर्षों में दी है। इसके पहले भी बहुत से लोगों ने इस बात का आह्वान किया कि वृक्षारोपण हो ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे, पर्यावरण संरक्षण हो। आज इस बत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे दैनिक, और नित्य क्रिया-कलाप, हम खासतौर से इसी पर फोकस करना चाहते हैं। यह बात सुनने में तो बहुत बड़ी नहीं लगती लेकिन यह बहुत आवश्यक है और हम व्यवहार में पूरी तरीके से इस बात को फोकस कर रहे हैं कि हम जो भी वृक्षारोपण करें। और सबसे अच्छा उपाय और इलाज इसका यही है कि हम पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से हर बार सचेत रहें अपने वन,

झील, नदी, वन्य जीव इन सभी की रक्षा करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी इस प्रदेश में 24 करोड़ पेड़ लगाकर एक नया इतिहास रचा है जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकार्ड में आया है। (मेजों की थपथपाहट) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखने की बात कही। हम और आप चाहे इधर बैठे सदस्य हों या उधर बैठे सदस्य हों हम सभी लोगों से इस बात का अनुरोध करेंगे कि अपने-अपने लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को कम कम इस बात के लिए ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए कि आज हम किसी भी धरना-प्रदर्शन और आन्दोलन में या किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कोई कृत्य न करें कि जिससे हम सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचायें। मान्यवर, मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं अपने संविधान निर्माता का और खास तौर से जिन लोगों ने इस संविधान की ड्यूटीज पर फोकस किया उन लोगों को। हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और हम आगे बढ़े, लोकतंत्र मजबूत हो और ये तभी हो सकता है जब हम संवैधानिक मान्यताओं को अपने जीवन में आत्मसात करके इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसको और आगे ले जाएंगे और मैं समझता हूं कि देश को आगे बढ़ाने में और देश को आगे ले जाने में हम इस संविधान की मान्यताओं के हिसाब से यदि अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहेंगे और खास तौर से प्रस्तावना के प्रति सचेत रहेंगे और संविधान में जितने उपबन्ध हैं यदि उनका पूरी तौर पर इस संविधान का हम पालन करेंगे तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाला और देश को आगे बढ़ाने वाला यह हमारा सबसे बड़ा कदम होगा। आपने हमें बोलने का अवसर दिया इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।

[12:37 बजे] *श्रम, सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो अभी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, आज 26 नवम्बर को हम न केवल उत्तर प्रदेश के विधान मण्डल में बल्कि पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं और इस अवसर पर जो हमारे देश का सर्वोच्च ये भारतीय संविधान है जिसे बाबा साहब डा0 अम्बेडकर ने इस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा था। यद्यपि 26 जनवरी, 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ लेकिन 26 नवम्बर, 1949 को ये विधिवत् तैयार होकर जो प्रारूप समिति थी उसके माध्यम से बाबा साहब डा0 अम्बेडकर के नेतृत्व में माननीय राजेन्द्र प्रसाद जी जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनको सौंपने का काम किया था। उस प्रस्तावना का उद्बोध महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी है। जो भारतीय गणतंत्र का संकल्प कहा जाता है- ''हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 इ0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

मान्यवर, यह जो प्रस्तावना है यह भारतीय संविधान का अमूल्य मंत्र है। पूरा का पूरा भारतीय संविधान का यह सार है, सारतत्व है और सारी की सारी बातें, संविधान की मंशा संक्षिप्त रूप में इस उद्देश्य से प्रस्तावना में सन्निहित है। मान्यवर, आज इस अवसर पर जो हमारा भारतीय संविधान है वह दुनिया के किसी भी देश से बड़ा भारतीय संविधान है। मान्यवर, यही नहीं आज भारतीय संविधान जिस तरह से भारत को एकता के सूत्र में, एक मजबूत गणराज्य के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, विकास की दशा और दिशा तय कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से इसकी स्वीकार्यता सर्वोपरि है और यह दुनिया में अपने आप जाहिर होता है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज दुनिया का कोई भी संविधान भारतीय संविधान जैसा न ही बड़ा है, न ही विस्तृत है, बल्कि देश के सभी वर्ग, जाति, धर्म को सम्मान देते हुए पूरे राष्ट्र के लोगों को एक कड़ी में जोड़ता भी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा हमारा भारतीय संविधान है इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। यद्यपि दुनिया के तमाम देशों के वह स्वाभाविक अंश ही इसमें जोड़े गये हैं जो व्यावहारिक रूप से होने चाहिए। आज जहां संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन, एकल नागरिकता व न्यायिक याचिका का प्राविधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है वहीं पर ज्यूडिशियल रिव्यू, मूल अधिकार, राष्ट्रपति एवं जजों के खिलाफ महाभियोग का प्राविधान अमेरिका के संविधान से ले कर इसमें शामिल किया गया है। यही नहीं राज्य के नीति-निर्देशक तत्व आयरलैण्ड के संविधान में अगर इसमें शामिल किये गये तो वहीं कनाडा के संविधान से संघीय स्वरूप को और भी मजबूत किया गया है। फ्रांस में जो संविधान में समता, समानता और बंधुत्व की भावना रही है यह भी हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। व्यापार, वाणिज्य गतिविधियों की आजादी जो आस्ट्रेलिया के संविधान में प्राथमिकता रही है वह भी हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह अफ्रीका के संविधान में पाया जाता था आज हमारे भी देश के संविधान में है। जर्मनी में संविधान में जो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलम्बित रखने का प्राविधान था वह भी भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलेगा यानि दुनिया के सभी देशों के संविधान में जो भी आप पाएंगे और दुनिया के संविधानों का अगर आप सार देखेंगे तो हमारे भारतीय संविधान में वह सब आपको मिलेगा। डा0 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी 7 सदस्यीय टीम लेकर 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन में भी इस संविधान को लिखा और तैयार किया। बड़े

बहस और विरोध के बाद संविधान को अन्तिम रूप दिया। स्वाभाविक रूप से मैं आज इस अवसर पर बाबा साहब डा0 अम्बेडकर, भारतीय संविधान निर्माता को अपनी ओर से, सदन की ओर से, साष्टांग प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं।

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि बाबा साहब डा0 अम्बेडकर ने आज इस देश को एक ऐसा भारतीय संविधान दिया है जिस पर न केवल राष्ट्र को गर्व है बल्कि हम उस संविधान के मार्गदर्शन में चल करके आज दुनिया के सर्वोच्च देशों में अगली कतार में खड़े होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। मान्यवर, हम आज आपके माध्यम से यह भी कहना चाहेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी खूबियां इसी से देखी जा सकती हैं कि दुनियां का जो सबसे बड़ा संविधान है, वर्तमान में 1,45,000 शब्दों का जो हमारा मूल संविधान है, उसमें इतने शब्द हैं। इसके साथ ही साथ मान्यवर 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां और इसके अतिरिक्त प्रस्तावना के 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद वर्तमान में हैं, यानि संविधान में कुल अब तक 103 संशोधन हुए हैं। इसके साथ ही साथ यह हमारा एक ऐसा संविधान है जिसमें संविधान के अनुच्छेद-5, 6, 7, 8, 9, 10, 324, 366, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, 26 नवम्बर, 1949 को ही लागू हो गये। शेष अनुच्छेद 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ। यानि कि, भारत विधिवत सम्प्रभु राष्ट्र 26 जनवरी, 1950 को हुआ, लेकिन तात्कालिक प्रभाव से जो देश के संचालन में बहुत ही प्रमुख रूप से जो अपना महत्व रखते थे उनको 26 नवम्बर, 1949 से ही इम्पलीमेन्टेशन के तौर पर प्रयोग किया जाने लगा। यही नहीं मान्यवर, हमारे भारतीय संविधान में आज सभी संवर्गों का विभाजन स्पष्ट दिखायी पड़ता है। हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबकी अपनी-अपनी सीमायें हैं। इतनी लम्बी आजादी के 70 साल गुजर जाने के बाद आज भी कभी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराहट नहीं हुई।

यह भारतीय संविधान की खूबी है और इसके साथ ही साथ मान्यवर, आज केन्द्र की सूची, राज्य की सूची, समवर्ती सूची के साथ-साथ हमारा संविधान कठोर भी है, नरम भी है, हमारे संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की पूरी व्यवस्था कर रखी है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, नीति-निर्देशन के जो हमारे समय-समय पर निर्देश दिये जाते हैं वह भी और मूल कर्तव्य, ये सारे के सारे विषयों से ओत-प्रोत हैं। इसके साथ ही साथ मान्यवर, मैं इस भारतीय संविधान में जो माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा और उसके लिये धन्यवाद प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया स्वाभाविक रूप से मैं उसका स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं जो भी इतिहास पढ़े होंगे, उन्हें मालूम होगा कि जब तक यह भारतीय संविधान नहीं था इस देश में कहीं राजशाही चलती थी, कहीं पर धर्म, जाति, लिंग भेद के आधार पर भेद-भाव होता था।

श्री अध्यक्ष-

अब आप संक्षेप कीजिये।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

कहीं पर छुआछूत जैसा अभिशाप भी था, कहीं पर जमींदार, नवाब, राजे और महाराजे होते थे। कहीं-कहीं इंसानों को बदतर जिन्दगी जीने के लिये मजबूर किया जाता था। लेकिन मैं बाबा साहब डा0 अम्बेडकर को पूरे सदन की ओर से बहुत-बहुत बधाई देते हुये नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसा भारतीय संविधान दिया जो करुणा, मैत्री, बंधुत्व पर आधारित है। समता, समानता और न्याय पर आधारित है। स्वाभाविक रूप से यह भारतीय संविधान दुनिया के लिए आदर्श है। हमारा संविधान हमारे लिये राजधर्म है जिसके मार्गदर्शन में हम चलते हैं और यही नहीं, इस देश का हर नागरिक चलता है, यही नहीं सभी सरकारें भी चलती हैं, यह भारतीय संविधान है। मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद-29-30 में सीधे स्पष्ट है कि बहु धर्म के सिख, ईसाई, अल्पसंख्यक भाई, अपने धर्म लिपि भाषा की कर सकते हैं पढ़ाई। यानि आज किसी भी धर्म को, वर्ग को, जाति को कहीं पर भी किसी प्रकार से घबड़ाने की आवश्यकता इसलिये नहीं है कि भारतीय संविधान सबको संरक्षण प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ मान्यवर, यह भारतीय संविधान का करिश्मा है कि अभी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद-370 और 35ए हटाया गया तो पूरे देश ने भारतीय संविधान की मर्यादा में रह करके उस निर्णय का स्वागत किया और वह जम्मू कश्मीर, जो आजादी के 70 सालों में 370 और 35ए के चलते विकास से वंचित रह गया था, जहां पर दोहरी नागरिकता की स्थिति पैदा हो गयी थी। राष्ट्रीय झंडा के साथ-साथ वह अपना एक अलग झंडा लगाते थे। एक देश में दो झंडे। मान्यवर, यह कहीं न कहीं विषमता का द्योतक था साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा था और इसके नाम पर उनको विकास से वंचित किया जा रहा था और वहां पर उनके सम्मान स्वाभिमान से खिलवाड़ किया जाता था। यहां तक कि अगर वहां की कोई लड़की जम्मू कश्मीर के बाहर शादी-विवाह करके बाहर चली जाती थी तो उसकी वहां की नागरिकता खत्म हो जाती थी और अगर वह जम्मू कश्मीर में कुछ जमीन लेकर व्यवसाय करना चाहती थी तो वह उससे भी वंचित हो जाती थी। यही नहीं मान्यवर, यह भारतीय संविधान की मान्यता है कि हम सब सभी धर्म के लोग, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं इसीलिये भारतीय संविधान द्वारा जो न्यायपालिका को दिये गये अधिकार हैं इसी तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त किये गये अधिकार हैं जिसे हम सभी लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि न्यायपालिका सर्वोपरि है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर अपना निर्णय सुनाया तो चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो, सभी ने खुशी के साथ इस निर्णय का स्वागत किया। यह है भारतीय संविधान, यह है इसकी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मर्यादा। मान्यवर, इसीलिये आज यह भारतीय संविधान आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद आपने देखा होगा कि यहां पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरह कभी तख्ता पलट नहीं हुआ, यहां पर कभी खून-खराबा नहीं हुआ है, कभी सत्ता के लिये हिंसा नहीं हुई है, कभी सत्ता के लिये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की हत्या नहीं हुयी है। यह है कि भारतीय संविधान जो हमारे देश की गरिमा को आगे बढ़ाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह और भी महान इसलिये है कि सभी संस्कृतियों को यह जोड़कर चलता है। आज यह जो भारतीय संविधान सदन के बीच में रखा गया है मान्यवर, बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में जब प्रारूप समिति संविधान को तैयार कर रही थी तो उन्होंने आदि से लेकर अन्त तक की संस्कृति को इसमें संजोने का काम किया है, इसमें मोहन जोदड़ो काल की मुहर भी है तो वैदिक काल के गुरुकुल का भी दृश्य है तो महाकाव्य रामायण के राम की लंका पर विजय और सीता का उद्धार भी है और महाभारत काल में महाभारत का दृश्य और भगवद्गीता का प्रसंग भी है इसके साथ ही भगवान बुद्ध के जीवन की झांकी भी है। महाजनपद और नन्दकाल महावीर के जीवन की भी इसमें झांकी अंकित है। मौर्यकाल सम्राट अशोक द्वारा भारत और विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार को चिन्हित करता भी दृश्य है, तो इसमें गुप्तकाल का चित्र विराजमान है। गुप्तकाल में विक्रमादित्य के राज दरबार का भी दृश्य है, तो गुप्तकाल प्राचीन विश्वविद्यालय नालन्दा का भी दृश्य है। मान्यवर, इसमें नन्दकाल की मूर्तिकला भी हैं, इसमें भागीरथ का तप और गंगा का अवतरण भी है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, बहुत लोगों को बोलना है।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

मान्यवर, इसमें मुगलकाल के अकबर का जिक्र है और ब्रिटिशकाल में लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का चित्र भी इस भारतीय संविधान में है। यही नहीं मान्यवर, राष्ट्रपिता गांधी जी का दाण्डी मार्च तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम तो नोवाखली के दंगाग्रस्त क्षेत्र का जिक्र भी है।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी हो गया, समाप्त करिए।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रान्तिकारी आन्दोलन एवं नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के योगदान का जिक्र भी है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप मान जाइये, समाप्त करिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

मान्यवर, मैं इसीलिए इसका समर्थन कर रहा हूं क्योंकि सारी विशिष्टतायें इसमें विराजमान हैं। प्राकृतिक विशिष्टताओं का दृश्य भी दर्शाता है। प्राकृतिक विशिष्टाताओं में रेगिस्तान का भी दृश्य दर्शाता है, तो वहीं पर महासागर का भी दृश्य दिखाई पड़ता है।

श्री अध्यक्ष-

बाकी कागज आप हमें भिजवा दीजिए।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

जी, मान्यवर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय राजेन्द्र प्रसाद जी ने बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर के लिये क्या कहा था ? यह राजेन्द्र प्रसाद जी का वक्तव्य है, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने डा0 अम्बेडकर को क्या कहा ? हम कोई ऐसा विनिश्चय नहीं कर सकते थे, जो कभी भी इतना ठीक हो सकता था, जितना कि वह जब हुआ, जबकि हमने डा0 अम्बेडकर को मसौदा समिति में सम्मिलित किया और उसका सभापति बनाया। उन्होंने अपने चुनाव को ही सिद्ध नहीं किया, वरन् जो कार्य उन्होंने किया है उसमें चार-चांद लगाने का भी काम किया है, यह डा0 राजेन्द्र प्रसाद जी ने कहा है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठिये, अब आप मान जाइये, समय ज्यादा हो गया है।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

मान्यवर, मैं खत्म करने जा रहा हूं। बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर ने संविधान को अंगीकार करने के एक दिन पहले अपने भाषण में कहा था कि संविधान के गुणों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि उसे चालित करने वाले लोग बुरे हैं तो वह निःसंदेह बुरा हो जाता है। संविधान का क्रियाकरण पूर्णतया संविधान के प्रकार पर निर्भर नहीं करता। संविधान केवल विधान मण्डल, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे अंगों के लिए कर सकता है। राज्यों के अंगों का क्रियाकरण जिन पर निर्भर करता है, वह जनता और उसके द्वारा स्थापित किये गये राजनीतिक पक्ष हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

मान्यवर, बैठ रहा हूं। बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर ने जो लिखा है, मैं उसके बारे में ही बता रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

वह जानकारी में है। अपने समय ज्यादा ले लिया। समय ज्यादा हो गया और भी माननीय सदस्यों को बोलना है।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बैठने जा रहा हूं। मैं एक मिनट और कहना चाहता हूं, यह मेरी हठ और जिद नहीं है। मैं आपकी कृपा चाहता हूं, बाबा साहब डा0 अम्बेडकर द्वारा उद्धृत हम दो शब्द कहेंगे, उनके दो-तीन स्लोगन हैं, वह मैं कहूंगा, उसके अलावा नहीं कहूंगा। अगर आपका आदेश हो।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

बहुत-बहुत धन्यवाद, मान्यवर। मान्यवर, बाबा साहब डा0 अम्बेडकर ने कहा-'मेरे मन में यह विचार आता है, यह बात नहीं है कि भारत कभी स्वाधीन न रहा हो, बात यह है कि एक बार वह पाई हुई स्वाधीनता को खो चुका है, क्या वह दोबारा भी उसे खो देगा ? यही वह विचार है, जिसके विषय में भविष्य के प्रति मैं बहुत चिन्तित हूं। जो तथ्य मुझे बहुत परेशान करता है, वह यह है कि भारत ने पहले एक बार अपनी स्वाधीनता खोई ही नहीं, वरन् अपने ही कुछ लोगों की कृतघ्नता तथा फूट के कारण यह स्वाधीनता आई और चली भी गई।

श्री अध्यक्ष-

यह कोट तो पूरा हो गया।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

मान्यवर, एक दूसरा है।

श्री अध्यक्ष-

हैं तो बहुत, आप 25 नवम्बर वाले से सब पढ़ रहे हैं।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

मान्यवर, बाबा साहब डा0 अम्बेडकर ने दूसरा कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि ''अपने सम्मान को खोकर कोई पुरुष कृतज्ञ नहीं हो सकता, अपने सतीत्व को खोकर कोई स्त्री कृतज्ञ नहीं हो सकती और अपने स्वातन्त्रय को खोकर कोई राष्ट्र कृतज्ञ नहीं हो सकता'' यह बाबा साहब की भावना है इस राष्ट्र की एकता के लिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप मान जाइये।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

मान्यवर, इसीलिए आपके निर्देश के क्रम में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा भारतीय संविधान आज सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। एक भारतीय संविधान ही ऐसा हमारा सर्वोच्च ग्रन्थ है जिसका अनुपालन हम सभी करते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग भारतीय संविधान में अपनी आस्था रखते हैं। यही कारण है कि आज हम अपने भारतीय संविधान के दायरे में रह करके शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित करने का काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप खन्ना जी प्रस्ताव का समर्थन कर दीजिए।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

मान्यवर, मैं कर रहा हूं, मेरा आपसे निवेदन है कि अभी जो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि राज्यपाल जी ने इसमें सरकार की।

श्री अध्यक्ष-

अभी वह बोले ही नहीं हैं।

***श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-**

मान्यवर, शुरू में टिप्पणी किया था, मैं कहना चाहता हूं कि यह भी संविधान में निर्देश है, संविधान में यह निर्देश है कि सरकार गरीबों के लिए, निर्बल लोगों के लिए, समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े हुए लोगों के लिए समय-समय पर उनके लिए ऐसे कल्याणकारी कदम उठायेगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो और वह समाज की मुख्य धारा में खड़े हों। इसलिए मान्यवर, जो भी माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में पढ़ा है वह भारतीय संविधान की गरिमा के अनुरूप है और उसमें उन्होंने उन सारी बातों को रखने की कोशिश की है। आज भारतीय संविधान में जो नीति-निर्देशक तत्व हैं उसके तहत् जो दिये गये भारतीय संविधान के निर्देश हैं उसके क्रम में आज हमारी चाहे केन्द्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही हैं, आयुष्मान योजना के रूप में, प्रधानमंत्री आवास के रूप में, शौचालयों के रूप में, निःशुल्क बिजली कनेक्शन के रूप में, किसान सम्मान निधि के रूप में और नारी सशक्तीकरण के लिए सामूहिक विवाह योजना, सुमंगला योजना और अन्य तमाम योजनाएं चला करके जो गरीबों का कल्याण कर रही है। यह भारतीय संविधान में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिये गये निर्देशों के क्रम में कर रही है इसीलिए मान्यवर जो माननीय राज्यपाल जी ने अभिभाषण किया है और जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना धन्यवाद् प्रस्ताव दिया है उसका समर्थन करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सभी बातों को रखने का अवसर दिया।

[01:02 बजे] संविधान दिवस में डा0 भीमराव अम्बेडकर का नाम सम्मिलित किये जाने की मांग

***नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभिभाषण पर जो अपना प्रस्ताव रखा और माननीय मंत्री मौर्या जी ने उसका समर्थन किया या विरोध किया यह समझ में नहीं आया कम्पटीशन हो गया, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, माननीय नेता सदन को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, बसपा विधान मण्डल दल के नेता माननीय वर्मा जी को और माननीय पटेल जी को क्योंकि आप सबने मिल करके आज के दिन संविधान दिवस मनाने का सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया।

***वित्त, संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, आपको भी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वह तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न था, अगर कुछ कहना चाहते हो तो बताइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं कहना चाहता हूं कि जिस बैठक में निर्णय लिया गया उस बैठक में आप भी शामिल थे।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मैं इस बात को पुनः कह रहा हूं कि उस दिन यह बात हमको कचोट रहा था कि डा0 भीम राव अम्बेडकर जी का नाम इसमें क्यों नहीं आया है ? आपने उसको पुनः जोड़ा, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हमको घोर प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें संविधान दिवस मना रही हैं। हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इनका हृदय कितना बड़ा है कि जो संविधान की प्रतिदिन हत्या करने पर उतारू है, जो संविधान की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान के प्रावधानों को रौंद डाला है, जनता का ध्यान उससे हटाने के लिए संविधान दिवस की योजना आपने अपने विश्वास पर लेकर आयोजित किया। महाराष्ट्र में अभी चार दिन पूर्व क्या हुआ है ? यह संविधान दिवस मनाने की प्रक्रिया है। साल भर पूर्व बिहार में क्या हुआ था ? एक बहुमत दल को आमंत्रण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया था कि 11:00 बजे आप आकर अपना दावा पेश करिये और 05:00-06:00 बजे भोर में ही दूसरे को मुख्य मंत्री बना दिया गया। मा0 अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र वाले मामले में हमने एक प्रेस नोट के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से अनुरोध किया है कि महामहिम राज्यपाल की गरिमा पुनः स्थापित हो सके। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल जी, राष्ट्रपति शासन हटा लें और फणनवीस, अजीत पवार को शपथ दिलाने के बीच के मिनट्स को श्वेत पत्र के जरिये प्रकाशित किया जाये। महामहिम राज्यपाल जी ने राष्ट्रपति शासन को हटाने की अपनी संस्तुति महामहिम राष्ट्रपति को कब भेजी, कैबिनेट ने जो निर्णय लिया, उसकी सूचना महामहिम राष्ट्रपति को कब दी गई ? महामहिम राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए महामहिम राज्यपाल को कब सूचित किया ? क्या यह संविधान मनाने का तरीका था जिसने दावा भी पेश नहीं किया, खुद महामहिम राज्यपाल ने लिखा था।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, क्या महामहिम राज्यपाल की भूमिका की चर्चा यहां पर हो सकती है ?

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर संविधान की चर्चा हो रही है, महामहिम राज्यपाल की नहीं।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल की भूमिका के ऊपर बार-बार सवाल उठाये जा रहे हैं, यह कार्यवाही से निकाल दिया जाये, यह ठीक नहीं है। आप बहुत बड़े संसदीय ज्ञाता हैं। मान्यवर, किसी भी राज्यपाल के कृत्य की चर्चा यहां नहीं हो सकती है, उनको विशेषाधिकार है। मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

इस बारे में आपका क्या कहना है ?

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अपना वक्तव्य दिया, माननीय मौर्या जी ने अपना वक्तव्य दिया, इस पर हम लोगों ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं किया है।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

संसदीय कार्य मंत्री जी, यह आक्षेप नहीं है। आपने जो संविधान के साथ पाप किया है, संविधान की हत्या की है, उसका उल्लेख है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

आपने एक हजार पाप किये हैं। इसी विधान सभा में जब हम उधर बैठते थे।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

संविधान की हत्या बिहार में की गयी, संविधान की हत्या कर्नाटक में की गयी, संविधान की हत्या अरुणाचल प्रदेश में की गयी और संविधान की हत्या गोवा में की गयी।

श्री अध्यक्ष-

आप इस तरह बोलेंगे तो स्वास्थ्य गडबड़ा जायेगा।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, इसी विधान सभा में इन्होंने हाथापाई की। संविधान की हत्या उस दिन नहीं थी। इसी विधान सभा में हाथापाई की गई तो उस दिन कहां थे।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट में बात कह लूं। आप लोग शांत रहें।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

अपनी सरकार की उपलब्धियां सुनाना चाहते हैं तो हम लोग बाहर जायं यह सुना लें।

श्री अध्यक्ष-

जायेंगे कैसे ? एक मिनट आप हमारी बात तो सुन लें।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

यहां राज्यपाल की भूमिका की चर्चा नहीं हो रही थी। राज्यपाल ने जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया है उसकी चर्चा हो रही थी।

श्री अध्यक्ष-

संविधान के मूलभूत तथ्यों पर यहां चर्चा हो रही थी। आप हमको नहीं बोलने दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हमारी बात तो आ जाय जो बातें प्रधानमंत्री आवास के बारे में कही गई हैं। प्रधानमंत्री आवास के बारे में आपको अधिकार है कहना कि यहां से जो बातें कही गई हैं वह सही नहीं हैं। ऐसा आप कह सकते हैं जब आपका अवसर आये जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष का अवसर आया था सबका अवसर नहीं आया। आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। समय हम लोगों के पास कम है। जब श्री राज्यपाल की चर्चा होने लगी यहॉ पर तो जो हमारा सदन है वह नियमों से बंधा हुआ है संविधान के किसी भी उपबंध पर हम यहां चर्चा कर सकते हैं संविधान दिवस है आज लेकिन हमारी नियमावली कहती है कि माननीय न्यायालयों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के काम पर और माननीय श्री राज्यपाल के काम पर हम यहां उल्लेख नहीं कर सकते। उनके आचरण पर बहस नहीं कर सकते, जो हमारी नियमावली है। उदाहरण आप दे सकते हैं लेकिन राज्यपाल का यह तो परिपाटी हमारी है, हमारी नियमावली में है कि हम राज्यपाल के बारे में चर्चा यहां नहीं करते बाकी जो विषय है यहां पर और जैसा मान लीजिये सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने तमाम पेड़ लगवाये। आप कह सकते हैं कि पेड़ लगाये कि नहीं लगाये गये। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र दूसरा है, विधान सभा का अधिकार क्षेत्र दूसरा है, माननीय राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र दूसरा है और सारी संस्थाएं संविधान से शक्ति पाती हैं। यह हम सब जानते हैं, हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं जो इस आदरणीय सदन की नियमावली है जो भारत का संविधान है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र भिन्न प्रकृति का है। हम यहां बात कर रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से संवाद बना रहे हैं, आप सबसे बना रहे हैं वह कोई बात कह रहे हैं। इस आदरणीय सदन में कही गई बात का न्यायालय भी संज्ञान नहीं ले सकता। यह भी भारत के संविधान में लिखा हुआ है। इसलिये हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट की कोई बात उसके बारे में कोई अपमानजनक बात यहां नहीं कहते और कभी कही भी नहीं जाती और यह एक अच्छी बात भी है। राज्यपाल के आचरण पर चर्चा नहीं होती। यहां राज्यपाल के आचरण के बारे में आप बाहर चर्चा कर सकते हैं, करते भी हैं। लोग लिखते पढ़ते भी हैं। लेकिन यहां चर्चा नहीं होती। हम सब पुराने साथी हैं, वरिष्ठ हैं जानते हैं यह बात। आपको आगे जो बोलना हो बोलें।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

महामहिम राज्यपाल ने जो सुबह संविधान की धज्जियां उड़ाया है तो हम संविधान दिवस क्यों मना रहे है। मैं यही आपसे जानना चाहता हूं। संविधान दिवस हम मना क्यों रहे हैं ? इसीलिये मना रहे हैं कि संविधान एक राष्ट्रधर्म है। एक पवित्र ग्रन्थ है हमारे लिये। हिन्दुस्तान के जन-जन के लिये पूज्यनीय है संविधान। लोकतंत्र के और जनतंत्र के प्राण है संविधान।

श्री अध्यक्ष-

यह भी ठीक है।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

लेकिन संविधान के प्राविधानों को, संविधान की मंशा को, संविधान के अरमानों को अगर कोई कुचलता है तो उसकी बात को यहां नहीं कही जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

आपकी नियमावली अनुमति नहीं देती।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मैंने नाम नहीं लिया है। मैंने राज्यपाल का नाम नहीं लिया। राज्यपाल एक बड़ा शब्द है। राज्यपाल मैंने कहा। राज्यपाल का नाम नहीं लिया।

(सत्ता पक्ष की तरफ से महाराष्ट्र कोट किया आपने यह कहने पर)

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मैंने नाम नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप आगे बोलिये।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

ठीक है मान्यवर, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राज्यपाल को गलत संदेश पढ़ाती है। जब भी राज्यपाल महोदय यहां आये हैं चाहे वह माननीय राम नाईक रहे हों या अभी तत्कालीन महामहिम आई थीं गलत यह लोग लिखकर पढ़वा देते हैं। आपको याद होगा।

मा0 अध्यक्ष जी, आपको याद होगा इसह सदन में उस समय के महामहिम राम नाईक जी ने भीमराव आम्बेडकर जी का नाम बदल करके डा0 भीमराव राम जी आम्बेडकर करवाया था। इसकी अधिसूचना जितेन्द्र कुमार जी ने डा0 आम्बेडकर के नाम के स्थान पर डा0 भीमराव राम जी आम्बेडकर करने के लिए स्पष्ट आदेश दिया था, लेकिन तीन जगह महामहिम ने जो जो अपना अभिभाषण पढ़ा है, उसमें केवल डा0 भीमराव आम्बेडकर पढ़ा। कभी-कभी हमने रोका। हर बार जब भी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है, उसको आपके माध्यम से और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से सुधारने का कार्य हुआ है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जमकर अपनी बात ठीक कही और मा0 मौर्या जी ने तो उसका समापन ही कर दिया। भारतीय जनता पार्टी संविधान का आड़ लेती है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मौर्या जी ने संविधान का इतिहास बताने का कार्य नहीं किया है। हर देश का अपना एक इतिहास होता है। हर ग्रन्थ की एक उद्देशिका होती है, इतिहास होता है। सबसे पहले सन् 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेजों के अधीन एक स्वतंत्र संविधान की मांग की थी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के लोग अपने राजनैतिक भाग्य का फैसला स्वयं करेंगे। 1924 में पंडित मोती लाल नेहरू ने स्वतंत्र संविधान सभा की मांग उठायी, लेकिन तीनों लोगों की मांग को अंग्रेजी शासन ने ठुकरा दिया। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एम0एन0 रॉय ला के प्रस्ताव पर संविधान सभा की मांग की और 1940 में अगस्त प्रस्ताव में इसको माना गया और 1942 में क्रिप्स जो आयोग गया था, उसने यह घोषणा की कि भारत का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संविधान निर्वाचन से तैयार होगा। इसको किसी ने नहीं बताया। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें कुल सदस्य संख्या 389 थी। 292 ब्रिटिश काउंसिल से सदस्य थे, 4 सदस्य कमिश्नर काउंसिल से थे और 93 देशी रियासतों से सदस्य उसमें माने गये। कैबिनेट योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 10 लाख की आबादी में 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। 213 समान्य, 89 मुसलमान, 4 सिख इनका इतना कोटा हो गया। इसमें 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से, 15 और दल के लोग इसमें चुने गये। इस देश की आजादी के लिए आन्दोलन करने वाले चाहे वह महात्मा गांधी हों, मोती लाल नेहरू हों, बाल गंगाधर तिलक हों, पंडित जवाहर लाल नेहरू हों, इन लोगों का नाम लेने में इन लोगों को परहेज है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू हों इन लोगों का नाम लेना इन लोगों को परहेज है। माननीय अध्यक्ष जी इस प्रकार से 9 नवम्बर, 1946 में संविधान सभा अस्तित्व में आई। 9 दिसम्बर, 1946 को पहली बैठक डा0 श्रद्धानन्द सहाय अस्थाई अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिल्ली के सेन्ट्रल हाल में शुरू हुई 11 दिसम्बर को डा0 अजीत प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया और 13 दिसम्बर को पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में चर्चा शुरू हुई। यह इसका इतिहास है। 22 जनवरी, 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव के स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने कई समितियों का गठन किया। नियुक्ति संविधान समिति संघ संविधान समिति प्रान्तीय संविधान समिति सर्वशक्ति समिति और प्रारूप समिति मुख्य थीं। 29 अगस्त, 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया इसके अध्यक्ष डा0 भीमराव राम जी अम्बेडकर को बनाया गया उसमें सदस्य थे डा0 भीमराव राम जी अम्बेडकर अध्यक्ष के0 गोपालास्वामी अयंगर, स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकराव मुंशी, जो उत्तर प्रदेश के महामहिम रह चुके हैं के0 भागवत राव, बी0आर0 मित्रा के अस्वस्थ होने पर डी0पी0 खेतान इनकी मृत्यु होने के बाद टी0 कृष्णमाचार्य सदस्य बनाए गए और इन लोगों ने प्रारूप समिति में इतना मेहनत से काम किया रात दिन काम किया कि इतना हमारा पवित्र संविधान तैयार हुआ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री बेनेगल नरसिंह राव बी0एन0 राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया अपने अन्तिम भाषण में डा0 अजीत प्रसाद ने इनकी बड़ी तारीफ की कि इन्होंने काफी मेहनत किया सामग्री जुटाने में और दूसरे सदस्यों को भी सामग्री जुटाकर इन लोगों ने दी थी। 3 जून, 1947 को भारत का विभाजन हो गया उसके बाद फिर संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर, 1947 को किया गया संख्या-229 देशी रियासतों की संख्या 70 कुल 299 संख्या रखी गई थी, 21 फरवरी, 1948 को प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप संविधान सभा को सौंप दिया, संविधान सभा के 284 सदस्यों की उपस्थिति में 4 नवम्बर से 9 नवम्बर, 1948 तक प्रथम वाचन तथा 14 नवम्बर, 48 से 17 अक्टूबर, 1949 तक दूसरा वाचन 14 नवम्बर, 1949 से 26 नवम्बर, 1949 तक तीसरा वाचन किया गया कुल 7635 संशोधन प्राप्त हुए थे जिसमें से 273 पर बहस हुई संविधान सभा में पारित किया गया। अन्ततः 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया

तथा 26 जनवरी, 1950 से यह संविधान प्रभावी हुआ, कुछ प्राविधान 1949 में ही लागू कर दिए गए थे कुल 2 वर्ष 11 माह आपने अभी कहा है कि 17 दिन आपका लेख मैंने देखा है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बताया कि 17 दिन लेकिन मैंने जब विधिवत जोड़ा तो हमको लगता है कि जिस दिन यह पास हुआ उस दिन की गणना आप लोगों ने नहीं की है।

इसलिए 2 बरस 11 माह 18 दिन में यह संविधान सभा का निर्माण हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रारूप समिति की गठन की तिथि 29 अगस्त, 1947 से संविधान सभा को रिपोर्ट सौंपने की तिथि 21 फरवरी, 1948 तक कुल 05 माह 24 दिन अर्थात् लगभग 177 दिन लगे थे। संविधान सभा में प्रारूप पर 144 दिन बहस हुई, हमारे संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा यह संविधान है। इसलिए हम संविधान को नमन करते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी, गांधी जी, पंडित नेहरू जी और के0एन0 राव जी और इस संविधान में आम भूमिका निभाने वाले, बनाने भीम राव अम्बेडकर जी को मैं इस सदन के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।

***श्री नील रतन सिंह पटेल 'नीलू'-**

आप सरदार पटेल जी को भूल जाते हैं।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

आप ने याद दिला दिया मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सरदार पटेल जी और पंडित जवाहर लाल नेहरू जी कई-कई समितियों के अध्यक्ष रहे हैं यह संविधान सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। श्रीमन् किसी भी ग्रन्थ की उद्देशिका उस ग्रन्थ में लिखे आदि का सार-तत्व होती है। उद्देशिका से ही मालूम होता है कि हम जिस ग्रन्थ को लिखने जा रहे हैं उसका क्या भाव है, उसमें क्या सम्मिलित हो सकता है ? इसलिए उद्देशिका हमारे संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने उदाहरण दिया था इसलिए उद्देशिका हमारे संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने उदाहरण दिया था 'केशवानन्द भारतीय बनाम राज्य' वह सन् 1973 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग बताया है और यह भी कहा है कि यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में झांकने और उनकी मंशा को जानने में सहायता मिलेगी। मान्यवर, इसी कारण हम सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह बात बर्दाश्त नहीं करेंगे और खड़े हो जायेंगे। 'हम' माने इस धरती पर जितने मानव, पशु, पंक्षी, जानवर, पेड़, लता और लपाता हैं 'हम' में सब आ जाते हैं हम सब एक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 'हम शब्द को नहीं मानती है और बोलने से रोक देती है। यह हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईशाई को बांटती है इसलिए 'हम' को मैं मानता हूं कि उसका अपमान इनके द्वारा किया जाता है। भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा लिया गया एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संकल्प है और यह संविधान भारत की जनता की मंशा है इसकी रक्षा करने का यह ग्रन्थ है। इसीलिए कहा गया है कि 'हम भारत के लोग' भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अंगीकृत, अधिनियमित और अधिमापित करते हैं इस संकल्प से सभी नागरिकों के दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन स्वयं हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के शब्द कितने अच्छे हैं और यह कितना महान है। दिनांक 25 नवम्बर को डा0 भीम राव रामजी अम्बेडकर जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि यह आवश्यक नहीं है कि संविधान ठीक है कि खराब है क्योंकि संविधान अगर बहुत अच्छा हो और उसको चलाने वाले लोग अच्छे ना हों तो संविधान अच्छा नहीं होगा। जैसे हम लोग पिछले दो साल से संविधान को चलाने वाले लोगों द्वारा संविधान की हत्या करते देख रहे हैं। डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि चाहे संविधान कितना ही अच्छा हो अगर उसको चलाने वाले लोग या उसका पालन करने वाले लोग अच्छे ना हों तो वह अच्छा नहीं हो सकता है और संविधान यदि बहुत अच्छा ना भी हो लेकिन यदि उसको चलाने वाले और मानने वाले लोग अगर अच्छे हों तो संविधान अच्छा हो सकता है। यह बिल्कुल सत्य बात उन्होंने लिखी थी और आज हमारे संविधान की मर्यादा तार-तार हो रही है। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जनतंत्र खतरे में है और इसी को छिपाने के लिए आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। समानता, गरीबी, बेबसी, लाचारी और मानव के उत्थान के लिए संविधान में संशोधन करने की गुंजाइश भी की गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1976 में संविधान में एक संशोधन किया गया था। उस समय हम लोग जेल में थे और शायद संसदीय कार्य मंत्री जी भी जेल में होंगे। संविधान की प्रस्तावना में भारत के 'सम्प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' की परिभाषा को बदलकर 'सम्प्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य' कर दिया गया। 'राष्ट्र की एकता' शब्द को बदलकर 'राष्ट्र की एकता और अखण्डता' कर दिया गया। राष्ट्र जो है वह राज्य भी है और राष्ट्र में ही राज्य है। सन् 1952 से चुनाव हो रहे हैं और सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। राष्ट्र अखण्ड है लेकिन राज्यों को खण्डित कर दिया गया है। जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई और जहां-जहां इनकी सरकारें रही हैं इसमें दो राय नहीं है कि देश को अखण्ड रखा लेकिन प्रदेशों को खण्ड-खण्ड कर दिया और प्रदेशों को टुकड़े-टुकड़े में बांट दिया। उत्तर प्रदेश जैसा महान प्रदेश जो राम, कृष्ण, गंगा, शिव और देवभूमि के नाम से जाना जाता था उसको बांटकर अलग राज्य बना दिया गया। जो हमारा सिर था उस हमारी देवभूमि को हमसे अलग कर दिया गया। बिहार राज्य के दो टुकड़े कर दिये गये और मध्य प्रदेश राज्य के दो टुकड़े कर दिये गये। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रयोग हो

सकता है कि कल अगर स्वार्थ पूरा नहीं हो तो देश को भी तोड़ सकते हैं यह हमारी शंका है। आपने प्रदेश को तोड़ा है।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

हमने देश को जोड़ा है। देश और प्रदेश के सामने जो समस्यायें थीं हमने उनको ठीक की। जो जनभावना थी उसके अनुसार हमने कार्य किया है।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

आप देश तोड़ते हैं, दिल तोड़ते हैं और संविधान की धाराओं को तोड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप कह रहे हैं कि दिल तोड़ते हैं।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मान्यवर, संविधान का जब 42वां संशोधन हुआ तो आपने भी पढ़ा होगा उसमें स्पष्ट लिखा है कि शब्द है, धर्मनिर्पेक्ष और उसमें क्या लिख दिया गया पंथनिर्पेक्ष क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में शब्दों में बड़ा अन्तर हो जाता है। अंग्रेजी में सेक्युलर शब्द लिया गया, जिसका विधिक अर्थों में धर्म पंथनिर्पेक्ष शब्द लिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

उसमें तो पंथनिर्पेक्ष ही है।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मान्यवर, जबकि दूसरे शब्दों में धर्मनिर्पेक्ष लिखा गया है। अंग्रेजी में रिलीजन है धर्मनिरपेक्ष, अंग्रेजी में सेक्युलरिज्म। हमें आपको टोकना नहीं पड़ेगा। जहां तक हमको मालूम हुआ है कि कार्य मंत्रणा के बाद एक घण्टा नेता विरोधी दल को बोलना है, एक घण्टा मा0 मुख्य मंत्री जी को बोलना है, आधा-आधा घण्टा दलीय नेताओं को बोलना है। यह सहमति बनी थी।

श्री अध्यक्ष-

हमने यह कल्पना की थी।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मान्यवर, कभी-कभी कल्पना ही साकार रूप लेती है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप चाहेंगे तो ले लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मान्यवर, धर्मनिर्पेक्ष और पंथनिर्पेक्ष में बहुत अन्तर है।

श्री अध्यक्ष-

बहुत अन्तर है।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मान्यवर, निर्पेक्ष में आता है कि निर अपेक्षा अथवा अपेक्षा रहित पटस्थ। पंथनिर्पेक्ष में आता है कि जो किसी पंथ का अनुयायी न हो। धर्मनिर्पेक्ष का अर्थ है कि जो किसी धर्म की तरफदारी अथवा पक्षपात न करता हो और जो धार्मिक नियमों से प्रभावित न हो, जो सभी धर्मों को समान मानता हो।

श्री अध्यक्ष-

आप क्षमा करिएगा एक लाइन में सहयोग कर दूं।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मान्यवर, साम्प्रदायिक का मतलब सेक्युलर हो, अगर आप इसे देखें तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर खरा उतरती है ? मान्यवर, इसी प्रदेश में आपने देखा होगा मुसलमान की दाढ़ी पकड़ करके कहा जाता है कि जय राम बोलो, जय राम बोलो। इसी प्रदेश में हम तिरंगा झण्डा ले करके जो हमारा सम्मानित झण्डा है, हम मुसलमानों को चिढ़ाने का काम करते हैं। जब देश आजाद हुआ तो तिरंगा झण्डा माना गया तो देश के हिन्दू, मुसलमान सभी ने उसको सहज स्वीकार किया। देश की आजादी के लड़ाई के लिए देश के हिन्दू, मुसलमान ने बराबर कंधे से कंधा मिला करके आजादी की लड़ाई में भाग लिया। अगर हिन्दू नेता फांसी पर चढ़ा तो मुसलमान भी फांसी पर चढ़ा, हिन्दू नेता ने गोली खाया तो मुसलमान नेता ने भी गोली खाया, हिन्दू नेता ने अगर जेल में चक्की पीसा तो मुसलमान नेता ने भी चक्की पीसा। आप आजादी की लड़ाई में कहां थे और जब देश आजाद हो गया तो आपके लिए मुस्लिम दो नम्बर का हो गया। संविधान पर बहस हो रही है कि हम लिंग-भेद, धर्म पर हम कोई भी विभेद नहीं करेंगे, लेकिन आपने किया ? आपने तीन तलाक पर हस्तक्षेप किया है। श्रीमन् धारा-370 का बड़ा उल्लेख हो रहा है। अगर वोट की बात होती तो मैं नहीं कहता धारा-370 का प्राविधान जब संविधान सभा में हो रहा था तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदस्य थे तो उस समय क्यों नहीं विरोध किया ?

श्री अध्यक्ष-

आप संविधान सभा की बात कर रहे हैं न। संविधान सभा में अनुच्छेद-370 का विरोध मौलाना हसरत मोहानी ने किया था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

संविधान सभा में मुखर्जी जी ने 370 का विरोध क्यों नहीं किया। पूरे संविधान सभा में एक मुसलमान नेता ने विरोध किया आपने 370 हटाया आपको धन्यवाद। आपने 371 क्यों नहीं हटाया अभी नागालैण्ड में इन्होंने उनका दूसरा झण्डा स्वीकार किया है और नागालैण्ड जो हमारे देश में है, पासपोर्ट से आदमी प्रवेश करता है। नागालैण्ड में कोई अपनी जमीन नहीं खरीद सकता, कोई अपना घर नहीं बना सकता अपने नाम पर बिजनेस नहीं कर सकता। अगर आप पक्षपाती नहीं हैं तो कश्मीर के साथ आपने नागालैण्ड को क्यों नहीं लिया। यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान में लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। यह मानव-मानव में नफरत पैदा करने वाले लोग हैं और संविधान की आड़ ले रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, सम्प्रभुता यह प्रकट करता है कि भारत किसी भी विदेशी या अन्तरिक शक्तियों से पूर्णतया मुक्त होगा और इसीलिए विधान सभा और लोक सभा को अधिकार मिला हुआ है कि हम स्वतंत्र होकर अपना कानून बना सकें। इस पर भी राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपने भाषण में सवाल उठाया था और कहा था कि इस बात पर हमको आश्चर्य हो रहा है कि कानून बनाने वाले कार्यपालिका के लोगों के लिए योग्यता चाहिए और कानून बनाने वालों को योग्यता नहीं चाहिए। क्यों ? यह मैं सवाल पूछ रहा हूं। समाजवादी शब्द 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। नेता सदन अपने आसन से दर्जनों बार समाजवाद को और समाजवादियों के गाली दिये हैं और उन्होंने कहा है कि समाजवाद से देश विनाश के कगार पर जायेगा और कहते हैं कि हम संविधान मानते हैं। संविधान दिवस मना रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान के लिए समाजवाद सबसे अच्छा वाद है। इसी से देश चलाया जा सकता है। इसी से गरीबी, विषमता, लिंग भेद मिटाया जा सकता है। मा0 अध्यक्ष जी, कांग्रेस में ही समाजवादी ग्रुप का गठन हो गया था। आचार्य नरेन्द्र देव, लोक नायक जय प्रकाश नारायण, डा0 राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटर्वधन आदि ऐसे महान समाजवादी चिंतक, समाजवादी नेता कांग्रेस के आन्दोलनों में भाग लेते हुए भी एक समाजवादी गठन किया था और वह कांग्रेस की बैठकों में कहते थे कि आपका जो गांधीवाद ठीक है लेकिन गांधीवाद के साथ जब तक समाजवाद नहीं जुटेगा तब तक देश की जनता का कल्याण नहीं हो सकता। मैं बधायी देना चाहता हूं 1976 की तत्कालीन सरकार को वह चाहे जिसकी भी रही हो क्योंकि हम तो जेल में थे, उन्होंने समाजवादी शब्द जोड़कर हमारे पुरखे जो समाजवादी नेता हैं, उनके सम्मान को बढ़ाने का काम किया।

मा0 अध्यक्ष जी, समाजवाद अंग्रेजी और फ्रांसिस शब्द सोसलिज्म का हिन्दी रूपान्तरण है, समाजवाद। समाजवाद अपने सभी नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, धर्म, लिंग एवं भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किये बिना सभी को बराबर दर्जा का अवसर देता है। अब लोकतांत्रिक शब्द उद्देशिका में दिया गया है। लोकतांत्रिक का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मतलब हम जहां तक समझते हैं, कोई हमारी ही समझ सबसे बढ़िया नहीं है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि एक सरकार का लोकतांत्रिक अर्थ होता है, संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है। संविधान सरकार बनाने की अनुमति देता है। जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों को शक्ति प्राप्त करते हैं और उस चुने हुए बहुमत के लोग सरकार बनाते हैं और सरकार के माध्यम से जनता के हितों की रक्षा के लिए जन-कल्याण के काम करते हैं। एक हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसका मतलब सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में निहित है। लेकिल विडम्बना है कि जब हम जनता के बीच में इस बात को कहते हैं कि सर्वोच्च सत्ता आपके हाथ में है, आपका बेटा अब राजा का बेटा राजा नहीं, आपके वोट से पैदा हुआ आपका बेटा देश का राजा होता है। आजादी मिलने के इतने दिन बाद भी जनता को मालूम ही नहीं कि सर्वोच्च सत्ता उसके हाथ में है, क्यों ? चुनाव लड़ने वाली पार्टियां केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं, जनता के हितों की रक्षा में जनता को अपमानित करती हैं। संविधान में दिये हुए प्राविधानों को आज तक जनता को पढ़ाया-सिखाया नहीं गया। अब गणराज्य शब्द है। गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष एवं यथापेक्ष चुनाव से तय किया जाता है, राजा। हमारे यहां राष्ट्रपति का परोक्ष रूप से चुनाव होता है। विधान सभा एवं लोकसभा के मा0 सदस्यों के अनुपातिक वोट से अब चुनाव होता है। अब राजनैतिक सम्प्रभुता एक राजा के बजाय लोगों के हाथ में निहित होती है। लेकिन जनता तक जाती नहीं है, जनता हमीं को राजा मान रही है और आज भी अपने को प्रजा मान रही है। यह किसकी देन है ? क्यों, जनता को नहीं मालूम की इस देश के कर्मदाता हम हैं। इस देश के राजा बनाने वाले हम हैं, इस देश के लोगों का पेट पालन करने वाले हम हैं, इस देश के लोगों को हर काम में प्रयोग करने वाली चीजों के लिए हम हैं। आज तक उसको पता ही नहीं कि वह देश का राजा है, उसके हाथ में सब चीजें हैं। उसी को भारतीय जनता पार्टी भुलवा रही है। मा0 अध्यक्ष जी, आप तो यहां हैं जो तय हुआ वह केन्द्र में हुआ। जैसा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री जी नहीं हैं। उद्देशिका और कार्यपालिका मा0 प्रधानमंत्री जी एवं केन्द्रीय सरकार जो संविधान दिवस मना रही है, अधिकारों को क्यों छोड़ दिया ? क्यों, उद्देशिका के कर्तव्यों पर चर्चा होगी, हमारे लोगों के अधिकार पर चर्चा क्यों नहीं होगी ? इसलिए नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लोगों के अधिकारों को रौंद दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज ये दशा हो गयी है कि पॉलिटिकल या सामाजिक लोग धरना आदि भी देने लगते हैं तो उन पर भी क्रिमिनल धाराओं पर मुकदमें किए जा रहे हैं। जो हमें छूट मिली है, विचारों की अभिव्यक्ति की छूट मिली है, अहिंसक रूप से धरना-प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने की छूट मिली हुई है लेकिन ये सरकार उसे कुचलने का काम कर रही है। आपको ज्ञात होगा कि जितने लोग सरकार से दया मांगने आए कि हे प्रभु सरकार! आप जो हमको दे रहे हैं हमारा परिवार उसमें नहीं चल रहा है। आप दया करिए कुछ हमारा मानदेय, कुछ हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए जिससे हम भी अपने लड़के-बच्चों को अच्छी शिक्षा

दे सकें, हम भी अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहना सकें, हम भी अपनी बीमार मां और पिता का दवा कराकर उनकी सेवा कर सकें। लेकिन उन्हें मिला क्या ? लाठी, आंसू गैस, क्रिमिनल धाराओं में केस और जब इन सबसे सब्र नहीं हुआ तो जेल। चाहे वह आंगनबाड़ी कार्यकत्री हो, रसोइया, दाई हो, रोजगार सेवक हो, अनुदेशक हो, कोई भी हाउस के बगल में अपनी मांग लेकर आया हो तो वह लाठी से पीटा गया है, क्रिमिनल धाराओं में बन्द किया गया है। क्या यही अधिकार हमें मिले हैं ? क्या यही स्वतंत्रता हमें मिली है ? इसलिए मैं कहता हूं कि संविधान दिवस मनाने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को कतई नहीं हो सकता है। इन्होंने संविधान के एक-एक विधानों को रौंदने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

अभी आपका कर्तव्य वाला रह गया है।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष जी, क्या आपने हमें टोका ?

श्री अध्यक्ष-

टोका नहीं, याद दिलाया है। (हंसी)

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष जी, याद तो हनुमान जी को दिलाया गया था। यदि आप हमको भी याद दिला रहे हैं तो सुनिए (हंसी) जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था और कृपा करके आपने हमको याद दिलाया है। जब आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, मैंने नहीं कहा है।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

और फिर न्याय शब्द है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। माननीय अध्यक्ष जी, आज के समय में न सामाजिक न्याय है, न आर्थिक न्याय है, न राजनैतिक न्याय है। सामाजिक समानता का अर्थ है कि हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक हैं लेकिन अब तो राम-राम कहना लेकिन देश में नहीं रहना। अपनी गाय काटकर मुसलमान के घर में फेंक रहे हैं, ये गोण्डा में हुआ। ये तो कहिए पुलिस अधीक्षक ने पकड़ लिया तो बात खुल गयी, बताइए सामाजिक समानता कहां है ? आर्थिक समानता कहां है, जहां देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देश का 80 प्रतिशत धन है, 20 प्रतिशत धन ही पूरे देश की जनता के लिए है तो बताइए आर्थिक समानता कहां हुई ? ये कैसे संविधान दिवस मना रहे हैं। राजनीतिक जीवन की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात है इसका मतलब है कि राजनीति के साथ न्याय। माननीय अध्यक्ष जी, आप सर्वोच्च पीठ पर आसीन हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक लोगों के साथ न्याय कर रही है ? जो भी इनकी कमियों को उजागर किया, चाहे भ्रष्टाचार हो या कुछ भी हो, उस पर सी0बी0आई0, ई0डी0, पुलिस सारे हथकण्डों का इस्तेमाल ये सरकार करती है। अपनी आलोचना सुनने के लिए ये तैयार ही नहीं है। जो राजनीतिक व्यक्ति, पार्टी या सरकार अपनी आलोचना सुनकर उसे सही नहीं करती है वह कभी जनता का कल्याण नहीं कर सकती है।

मान्यवर, आर्थिक समानता, सम्पत्ति का बंटवारा कैसा है, कैसा है न्याय ? इस देश के कुछ पूंजीपतियों को 53 हजार 500 कुछ करोड़ कर्जा माफ कर दिया गवर्नमेण्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सूचना मांगी कि हमको उसकी प्रतिलिपि मुहैया कराइये। लेकिन आज तक केन्द्र सरकार ने वह सूची मुहैया नहीं करायी। यह न्यायपालिका के प्रति भेदभाव है या उसकी गरिमा को बनाये रखने की चाल है ? मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित किया है। चाहे वह सी0बी0आई0 हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे महालेखाकार हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पत्रकारिता हो। लोगों की गरिमा सुरक्षित रखने की बात भी हमारे संविधान में की गयी है। एक पत्रकार मिर्जापुर में लिखता है कि गरीब बच्चों को नोन-रोटी खिलाया जाता है, उसको जेल ? 4-5 पत्रकारों को जेल भेजा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए। हमारे यहां पूरब में एक कहावत है कि जो नाऊन मांग भरती है सिंदूर से शादी के समय, मरने के समय वही नाऊन सिंदूर को धोती है। भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र और प्रदेश सरकार के पास कोई काम नहीं, जिन अखबार और चैनल ने जय-जयकार बोल कर इनकी सरकार को बनवाया, अब उन्हीं को आप जेल में डाल रहे हैं, यही समानता की बात है ? माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। अभी चुनाव हुए हैं, हम भी एक जगह गए थे और आपको याद होगा, आपके सामने की बात है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि मैं रामपुर जा रहा हूं उप चुनाव में, यह आपके सामने की बात है, मैं चाहूंगा कि निष्पक्ष चुनाव हो। मुख्य मंत्री जी ने आपके सामने क्या कहा था, अरे क्या बात करते हैं, चुनाव निष्पक्ष होगा। माननीय अध्यक्ष जी और संसदीय कार्य मंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही साधारण माननीय विधायकों की एक कमेटी बनाकर भेज दीजिए कि वहां चुनाव कैसा हुआ ? आपकी याद माननीय अध्यक्ष जी ताजा कर रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं इस सदन में कभी झूठ नहीं बोलता हूं, न कभी व्यक्तिगत रूप से वेल में गया हूं। मैं रामपुर में था, जो नहीं होना था, वह हुआ। वहां के अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव के दो दिन पहले यदि भूमिगत नहीं हो जाओगे तो चुनाव के बाद देखेंगे। चुनाव के दिन सबेरे 7:00 बजे ही सारे एजेण्टों को जेल भेज दिया गया। उसके बावजूद भी रामपुर की जनता ने, मैंने वहां अपने भाषण में रामपुर की जनता से कहा था कि ऐ रामपुर के लोगों, अगर पुलिस की लाठी से तुम्हारा सिर फट जाये, पुलिस की गोली से तुम्हारा एक हाथ जख्मी भी हो जाए

तो भी पोलिंग पर जाना और एक वोट देने के बाद ही मरना हो तो मरना या जेल जाना हो तो जेल जाना। लोगों ने साहस दिखाया और हमारी जीत हुई। घोसी में क्या हुआ ? जीतती हुई बाजी पलट दी, फिर निष्पक्ष कैसे हुआ चुनाव आयोग ? चुनाव आयोग को मैं स्वयं रामपुर के मामले को लेकर गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

हमारी पार्टी में चुनाव आयोग, महालेखाकार परीक्षक, विधायिका, कार्यपालिका जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। देश के लिए बड़ा अन्धकार का समय आ गया है। हमारे पूर्खों ने सारा अपमान सहते हुए देश को आजाद कराया। गोली खाई, लाठी खाई, फांसी पर चढ़े, जेल गए और चक्की भी पीसा। देश आजाद हुआ और स्वतंत्र संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान के माध्यम से देश को संचालित करने की गरिमा भी दी। आज वही लोकतांत्रिक संस्थाएं तोड़ रही है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप हम सबकी रक्षा करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से थोड़े ही ना सरकार बनाई है। अब इन्होंने सरकार बना ही ली है तो वह अलग बात है। देश की जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं सब ने मांग की कि चुानव बैलट पेपर पर हों, लेकिन ये क्यों मना कर देते हैं। राम के हम भी पुजारी और भक्त हैं। राम जी जिस नदी के किनारे जनमे थे और जिस नदी में उन्होंने जल समाधि ली थी उसी नदी के किनारे के हम हैं। राम जी ने एक धोबी के कहने पर मां सीता को त्याग दिया था और देश के सारे विपक्षी पार्टियां बैलट पेपर से चुनाव की मांग कर रही हैं। तो यह राम-राम कहने वाली पार्टी उनकी मांग क्यों नहीं मान रही है।

मा0 अध्यक्ष जी, समानता शब्द है समानता का भी पालन यह सरकार नहीं कर पाई। समानता में क्या है कि समाज में किसी भी वर्ग के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने की बात संविधान में है। यह सभी वर्गों को समानता प्रदान करती है। मानव-मानव में धर्म-धर्म में बंधुत्व का भाईचारा होता तो इस हिंदुस्तान की जमीन पर सबको यह गले से गले मिलाते। फिर मैं कहता हूं कि यह धर्म से भी ऊपर हो गए हैं। मुसलमान से नफरत, ईसाई से नफरत, बौद्ध से नफरत तो भाईचारा कैसे हुआ ? फिर मैं कह रहा हूं कि यह मूल अधिकार को ले लिया मूल कर्तव्य में। मूल कर्तव्य क्या-क्या दिया गया है। मूल कर्तव्य लाया कौन।

जिन्होंने 19, 20, 21 महीने तक हम लोगों को जेल में रखा, उन्हीं लोगों ने संशोधन करके कर्तव्य को भी जोड़ा। जो खराब है वह अच्छा भी हो सकता है, जो अच्दा है वह खराब भी हो सकता है। मा0 अध्यक्ष जी, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। यह कर्तव्य है, पहले ही है कि वह संविधान का पालन करे लेकिन ये नहीं करते तो ये उसका आदर करें। ये राष्ट्र गान, राष्ट्र गीत में भी विभेद करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने कितने बाद राष्ट्र ध्वज को अपनाया, नागपुर के आर0एस0एस0 के भवन पर कितने दिन के बाद राष्ट्रीय झण्डा फहराया गया तो यह सब कहां से आएगा। मेरा आपके माध्यम से

संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि जब यहां सवेरे राष्ट्र गान वन्देमातरम् होता है तो उसके तत्काल बाद हमारे संविधान की उद्देशिका को भी पढ़ने की व्यवस्था बनाई जाए। पहले वन्दे मातरम् हो उसके तत्काल बाद चाहे आप पढ़ें, चाहे संसदीय कार्य मंत्री जी उद्देशिका को पढ़ें और सभी उसके संकल्प को ईमानदारी से स्वीकार करने की घोषणा करें। मा0 अध्यक्ष जी, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है तो इसको जोड़िए। वन्देमातरम् गीत के बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना कि **हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली न्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

हम यहां पर इसकी शपथ लें और मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप इसको लागू कराएंगे। मा0 अध्यक्ष जी की भावना के अनुरूप मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि जब भी विधान सभा चलती हो तो वन्देमातरम् के तुरन्त बाद इसका अनुसरण किया जाए। मा0 अध्यक्ष जी, मैं मूल कर्तव्य पढ़ रहा था, उसमें है कि स्वतंत्रता के लिए हमें राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें लेकिन आपने उनका नाम तक नहीं लिया कि अपना संविधान बनाने के लिए इस देश के कितने नेताओं ने इसकी मांग की, उन्होंने कितना अपमान सहा, वे कितना अपमानित हुए, कितनी लाठियां खाईं कि भारत के लोगों को भारत का संविधान बनाने की आजादी दो, तब जाकर संविधान का निर्माण हुआ लेकिन इन्होंने उनका नाम तक नहीं लिया तो कैसे ये संविधान का पालन करेंगे। हमारी स्वतंत्रता के लिए हमको राष्ट्रीय आन्दोलनों से प्रेरित करने, उनको संजोने वाले लोगों के उच्च आदर्शों का हम लोग पालन करेंगे। केवल एक सरदार पटेल जी को करते हैं, वह भी डरकर करते हैं, इसलिये कि सरदार पटेल जी ने सबसे पहले आर0एस0एस0 पर प्रतिबन्ध लगाया था। इसलिए ये डरे हुए हैं कि उनकी आत्मा कहीं पुनः जनम ले करके पुनः वही काम न कर दे। इसलिए ये कहते हैं कि हे पटेल जी, हमको अब बचाए रखिए। इसमें यह भी है कि भारत की सम्प्रभुता, एकता तथा अखण्डता की रक्षा करना। इन्होंने यह कह तो दिया है लेकिन न तो इनको भारत की एकता से मतलब है, न अखण्डता से मतलब है। आगे है कि हम देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में

समरसता और समान भागीदारी की मांग करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो।

ऐसी प्रथाओं का क्या करें जो स्त्रियों के सम्मान के लिए न हो जितना लिखा है उसमें एक को भी तो स्वीकार करें। एक भी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मन साफ होना चाहिए, विचार साफ होने चाहिए। मन और कर्म शुद्ध होने चाहिए। हम किसी चीज की आड़ लेकर अपने कुकर्मों को छिपाने का रास्ता न बनायें। कह रहे हैं कि हमने 36 घंटे सदन चलाया। चला कर क्या कर दिया। कभी भी आपका विचार गांधी के विचार से मेल नहीं खाया। यहां तक की अध्यक्ष जी कि खादी के वस्त्र पहनना भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना अपमान समझते हैं। जो खादी ही नहीं पहनता वह गांधी के विचारों के अनुसर चलता है यह गांधी जी के विचारों से खिलवाड़ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पुनः इस बात को कहता हूं और आपके माध्यम से ऐतराज भी दिखाना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा, वह संविधान दिवस के अनुरूप नहीं था। संविधान दिवस के अनुरूप संसदीय कार्य मंत्री का भाषण था, थोड़ा मौर्या जी का भी था। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी गांव ओ0डी0एफ0 कर दिये गये हैं। आप कभी अपने क्षेत्र में जाकर देख लें, संसदीय कार्य मंत्री जी कभी अपने क्षेत्र में घूम लें तो वहां 75 प्रतिशत शौचालयों में भूसा रखा है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था और आज भी कह रहा हूं कि अगर आपने सही बनाया है तो एक बार उस पैखाने में बैठकर पैखाना तो कर लें। मर जाओगे, वहीं गिर जाओगे। इस तरह जनता के साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसा धोखा नहीं दिया और इस योजना को इस प्रदेश में सबसे पहले यदि किसी ने चलाया तो आप भी उस समय एम0एल0ए0 थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी का इसी विधान सभा में दिया गया भाषण है, जब वह पहली बार मुख्य मंत्री हुए थे उन्होंने कहा था कि जब हम गाड़ी में चलते हैं तो सड़क के किनारे जो मां, बेटी, बहनें बैठी रहती हैं, लाइट पड़ती है तो खड़ी हो जाती हैं फिर लाइट बंद हुई फिर बैठती हैं। कितनी ही हमारी मां, बहन, बेटियों को यदि दिन में शौच लगाती है तो उनके जाने का स्थान नहीं होता है। बीमार हो जाती हैं। उस समय इतने पैसे का प्राविधान नहीं था इसलिए उन्होंने अनुदान दिया कि आप शौचालय बनायें सरकार अनुदान देगी कुछ तुमि अपना लगाओ और शौचालय बनाओ बहुत बड़ी संख्या में शौचालय बने भी। दूसरा स्वच्छ गंगा को लेकर कांग्रेसी सरकार ने शौचालय को व्यापक रूप दिया है। मुलायम सिंह ने पहले गंगा के किनारे शुरू की, कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया और ये कहते हैं कि हमने इतने शौचालय बना दिये अभी मेदांता का कुछ दिनों पहले उद्घाटन हुआ है कहते हैं हमने मेदान्ता बना दिया अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन किया, हमने कर दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल जी ने दिया है उसमें कोई सत्यता नहीं है। उसमें कोई सत्यता नहीं है। न कहीं गरीबी में कमी आयी है, न किसानों की आमदनी में कोई अन्तर आया है। आज भी किसान फांसी पर चढ़ रहा है। न नौजनवान लोगों को आज नौकरी मिल रही है और न किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। अध्यक्ष जी, और तो और बीमार को एक टिकिया तक हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है। केवल पैरासिटामॉल है, दवाइयां नहीं हैं। यहां तक कि जब गरीब आदमी को सांप काटता है क्योंकि वह मढ़ई में रहता है, खेत में खलिहान में रहता है। सांप गरीब को काटता है, अमीर के घर में सांप प्रवेश नहीं करता है। सॉप काटने की दवा तक हॉस्पिटल में नहीं है। लोग छटपटा कर मरने के लिए विवश हैं। सामूहिक विवाह की बड़ी चर्चा हुई। अध्यक्ष जी, विवाह के लिए समाज कल्याण विभाग में पहले से ही प्राविधान किया गया था। प्रत्येक जाति की गरीब लड़कियों की शादी के लिए अनुदान का प्राविधान किया गया था। किशोर योजना इन्होंने बनायी ? वह पहले से बाल विकास पुष्टाहार में है। हम भी दो-दो बार मंत्री रहे हैं यह किशोर योजना चल रही है। इसीलिए मैंने इनसे पिछली बार कहा था कि यह हावी हो गये हैं 'राम-राम जपना, पराया काम अपना' माननीय अध्यक्ष जी, इनका संविधान में विश्वास नहीं, लोकतंत्र में विश्वास नहीं, जनतंत्र में विश्वास नहीं। सभी सरकारी संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, इसलिये मैं इनसे कहता हूं। मैं समझ रहा हूं कि अध्यक्ष जी अगल-बगल ताक रहे हैं लेकिन मैं आपको मौका नहीं दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब तो हो गया ?

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मान्यवर, समाज में समरसता ले आइए।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी कह रहे हैं कि आप असत्य नहीं बोल रहे हैं। अब आपका हो गया, आप कन्क्लूड करिए।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

अध्यक्ष जी, एक पन्ना नहीं मिल रहा है जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं खड़ा रहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

पन्ना हमारे पास सादा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

अध्यक्ष जी, समाज में नफरत को यह लोग फैला रहे हैं। हिन्दू-मुसलमान का नारा लगाना छोड़ दें, यह कहें कि हिन्दू-मुसलमान भाई-भाई हैं, हिन्दू-मुसलमान हमारे अंग हैं। दंगे कराना छोड़ दें, सब आपस में भाई-भाई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि 'यह फूल, यह पत्ती, यह कांटे सभी परेशान हो गये हैं, किससे ? आपसे'। 'न जाने कब यह परिन्दे, हिन्दू और मुसलमान हो गये हैं'। 'सूखे लावे भी देखकर हैरान हो गये हैं, सूखे लावे भी देखकर हैरान हो गये हैं, न जाने कब नारियल हिन्दू और खजूर मुसलमान हो गये।' अध्यक्ष जी, हम शान्ति पसन्द लोग हैं हमारे यहां दंगा रहने दो, मत बांटो भगवा और हरे रंग को, हमारी छत पर हमारा तिरंगा रहने दो'। जब इस सिद्धान्त से आप चलेंगे संसदीय कार्य मंत्री जी, आपकी चर्चा चलेगी तब जो संविधान में प्राविधान हैं, वह पूरा होगा। आप तो महीनों तक इस घमण्ड में रहे कि हमको बहुमत मिला है, अरे, बहुमत बहुत लोगों को मिला। स्वर्गीय इन्दिरा गांधी को भी व वर्ष 1977 में जनता पार्टी को जिसमें आप भी समाहित हैं उतनी सीट मिली जितनी कभी मिली ही नहीं। इसी में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस साफ हो गयी क्योंकि एक वोट भी नहीं मिला और 3 साल के बाद वही इन्दिरा गांधी सम्पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गयीं तो आप किस घमण्ड में हैं, हम सत्ता में हैं, बहुमत में हैं। अध्यक्ष जी, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 'कुछ देर की खामोशी है, फिर सौर आयेगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आयेगा'।

माननीय अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऐसे लोगों का जो 'मुंह में राम बगल में छुरी' जैसा काम करते हैं, जो संविधान को धोखा देते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का पुरजोर विरोध करता हूं। संविधान में विश्वास प्रकट करता हूं, डा0 अम्बेडकर और संविधान सभा के जितने भी मेम्बर लोग थे, सबको मैं प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो अवसर दिया, आपने जो सहायता की, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने संविधान दिवस के अवसर पर विधान सभा के इस विशेष सत्र में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा रखे प्रस्ताव पर, जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, उस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, संविधान दिवस के विशेष सत्र में हम लोग इस आशय से आये थे कि यहां पर संविधान दिवस की प्रासंगिकता, संविधान दिवस पर विधान सभा में हुए विभिन्न बहसों पर जो संविधान में हमने समतामूलक समाज की स्थापना का संकल्प लिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इसी मध्य अपराह्न 02 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही पीठासीन हुए।)

उन बातों पर हम विचार करने का काम करेंगे और संविधान निर्माण करने वाले काश्तकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चर्चा होगी और उनके विचारों के अनुरूप भारत के निर्माण में हम सब लोगों का योगदान होगा लेकिन मान्यवर, मुझे काफी दुख हुआ जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने अपनी वाह-वाही कराने का प्रयास किया, अपनी पीठ थपथपाने का काम किया। निश्चित तौर पर संविधान दिवस की चर्चा न करके अपनी पीठ थपथपाने का जो प्रयोग किया गया यह कृत्य संविधान दिवस की गरिमा को गिराने का कार्य किया गया। मान्यवर, कोई पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी, संविधान की धज्जियां अगर सबसे ज्यादा उड़ाने का काम किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने करने का काम किया।

मान्यवर, मुझे याद है, 1997 में हमारे 14 एम0एल0ए0 गये और उनको पहले 24 दिखा दिया, बिना गये 24 दिखा दिया, 8 को वापस दिखा दिया कि वापस चले गये और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसका संज्ञान लेकर एक निर्देश पास करने का काम किया। मान्यवर, निश्चित रूप से केवल एक नहीं अनेक घटनाएं हैं, मैं जिनका जिक्र करके अपना समय जाया नहीं करना चाहूंगा। माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत विस्तार से उस बात का जिक्र किया है। मेरा यह मानना है कि संविधान की जब-जब हम चर्चा करते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम स्वतः ही आ जाता है। संविधान माने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इसके बगैर कल्पना नहीं की जा सकती और बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर का जो सपना था, जो चाहत थी, आज जब हम संविधान दिवस मनाने का काम कर रहे हैं तो हम संविधान की मंशा के अनुसार इस देश में जो हमारी मूल भावना है, जिसका हमने जिक्र किया, जिसका हमने संकल्प लिया है कि हम भारत के लोग, भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व, सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिर्पेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 2019 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

यह इसकी मूल भावना है। इसका मतलब हम बराबरी के आधार पर इस देश के हर व्यक्ति को बराबर सम्मान देने का काम करेंगे, बिना भेदभाव के सबके हितों के लिये काम करेंगे, क्या कदाचित हम इस दिशा में आगे बढ़ पाये हैं ? बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर ने मान्यवर, 25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में दिये गये भाषण को जो पढ़ा था मैं वह

पूरा भाषण पढ़कर सदन का समय जाया नहीं करना चाहता लेकिन जो सारांश था, उसको मैं आपके और सदन के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों, मैं संविधान सभा में केवल इस भावना से आया था कि मैं अछूत वर्ग के हितों की रक्षा कर सकूं। मुझे नहीं मालूम था कि यहां मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। जब मैं संविधान की मसौदा कमेटी में नियुक्त किया गया तो मुझे आश्चर्य हुआ और जब मसौदा कमेटी ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो मुझे और भी आश्चर्य हुआ। मैं असमंजस में पड़ गया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों डाली जा रही है, फिर मुझे हर्ष भी हुआ कि मुझे अपने देश की सेवा करने के लिए अवसर मिल रहा है। महानुभावों संविधान कितना भी अच्छा हो यदि उस पर अमल करने वाले अच्छे न हों तो उससे जनहित न होगा और यदि अमल करने वाले अच्छे हों तो बुरा विधान भी हितकारी हो सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान पर अमल करने वाले कैसे होंगे। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू करके देश स्वतंत्र होगा, किसी समय यह देश स्वतंत्र था परन्तु अपने ही लोगों के विश्वासघात से हम स्वतंत्रता से वंचित हुये क्या इतिहास अपने को दोहरायेगा, इस विचार से मेरा मन चिंतित है। क्या भारत की जनता अपने मत, मजबह या स्वार्थ की अपेक्षा देश को अधिक महत्व देगी। मेरी भावना है कि अपने रक्त की अन्तिम बूंद तक देकर हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिये। यदि हम अपने लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक, आर्थिक लक्ष्य वैध मार्ग से प्राप्त करने चाहिये, हिंसात्मक और कूटनीतिक उपायों से नहीं। इस देश में जितनी भक्ति, जितनी वीर पूजा और जितना अंधविश्वास है उतना किसी अन्य देश में नहीं है। धर्म में भक्ति तथा वीर पूजा मुफ्त का साधन भले ही हो सकती है परन्तु राजनीति में भक्ति तथा वीर पूजा अधोगति में ले जाने वाला अधिनायकवाद हो जाता है।

स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव के आधार पर अधिष्ठित सामाजिक जीवन ही लोकतंत्र कहलाता है। स्वतंत्रता तो हमें मिली किन्तु भारत में समता का अभाव है। यहां के सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला है, इस विषमता को हमें शीघ्र ही मिटा देना होगा अन्यथा बड़े परिश्रम से निर्मित हुआ यह लोकतंत्र का मंदिर मिट्टी में मिल जायेगा। हम एक राष्ट्र हैं, ऐसा मानना आत्मवंचना है। हजारों जातियों में बंटे हुये लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं यह जातियों और वर्ण राष्ट्रविरोधी हैं। इन बाधाओं पर विजय पाने से हम एक राष्ट्र हो सकेंगे जिस संविधान ने हमें जनता के लिये, जनता का और जनता द्वारा तथ्य निहित किये हैं वह दीर्घकाल तक बना रहे यदि हम ऐसा चाहते हैं तो सामने उपस्थित संकटों को समझने और उन्हें दूर करने में देर नहीं करनी चाहिये। देश की सच्ची सेवा का यही मार्ग है यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 25 नवम्बर, 1949 को अपने अन्तिम भाषण में इस बात का जिक्र किया था उनके भाषण का सारांश है, इसमें जो उपयोगी था, उसको मैंने एक साथ आपके सामने रखने का काम किया है। मान्यवर, हम जब किसी दिवस को मनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य होता है कि हम उस दिवस के तमाम संकल्पों को याद करने का काम करें और

उसके आधार पर समाज में हम संकल्प लें कि हम उन आदर्शों को पूरा करके इस देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे।

अगर इस काम को करने में हम सफल होते तो निश्चित रूप से भारत एक मजबूत राष्ट्र, दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बनने का काम करता। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जापान का उल्लेख किया कि जापान हमारे बाद आजाद हुआ और आज दुनिया में आर्थिक विकास में जापान का कोई मुकाबला नहीं है जबकि मान्यवर, जापान का जो भौगोलिक कारण हैं, वहां पर हर वर्ष भूकम्प आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर वहां एटम बम गिराया गया, जिसके कारण जापान तबाह हुआ था उसके बाद भी जापान ने प्रगति की क्योंकि उसने समता पर आधारित समाज को बनाने का काम किया। आज हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है, जब हम संविधान दिवस मनाने का काम कर रहे हैं तो हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि क्या हम समतामूलक भारत का निर्माण कर पायें ? हम कहते हैं कि हम जातिवाद के आधार पर काम नहीं करेंगे, निश्चित रूप से यह अच्छी बात है, कहने और करने में अन्तर है कहते हैं कि हम जातिवादी लोगों का मुकाबला करेंगे, निश्चित रूप से अच्छी बात है। हमें समाज को एक निर्पेक्ष, बिना भेदभाव का समाज बनाने का काम करना है। मान्यवर, लेकिन क्या हम उसको मिटाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं ? क्या आज पूरे देश में बड़े पैमाने पर जाति के आधार पर हमारे साथ अन्याय और अत्याचार नहीं हो रहा है ? क्या पूना में, क्या गुजरात में, तमाम जगहों की जो घटनायें हैं, जो जाति के आधार पर प्रताड़ित करने की घटनायें हैं, धर्म के आधार पर जिस तरह से पेहलूखान के साथ घोर अन्याय किया जाता है जिस तरह से अनेक घटनायें हैं, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, चाहे जाति के आधार पर हो, क्या हम उसको मिटाने का काम कर सके हैं, क्या हम उसको बढ़ावा देने का काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम इस बात का उत्तर जानना चाहें तो मान्यवर, मेरा यह निश्चित रूप से मत है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और धर्म के पक्षपात से आकण्ठ तक डूबी हुई है और उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। मान्यवर, निश्चित रूप से इससे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकेगा उससे भारत, जापान जैसा देश नहीं बन पायेगा।

अगर भारत को जापान जैसा देश बनाना है, विकसित देश बनाने का काम करना है तो उन बाधाओं को, जिसका जिक्र बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में किया था, उसको मिटाने का काम करना होगा। हालांकि संविधान सभा में डा0 राजेन्द्र प्रसाद जी ने भी बाबा साहेब के योगदान का बड़े पैमाने पर जिक्र करने का काम किया था, बधाई देने का काम किया था। मान्यवर, लेकिन जाति की मानसिकता के कारण ही बाबा साहेब को संविधान सभा में आने के लिए लम्बा संघर्ष करना पड़ा था निश्चित रूप से पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया कि वह महाराष्ट्र से न जीतने पायें जब वह पश्चिम बंगाल के जिस क्षेत्र से जीत कर आये, उस क्षेत्र से वह संविधान सभा के सदस्य न रहने पायें, इसलिए उसको पाकिस्तान को दे दिया गया। जबकि हमने जो शर्तें तय की थीं, उसके अनुसार उसको

भारत में रहना चाहिए था। बड़े संघर्षों के बाद, बड़े आन्दोलन के बाद, ब्रिटिश हुकूमत के दबाव के बाद बाबा साहेब संविधान सभा में शामिल हो पाये थे। महाराष्ट्र के एक सदस्य ने इस्तीफा देकर उनको शामिल करने का काम किया था और उन्होंने बढ़े अच्छे ढंग से इस संविधान में अनेक ऐसी बातें डाली हैं, जिनका जिक्र करना निश्चित रूप से जरूरी है। मान्यवर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि 'इस देश में अनूठे देश भक्त हैं और राष्ट्रवादी हैं'। बाबा साहेब ने कहा था कि भारत एक अनूठा देश है, इसके राष्ट्रवादी एवं देशभक्त भी अनूठे हैं। भारत में एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त वह व्यक्ति है जो अपने समान अन्य लोगों के साथ मनुष्य से कमतर व्यवहार होते हुए, अपनी खुली आंखों से देखता है लेकिन उनकी मानवता विरोध नहीं करती, उसे मालूम है कि उन लोगों के अधिकार अकारण ही छीने जा रहे हैं लेकिन उसमें मदद करने की सभ्य संवेदना नहीं जगती। उसे पता है कि लोगों के एक समूह को सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दिया गया है। लेकिन उसके भीतर न्याय और समता का बोध नहीं होता मनुष्य और समाज को चोटिल करने वाले सैकड़ों निन्दनीय रिवाजों के प्रचलन को उसे जानकारी है, लेकिन वह उसके भीतर घृणा का भाव पैदा नहीं करते हैं। देश भक्त सिर्फ अपने और अपने तर्क के लिए सत्ता का आकांक्षी होता है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं देश भक्तों के उस वर्ग में शामिल नहीं हूं, मैं उस वर्ग में हूं जो लोकतन्त्र के पक्ष में खड़ा होता है और हर तरह के एकाधिकार को ध्वस्त करने का आकांक्षी है, हमारा लक्ष्य जीवन के हर क्षेत्र राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक में एक व्यक्ति, एक मूल के सिद्धान्त को व्यवहार में उतारना है।'' यह बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था।

मान्यवर, आज क्या हो रहा है आज चाहे एटा हो या अन्य जिले हों, कि एक वर्ग का दूल्हा घोड़े पर न चढ़ सके और उसको हम प्रथा के नाम पर बढ़ावा देने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि केरल के एक मन्दिर में महिलाओं का भी प्रवेश हो सकता है लेकिन एक सरकार और एक पार्टी ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी धज्जी उड़ाने का काम कर रही है और उसके बाद हम स्त्रियों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल जी ने कहा कि आज हम संविधान दिवस इसलिए मना रहे हैं कि हमें निश्चित रूप से जनता का ध्यान उन मुद्दों से हटाना है जिन पर हम सफल नहीं हो पाये। हमने वादा किया था कि हम इस देश के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे लेकिन हम उस दिशा में काम नहीं कर पाये, हमने वादा किया था कि हम कालाधन भारत में लाकर लोगों को मालामाल बनाने का काम करेंगे लेकिन हम उस दिशा में काम नहीं कर पाये, हमने अच्छे भारत के दिन लाने का विश्वास दिलाया था, हमने मंहगाई को खत्म करने का विश्वास दिलाया था लेकिन उस दिन को हम ला नहीं पाये इसलिए उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए संविधान दिवस जिसे पहले कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था उसको मनाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, बाबा साहब ने अनेक चिन्ताएं व्यक्त की थीं, स्वतन्त्रता और समानता जैसे विचार की स्थापना संविधान में नियमों के जरिये की गई हैं। इन

दोनों विचारों को मूल अधिकारों के अध्याय में शामिल करके इनके महत्व को रेखांकित किया गया है लेकिन इन दोनों से महत्वपूर्ण या बराबर महत्वपूर्ण है बन्धुत्व का विचार। क्या कोई कानून का संविधान दो या अधिक लोगों को भाईचारे के साथ रहना सिखा सकता है क्या कोई कानून मजबूर कर सकता है कि हम दूसरे नागरिकों के सुख और दुःख में साझीदार बनें और साझा सपने देखें। क्या इस देश में दलित उत्पीड़न पर पूरा देश दुःखी होता है क्या मुसलमानों या ईसाइयों पर होने वाले हमलों के खिलाफ पूरा देश एकजुट होता है, क्या आदिवासियों की जमीन का जबरन अधिग्रहण राष्ट्रीय चिन्ता का कारण है, दुःख के क्षणों में अगर नागरिकों में साझापन नहीं है तो जमीन के एक टुकड़े पर बसे होने और एक झंडे को जिन्दाबाद कहने के बावजूद हम लोगों को एक राष्ट्र बनाना अभी बाकी है। राष्ट्र बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम अतीत की कड़वाहट को भूलना सीखें। अमूमन किसी भी बड़े राष्ट्र के निर्माण के क्रम में कई अप्रिय घटनाएं होती हैं जिनमें कई की शक्ल हिंसक होती है और वह स्मृतियां लोगों में साझापन पैदा करने में बाधक होती हैं। राष्ट्र जब लोगों की सामूहिक चेतना में है तभी राष्ट्र है, बाबा साहब चाहते थे कि भारत के लोग तमाम अन्य पहचानों से ऊपर खुद को सिर्फ भारतीय मानें, राष्ट्रीय एकता इस प्रकार से स्थापित होगी। बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर के राष्ट्र सम्बन्धी विचारों को दोबारा पढ़े जाने की जरूरत है। आज संविधान दिवस के रूप में जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो हमने इस पर भी चिन्ता व्यक्त करने का काम किया है। हमने इस पर कितनी चिन्ता व्यक्त करने का काम किया, कितना हमने इसको लागू करने का विचार किया, कितना हमने एक अच्छा देश बनाने का काम किया। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी प्रस्ताव रखते हुए जो जिक्र किया उसमें संविधान की धारा-44 का उल्लेख किया था जिसमें एक समान सिविल संहिता था लेकिन अनुच्छेद-46 का उल्लेख नहीं किया।

अनुच्छेद-46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की बात कही गई है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों का विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार से शोषण से उसका संरक्षण करेगा, यह अनुच्छेद-46 में है। क्या यह सरकार उस दिशा में काम कर रही है। हमारी सरकार में अनुसूचित जाति के बच्चों का एडमिशन विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क (शून्य फीस पर) होता था, इसको इन्होंने बन्द कर दिया। जब लोग इस पर आन्दोलित हुए, तो मैंने मा0 समाज कल्याण मन्त्री का बयान समाचार-पत्रों में पढ़ा कि जितने सरकारी विद्यालय होंगे, अनुदानित विद्यालय होंगे, उनमें जीरो फीस पर एडमिशन होगा, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होंगे, निजी प्रबंधन कॉलेज होंगे, वित्त पोषित कॉलेज होंगे, उसमें जीरो फीस पर एडमिशन नहीं होगा। यह दोहरी मानसिकता है यह धारा-46 का कतई उल्लंघन है। इस धारा-46 का उल्लंघन करके हम संविधान दिवस मनाते हैं। मान्यवर, मेरा यह भी मानना है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आज के सामाजिक वातावरण के इस बात की कल्पना करने का

काम नहीं किया था। हमारे संविधान के निर्माताओं ने इस बात की कल्पना की थी कि भारत एक आदर्श देश बनेगा, इसलिए संविधान में तमाम विषयों का जिक्र किया गया है, लेकिन क्या आज इसको पूरा किया जा रहा है ? हमने संविधान में मुख्य मन्त्री और मन्त्री को पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए देखा था और संविधान में इसका उल्लेख भी है, लेकिन गोपनीय ढंग से मुख्य मन्त्री को शपथ दिलाया जायेगा, कैबिनेट की गोपनीय बैठक हो जायेगी, इसका कहीं संविधान में उल्लेख नहीं है। यह नैतिक मूल्यों का ह्रास है और लोकतंत्र को कलंकित करने वाला कृत्य है, इस संविधान दिवस के अवसर पर इसकी जितनी भर्त्सना की जाये, वह कम है, ऐसा मेरा मानना है। मान्यवर, निश्चित रूप से हम संविधान दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन हम उन बातों पर ध्यान देने का काम नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से 25 जून, 1975 में जो एक घोषित इमरजेंसी लगी थी, आज अघोषित इमरजेंसी है। आज अघोषित इमरजेंसी में रातोंरात परिवर्तन हो जाता है। हमने संविधान में कहा है कि हम बिना भेदभाव के काम करेंगे। अगर सत्तापक्ष में है, तो भ्रष्टाचारी गंगाजल से नहा लेता है और विपक्ष में है, तो वह भ्रष्टाचारी बन जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं, व्यक्ति जेल से मुक्ति पा जाता है, शपथ के पहले जेल से छूट जाता है, ऐसा हरियाणा में हुआ है। महाराष्ट्र में 75 हजार करोड़ के घपले की जांच बन्द हो जाती है, यानि भारतीय जनता पार्टी की तरह पवित्र है। चाहे जितना पाप करके भारतीय जनता पार्टी में ाप चले जाइये, तो आप का सारा पाप खत्म हो जायेगा। अगर यह हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा है और इस कृत्य के बाद भी हम संविधान दिवस को याद करें तो निश्चित रूप से हम अपने महापुरुषों के साथ और उन आत्माओं के साथ, जिन्होंने संविधान को हमें देने का काम किया है, जिन्होंने हमें आजादी देने का काम किया है, उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। मान्यवर, निश्चित रूप से हमें इन बातों पर विचार करना होगा कि हम क्या इस दिशा में काम कर पा रहे हैं। मान्यवर, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान दिवस मना रही है और यह पहली ऐसी सरकार है, जब दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलायी गयीं, बाबा साहब के बारे में मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम किया गया और यह सरकार मूक दर्शक बनी रही। उन लोगों की पहचान करके उनको दण्ड देने का काम नहीं किया और आज हम राष्ट्र ध्वज के सम्मान की बात करते हैं। आज धार्मिक आयोजनों में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है। हमारे यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने का नियम है। शाम को दिन डूबते वक्त ध्वज को उतार लिया जाता है, लेकिन क्या ऐसा होता हुआ दिखायी पड़ रहा है। तमाम ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं, जिसमें दिन-रात तमाम लोग नशा करके जूलूस में उस राष्ट्रीय ध्वज का एक तरह से अपमान करने का काम करते हैं। क्या यह संविधान दिवस की प्रांसांगिकता है ? क्या इस तरह से संविधान दिवस को मनाना सार्थक होगा ? मान्यवर, बाबा साहब ने कहा था कि हमें अंधविश्वास को दूर करना है। अभी मा0 संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कहा कि हमें जापान की तरह आगे विकसित होना है। क्या जापान में इस तरह का अंधविश्वास है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अयोध्या में जाकर लाखों-करोड़ों दिया

जलाकर हम क्या देने का काम कर रहे हैं ? निश्चित रूप से हम जनता को अंधविश्वास की तरफ ढकेल रहे हैं।

माननीय नेता विरोधी दल भी अंधविश्वासी हैं। लेकिन मैं उस पर नहीं कहना चाहता। यह बढ़ावा नहीं दे रहे हैं स्वयं चाहे जो करते हों। यह सरकार ऐसी सरकार आई है जो अंधविश्वास के बल पर जनता को ठगने का काम कर रही है, जनता को धोखा देने का काम कर रही है। अगर हम चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने। हमारे अन्दर भी एक पीड़ा है हम भी चाहते हैं जहां हमने जन्म लिया है वह देश दुनिया का सिरमौर बने लेकिन हमें उसके लिये आचरण उस तरह का करना होगा। हमें अंधविश्वास से दूर रह कर समतामूलक समाज बनाने का काम करना होगा। अभी मैंने देखा। आप कहते हैं कि हम सबको एक समान देखेंगे। निश्चित रूप से हम इस विधान सभा में बजट भी पास करते हैं। बजट पास करते हैं और सत्ता पक्ष के लोगों को विशेष बजट के तहत उनको अपने क्षेत्र में 5 करोड़ की सड़क बनाने की जिम्मेदारी देते हैं और विपक्ष के विधायक को हम उससे दूर रखने का काम करते हैं। इतना ही नहीं मान्यवर, हम कहते हैं कि बिना भेद-भाव के शासन करने का काम करेंगे। विपक्ष का एक विधायक अगर रातों रात इनकी नीतियों के प्रति निष्ठा दिखा देता है तो उसको अगर सुरक्षा का खतरा न भी हो तब भी उसको वाई श्रेणी और जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल जाती है और विपक्ष के लोग मांग करते रह जायं वास्तविक सुरक्षा की आवश्यकता है, तब भी उनको सुरक्षा देने का काम नहीं होता है। इससे ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया और क्या हो सकता है। निश्चित रूप से मान्यवर, यह जो निर्णय है, यह जो कृत्य है, यह संविधान को कलंकित करने वाला कृत्य है। अगर हम वास्तव में संविधान, जो हमारे देश की आत्मा है, संविधान, जिसके आधार पर हम एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, जिस पर हम सबकी आस्था है, अगर हम उस संविधान के आधार पर, इस देश को कानून के राज के आधार पर जिसका जिक्र माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने किया है। अगर हम उसका जिक्र करने का काम करें तो निश्चित रूप से हम एक आदर्श भारत का निर्माण करेंगे।

मान्यवर, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं कि आज जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं चाहे वह सीबी0आई0 हो या और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसको आज मुट्टी में करके लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। अगर इस देश की जनता डर कर, इस देश की राजनीति में रहने वाला व्यक्ति डर कर काम करेगा तो जनता के हित के लिये काम नहीं कर पायेगा। निश्चित रूप से इन संस्थाओं का जो मान-सम्मान गिराने का काम किया जा रहा है। आज इस देश में आपने देखा मान्यवर कि सी0बी0आई0 के लोग आपस में ही एक दूसरे को गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, सी0बी0आई0 के लोगों द्वारा एक दूसरे को गिरफ्तार करने का एक उदाहरण भी आपने देखा कि एक दूसरे को गिरफ्तार करने गया तो उसको किसी दूसरे लोगों ने गिरफ्तार करने का काम कर रही है।

हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं निश्चित रूप से उनकी छवि को धूमिल करने का किया जा रहा है। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

वर्मा जी, समाप्त करियेगा।

***श्री लाल जी वर्मा-**

बस दो मिनट मान्यवर। माननीय राज्यपाल महोदया ने अभी यहां पर अभिभाषण पढ़ा। हमने तो अपेक्षा किया कि आज केवल संविधान दिवस पर हम जो चर्चा करेंगे लेकिन इसमें वाह-वाही लूटने के लिये तमाम बातें रखी गईं। इसमें जो एक 61 लाख इज्जतघर शौचालय देकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और सारे प्रदेश के जनपद ओ0डी0एफ0 घोषित हो गये। मान्यवर, मैं गॉव में आज भी रहता हूं। नेता विरोधी दल ने उसका जिक्र किया है। मैं भी इस बात को कहना चाहता हूं कि इससे मिथ्या बात तो और कोई हो नहीं सकती। कोई भी गांव ओ0डी0एफ0 नहीं हो पाया है। मान्यवर, आप भी गॉव में रहते हैं। आप जाते होंगे कम बरसात के दिनों में जो सड़कें आपके सामने हैं उसमें गाड़ी जाने में किस तरह का सामना करना पड़ता है उसको आप देख रहे होंगे। निश्चित रूप से झूठ का पुलिन्दा इस अभिभाषण में अपने विकास के कार्यों को दिखाने के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया गया है। निश्चित रूप से इसी तरह का झूठ का पुलिन्दा, वाहवाही लूटने का काम कुम्भ में किया गया। हमने बड़ा-बड़ा कुम्भ करा डाला। इस देश की जनता को हमने क्या देने का काम किया ? कितने नौजवानों को आपने रोजगार देने का काम किया। आपने कहा था कि हम 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे सरकारी। कितने लोगों को आपने ढाई साल पौने तीन साल में देने का काम किया। कितने लोगों को आपने अच्छा घर देने का काम किया। सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों के लोगों को हमने रिजर्वेशन दिया है लेकिन वह आज पूरा नहीं हो रहा है। कुछ संस्थाओं में अभी हमारी विधायक डा0 सुषमा पटेल ने एक सवाल किया था।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारी मा0 सदस्या श्रीमती सुषमा पटेल जी ने एक प्रश्न किया था कि पूरे प्रदेश में जितने भी राज्य सरकार के नियंत्रण में सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उसमें पिछड़े वर्ग के केवल 2 प्रोफेसर थे। हमारी संख्या केवन 2 थी। अगर हम इस तरह से सबको साथ लेकर काम करेंगे तो कैसे इस देश में समतामूलक समाज बन पायेगा इसलिए आज संविधान दिवस की प्रासंगिकता है, बाबा साहब के प्रति हमने उनका सम्मान करने की बात की। हमारे सदस्य मा0 श्री उमाशंकर सिंह जी नियम-300 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव लाये थे कि इस सदन में हम बाबा साहब को संविधान का वास्तुकार, शिल्पीकार मानते हैं। बाबा साहब ने समतामूलक समाज की स्थापना की नींव रखने का काम किया था तो इस विधान सभा सदन में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सामने बाबा साहब की एक प्रतिमा लगायी जाये, उसक काम को भी अभी तक नहीं किया गया है। मुझे खुशी होती कि इस संविधान की किताब के साथ-साथ बाबा साहब का चित्र भी आज लगा होता तो निश्चित रूप से बाबा साहब के प्रति यह श्रद्धांजलि होती। उनका सम्मान बढ़ाने का कार्य होता, लेकिन यह तो केवल वाहवाही लूट रहे हैं। बाबा साहब के समाज के लोगों को, बाबा साहब के चाहने वाले लोगों को जिन लोगों के लिए बाबा ने पाकिस्तान की नागरिकता को ठोकर मारकर भारत में आने का कार्य किया। जिस काम के लिए उन्होंने अपने को समर्पित करने का कार्य किया, आज उस समाज की पीठ पर मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके अधिकारों को छीना जा रहा है, उसको हक देने का काम नहीं किया जा रहा है और उसके बाद हम वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसके चलते हमारा संविधान दिवस मनाना निरर्थक होगा। हम संविधान को आत्मा से स्वीकार करते हैं, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव का हम विरोध करते हैं, इसलिए कि जो अभिभाषण महामहिम राज्यपाल ने यहां पर दिया है, वह मिथ्या पर आधारित है। सरकार की गलत नीतियों का मिथ्या के आधार पर उनका गुणगान करने का काम किया है, इसलिए मिथ्या के प्रचार से हम सहमत नहीं हो सकते। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए संविधान दिवस के अवसर पर इस देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को अपने और अपने दल की तरफ से बधाई देते हुए हार्दिक अभिनन्दन करते हुए मैं अपेक्षा करूंगा कि हम आज के दिन इस बात का संकल्प लें कि हम इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे, आर्थिक विषमताओं को दूर करने का काम करेंगे, नवजात धनाड्यों को बढ़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको हम उससे दूर करके इस देश के हर नागरिक को सम्मान देने का काम करेंगे। इन्हीं संकल्पों के आधार पर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम।

***श्री नील रतन सिंह पटेल (नीलू)-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर और उसके समर्थन मे मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी के साथ मैं अपने आपको सम्बद्ध करते हुए संविधान के रचयिता, विश्व के छठे विद्वान बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस देश को 15 अगस्त, 1947 को आजादी मिली और आजादी को पाने के लिए न जाने कितनी मांओं से उनके लाल बिछड़ गये, न जाने कितनी बहनों से उनके भाई बिछुड़ गये, न जाने कितने मासूमों के सिर से उनके मां-बाप का साया छिन गया।

अपनी जवानी को जेल की सलाखों के पीछे बरबाद करने का काम किया। तब जाकर यह आजादी मिली और इस आजाद देश में इस देश को चलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सक्षम और समृद्धशाली संविधान को बनाकर हमारे आपके हाथों में देने काम किया। 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब हमारे देश के क्रांतिकारियों ने आजादी के उन दीवानों ने अंग्रेजों को इस देश से जाने के लिए मजबूर किया तो अंग्रेज लोग इस भारत को छोड़ने का मन बना चुके थे आर 1946 में अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए गम्भीरता से विचार किया अंग्रेजों ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा स्थापित करने की सम्भावनाओं पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और विभिन्न भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों से एक साथ मिलने की योजना के कारण भारत के अन्दर एक कैबिनेट मिशन भेजने का काम किया। 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था डा0 राजेन्द्र प्रसाद इसके स्थाई अध्यक्ष और डा0 बी0आर0 अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रारूप रिपोर्ट तैयार करने के लिए 13 समितियों की स्थापना की गई जिसका गठन संविधान पूरा होने के बाद किया गया था। संविधान सभा के 389 सदस्य थे जिसमें प्रारम्भिक विश्लेषण विवरण में प्रान्त के 292 प्रतिनिधि देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि मुख्य आयुक्त क्षेत्रों के तीन प्रतिनिधि तथा बलूचिस्तान का एक प्रतिनिधि शामिल था बाद में मुस्लिम लीग की संख्या कम होने के कारण 293 प्रतिनिधि रह गए थे जनवरी 1948 भारतीय संविधान का पहला प्रारूप विचार विमर्श करने के लिए प्रस्तुत किया गया था 4 नवम्बर 1948 में 32 दिनों तक विचार-विमर्श जारी रहा इस अवधि के दौरान 7635 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे और उनमें से 2473 पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई थी संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए थे 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे जिनमें 15 महिला सदस्य भी शामिल थीं। 26 जनवरी, 1950 को इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था।

माननीय अधिष्ठाता महोदय भारत के मूल संविधान को हिन्दी और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को जटिल लेख और इटैलिक धारा प्रवाह में लिखा गया था पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन के कलाकारों ने प्रत्येक पृष्ठ के प्रस्तुतीकरण पर भी कार्य किया था। इसकी अंग्रेजी और हिन्दी की मूल प्रतियां भारतीय संसद पुस्तकालय में हीलियम से डिजाइन किए गये विशेष पात्र में संरक्षित हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे दीर्घ और सबसे विस्तृत संविधान है और इसमें 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं तथा मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियॉ सम्मिलित हैं। भारत के संविधान को संस्कृति धर्म और भौगोलिक दृष्टि से सबसे अच्छा लिखित संविधान माना जाता है। तथ्य यह है कि आज तक इसमें केवल 110 संशोधन हुए हैं, जो संविधान सभा द्वारा लिखित अपने विचारों की व्यापक प्रकृति को दर्शाते हैं। भारतीय संविधान फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैण्ड गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यू0एस0ए0आर0 इन सभी देशों के संविधान से प्रेरित है इसमें तमाम चीजें इन देशों के संविधान से ली गयी हैं। डा0 बी0आर0 अम्बेडकर जी ने स्पष्ट किया कि भारत एक संघ है और किसी भी राज्य को

संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है जब 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था तब एक तर्ज प्रस्तुत हुआ था कि क्या भारत एक संघ है या एक महासंघ है ? डा0 अम्बेडकर जी ने प्रारूप तैयार करने के चरण में भारत को मजबूत एकतावादी बनाने के लिए महासंघ कहा था सहयोगी संघवाद शब्द जल्द ही लोकप्रिय हो गया था जिसमें राज्यों और केन्द्रों की दोहरी राजनीति के बारे में बात की गयी थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना है कि भारत एक सर्वश्रेष्ठ समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। समाजवादी शब्द संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 1976 के पश्चात् सम्मिलित किया गया था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, देश का संविधान लागू होने के बाद इस देश की शासन सत्ता जिनके हाथों में गई थी उन लोगों ने संविधान परख इस देश को चलाने का काम नहीं किया। यह देश विविधताओं का देश है यहां जातियॉं, उपजातियॉं तमाम जाति धर्म के लोग इस भारत देश के अन्दर रहते हैं लेकिन जो संविधान हमें समानता की भावना को रखने का भाव देता है उस समानता को पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा इस देश के अन्दर लागू नहीं किया गया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर हम सच माने में डा0 भीमराव अम्बेडकर के असली पोषक हैं, उनको माने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं तो आज इस संविधान दिवस के अवसर पर हम सब लोगों को यह सौगन्ध लेना होगा कि सिर्फ बाबा साहब के नाम पर हम अपनी राजनीति की रोटियों को सेंकना बंद करें और सच्चे मायने में हम समाज के हर वर्ग को उसका मान-सम्मान और अधिकार देने का काम करें। आज इस देश के अन्दर एन0डी0ए0 की यह पहली ऐसी सरकार है जो गांव, गरीब, खेतों, खलियानों में रहने वाले जो गरीब है जो बूढ़े बाप हैं जो हमारी बूढ़ी मां है उनकी चिन्ता अगर किसी ने की है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किया है, और आज हमारी देश की सीमायें जो सुरक्षित नहीं थीं कश्मीर का मुद्दा हम लोगों को बराबर सालता था।

यह हमारी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति की देन है कि आज कश्मीर के अन्दर धारा-370 और अनुच्छेद-35 ए को हटाकर यह दिखाने का काम किया गया है कि हम सच्चे मायने में डा0 भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और हम लोगों की भारत के संविधान में आस्था है। माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, जय भीम।

***खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0, निवेश प्रोत्साहन मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, संविधान दिवस के इस महत्वपूर्ण दिन पर आपने सदन में मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं मैं अपनी मूल बातों पर आने से पहले आदरपूर्वक कुछ बात रखना चाहता हूं माननीय नेता विपक्ष ने शुरूआत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क थी और यह कहा था कि भारतीय जानता पार्टी ने संविधान को तार-तार किया है, लेकिन शायद वह यह भूल गये होंगे कि इमरजेन्सी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाई थी, जिस हाथ ने इमरजेन्सी लगाई थी उस हाथ को आपने पकड़कर अपनी साईकिल पर बिठाया था। यह भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं था। साथ ही साथ माननीय नेता विपक्ष ने श्री राज्यपाल के कुछ विषयों पर भी चर्चा की है। यहां पर जितने भी सदस्य बैठे हैं हम सब लोगों को पता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को संविधान द्वारा बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। श्री राज्यपाल को जो अधिकार दिये जाते हैं उन प्राप्त अधिकारों के तहत उनके द्वारा किए गए कार्य सही हैं या गलत हैं उसकी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं और उसको चैलेन्ज करने या उन पर टिप्पणी करने का अधिकार इस एसेम्बली अथवा किसी भी एसेम्बली को प्राप्त नहीं है इसे कोर्ट में जाकर चैलेन्ज किया जा सकता है यह बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। शुरूआत से ही एक डायरेक्टिव प्रिन्सिपल की बात होने लगी। पहले तो समझ में नहीं आता कि संविधान दिवस मनाने के अवसर पर विपक्ष खुश है अथवा दुखी है। मुझे लगता है कि उनको दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरूआत की है और जब वह सत्ता में थे तो इस दिवस को मना नहीं पाये। इसी कारण से वह भारतीय जनता पार्टी पर अपना दुख या रोष प्रकट कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था उसके अन्दर और संविधान के अन्दर बहुत स्पष्ट रूप में यह कहा गया है कि जो उद्देशिका है या जो डायरेक्टिव प्रिन्सिपल हैं उसके तहत सरकार को अपनी नीति और योजनायें बनानी हैं और उसके तहत उनको कार्य करना है। अब महामहिम की सरकार उसके तहत कार्य करे और उसकी चर्चा करे तो विपक्ष से आवाज उठ रही है कि उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। यदि महामहिम जी पीठ से कहती कि आपने उसका पालन नहीं किया है तो विपक्ष से तालियां बज जाती। यह दोहरे मापदण्ड तो हो नहीं सकते हैं। इसलिये जो डायरेक्टिव प्रिन्सिपल हैं वह भी संविधान का उतना ही महत्वपूर्ण अंग बनता है जिसके तहत सरकार को चलना चाहिये इसलिये भी चलना चाहिये और नीतियां इसलिये भी बननी चाहिये क्योंकि जो फण्डामेण्टल राइट्स होते हैं उनकी रक्षा आप नीतियों और योजनाओं को तहत करते हैं जो आपके डायरेक्टिव प्रिन्सिपल और संविधान कहता है इसके लिए चर्चा ना हो यह सही नहीं होता है। एक शब्द का बहुत इस्तेमाल किया गया और वह शब्द है 'हम' और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी 'हम' नहीं समझती है। हम का कहा गया है कि हम सब लोग एक हैं और जब यह कहा जाता है तो किस संदर्भ में लोग उसको जोड़ना चाहते हैं ट्रिपल तलाक का उसके बारे में बताना चाहिए। क्या लिंग समानता हम एक हैं? जो ब्रेकेट्स में लिया गया है उसके तहत आते हैं या नहीं आते हैं।

अध्यक्ष जी, यह विचार करने का विषय हो जाता है, जब यह बोला जाता है तो विचार करने का विषय हो जाता है। जब आर्टिकल 370 की चर्चा होती है तो आर्टिकल 370 के अन्दर और कर्तव्य के विषय पर जब इस सदन में, यह सही बात है कि जब इस सदन में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बोलते हैं तो उसकी प्रशंसा की गई। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उसके

अन्दर जो प्रथम कर्तव्य है वह कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। अध्यक्ष जी, संविधान की संस्थाओं में सी0बी0आई0 का बड़ा जिक्र किया जा रहा है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कहीं सी0बी0आई0 पर टिप्पणी करी है कि, वह ऐज पायरेट है, वह कांग्रेस का शासन काल था भारतीय जनता पार्टी का नहीं। उसी तरीके से जब राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की जब चर्चा हो रही है तो किस आधार पर हम लोग संविधान की दुआएं देते हैं और भूल जाते है कि संविधान के अन्दर जो यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात होती है वह लिखा जाता है मैं उसको अंग्रेजी में पढ़ देता हूं गिवन दि वास्ट डायवर्सिटीज एमंग दि प्यूपिल दि प्रिसेंस ऑफ वन फ्लैग एंड सिंगल सिटिजनसिप स्ट्रैंथन दि ब्रदरहुड एमंग दि सिटिजन ऑफ दि कंट्री अर्थात कि एक ध्वज और साथ ही साथ एक नागरिकता ही भाईचारे को बढ़ावा देती है। जब यह संविधान में लिखा है तो आर्टिकल 370 के तहत या आर्टिक-370 की प्रशंसा इस सभागार में या इस हाउस के अन्दर क्यों नहीं होती है ? जब यह हटाया गया 70 साल बाद किसी पार्टी ने, किसी प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत जुटाई कि यह हटना चाहिए और दिल्ली के अन्दर राज्य सभा के अन्दर मेजॉरिटी न होते हुए भी आधे से ज्यादा बहुत सब पार्टियों ने मिलकर दिया? साथ ही साथ मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन समाजवाद शब्द का राजनीतिकरण करने का प्रयास हुआ है और उसको पार्टी के नाम के साथ जोड़ने का भी प्रयास है। जब संविधान लिखा गया था तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय न समाजवादी पार्टी थी, न ही बहुजन समाज पार्टी थी। आप लोग भूल जाते हैं भाजपा का उस समय एक और नाम हुआ करता था जनसंघ, जिनके आधार पर हम लोग यहां खड़े हैं डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान लिखने की जो परम्परा थी उसके अन्दर जो सदस्य थे उसके अन्दर वह भी सदस्य थे। मगर समाजवाद क्या है इसका सही मतलब शायद संविधान के अन्दर जो लिखा है वह तब समझेंगे जब यहां पर बैठी हुई या जो आए नहीं हैं या जो लोग बैठे हुए हैं वह समाजवाद या परिवारवाद से उठ जायेंगे। अध्यक्ष जी, एक निष्पक्ष चुनाव की बात होती है। संविधान कहता है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब वर्ष 2019 का चुनाव होता है और बंगाल के अन्दर 80 हजार जो बूथ हैं तथा उत्तर प्रदेश में चार लाख बूथों के अन्दर उसके ऊपर एक भी गोली नहीं चलती है, एक भी हत्या नहीं होती है, एक बॉम्ब भी नहीं फटता है मगर बंगाल के अन्दर 80 हजार जो कम हैं वहां पर लोग मरते हैं, बॉम्ब चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर टिप्पणी भी करती है।

रिपोलिंग होती है वहां पर आप दीदी के पास जाकर उस मंच को सजाने का प्रयास करते हैं और यहां पर निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं। यह तो सौभाग्य है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था रखी कि निष्पक्ष चुनाव हो और उत्तर प्रदेश में यह सम्भव हुआ है। अध्यक्ष जी, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निदेशक सिद्धान्त और साथ ही साथ जो कर्तव्य हैं इन पर चर्चा हो ही है। यह सही है कि चाहे वह टी0वी0 डिबेट हो चाहे वह कोर्ट के माध्यम से हो

या हम सब राजनीतिक दल हों, मौलिक अधिकार पर हम बहुत चर्चा करते हैं और करना भी चाहिए इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन जब हम ड्यूटीज की बात करते हैं तो उसकी भी चर्चा उतनी ही आवश्यक हो जाती है और मेरा यह मानना है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो 19 नवम्बर, 2015 में राष्ट्रपति अधिसूचना की सहायता से जो 26 नवम्बर को संविधान दिवस घोषित करवाया है। उसका मूल कारण कोई राजनीतिक नहीं है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को श्रेय मिले और जब हम इस सदन में आते हैं तो अब समय आ गया है कि नागरिक देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझें। जब नागरिक देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेगा तो देश मजबूत होगा जितनी भी चीजें संविधान में लिखी हैं वह सब चीजें हम पूर्ण करने में सफल हुये हैं। अगर हम यह समझेंगे ही नहीं कि हमारा कर्तव्य क्या है, और इसमें हम सबका एक योगदान हो सकता है इसलिए यह सत्र रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी खन्ना जी ने राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज की चर्चा की और मैंने भी इसके विषय में कहा साथ ही साथ जो देश की एकता और अखण्डता है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम सब समर्पित हैं लेकिन हम यह भूल जाते हैं और याद करना चाहिए कि जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो संविधान ही यह बनाता है और वह यह पावर लेजिस्लेचर को देता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को वह अधिकार देता है कि तुम जाकर रक्षा करो और जब वह खड़े होकर बोलते हैं कि हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की है तो वहां कहीं न कहीं विपक्ष की तरफ से प्रश्न उठता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो तो यह उस समय दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है साथ ही साथ हम कहते हैं कि आप जाकर हमारी सरहद की रक्षा करो। नार्थ ईस्ट है, जम्मू कश्मीर है अनेक डिस्टर्ब एरिया हैं लेकिन वहां पर आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट हटना चाहिए इसके पक्ष में लोग आ जाते हैं तो हम संविधान की रक्षा किसके माध्यम से करवायें इसका भी निर्णय हम लोगों को करना चाहिए विषय आया राष्ट्रगान का, राष्ट्र ध्वज का। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ लोग पी0आई0एल0 करके, कांग्रेस पार्टी के लोग यहां नहीं हैं मगर इन्हीं श्री नवीन जिंदल थे जिन्होंने राष्ट्रध्वज के बारे में मामले को कोर्ट में ले गये थे और सुप्रीम कोर्ट से जीते थे आज उसी का हम लोगों का फायदा है कि आज हम लोग अपना तिरंगा झण्डा फहरा सकते हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, लेकिन जब पी0आई0एल0 हुआ कि हाल के अन्दर या अन्य जगहों पर जब राष्ट्रगान होगा तो आपको उठना अनिवार्य नहीं है। इसको कुछ लोगों ने समझा सभी पार्टियां चाहे इस तरफ हों या उस तरफ हों, हम सभी लोग राष्ट्रगान पर सम्मानपूर्वक खड़े होते हैं यह गर्व का विषय है लेकिन जब इस पर प्रश्न उठता है और टी0वी0 पर डिबेट्स होती है और सुप्रीम कोर्ट में जब पी0आई0एल0 दाखिल होता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, अनिवार्य है। उस पर लोग प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि नहीं, देखो हम जीत गये और भारतीय जनता पार्टी गलत करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट का मूल भाव है यह भूल जाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून का इण्टरप्रिटेशन करता है और जो संविधान लिखा गया था उसमें

यह नहीं कहा गया था कि आपकी जो ड्यूटीज होगी उस ड्यूटीज पर आप कानून बना सकते हैं। जब कानून नहीं बना है तो यह भाव अन्दर से जगाना चाहिए, इसका हम सबको इस सदन में बैठे सभी लोगों को इसका प्रयास करना चाहिए। मा0 अधिष्ठाता महोदय अन्य चीजों के बारे में चर्चा हुई है कुछ विश्वविद्यालयों में चर्चाएं होती रही हैं जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चलना चाहते हैं मगर इस सदन को, इस सदन के हर सदस्य को यह समझना होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हम लोगों की जो नागरिक ड्यूटीज है एवं कर्तव्य हैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं उसकी आड़ में रहकर या फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ को लेते हुए हम जिन चीजों को ढकने का प्रयास करते हैं या उससे राजनीतिकरण करते हैं वह सही नहीं है। यह सदन इस पर विचार करे और डिबेट करे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जब कश्मीर और मणिपुर के विषय पर आवाज उठती है कि उसको भारत से अलग कर दिया जायेगा और उसको कहा जाता है कि यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो संविधान के निर्माता हैं और जो लोग यहां पर कभी-कभी खड़े होकर या समर्थन करते हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं। वह उस विश्वविद्यालय में जाकर खड़े होते हैं उसका समर्थन करते हैं, तो शायद निर्माताओं के प्रति जो सम्मान एचं आदर है वह हम लोग नहीं दे पाते हैं।

मा0 अधिष्ठाता महोदय एक महत्वपूर्ण विषय है मैं सब विषय तो नहीं लूंगा क्योंकि कर्तव्य में 11 विषय हैं। एक प्राकृतिक पर्यावरण से भी सम्बन्धित है कि यह हमारा कर्तव्य होता है कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे। मुझे खुशी है कि आज मैं मा0 योगी जी की सरकार में मंत्री हूं और शायद मैं गलत कह रहा हूं कि मैं खुश हूं। हम सबको जो सदन में बैठे हैं खुश होना चाहिए क्योंकि यह सरकार सबकी है, कमान किसी के हाथ में होती है, किसी दल के हाथ में होती है। बस संविधान यह कहता है कि यह कर्तव्य है। जब 22 करोड़ वृक्षारोपण हो रहा है तो इस सदन के हर सदस्य को गर्व होना चाहिए कि हमने या हमारी सरकार ने यह कदम उठाया है क्योंकि यह कर्तव्य बनता है जब भारत के मा0 प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं या कुम्भ को भव्यता के साथ स्वच्छ बनाया जाता है तो उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया जाता है। इस पर गर्व महसूस होना चाहिए कि एक संस्था जो विदेश की है आकर रिकार्ड ले रही है। यह पहले कभी नहीं हुआ यह नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर चर्चा जरूर कर लीजिए। लेकिन यूनिसेफ ने किया है, उससे हमारे कुंभ का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन होता है, तो उससे टूरिज्म भी बढ़ता है, उसके लिए प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि संविधान कहता है कि आपको ऐसा करना चाहिए और ये योगी जी की सरकार उसके लिए समर्पित है। जब प्रधानमंत्री जी जल संरक्षण की बात करते हैं और यहां पर जल शक्ति मंत्रालय बनता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि जल संरक्षण के विषय में हम बात करें और यदि आप संविधान भी पढ़ लें तो उसके अन्दर लिखा हुआ है कि जल संरक्षण के विषय पर हम सबको उसके प्रति अपनी ड्यूटी

मानते हुए समर्पित होना चाहिए, न कि इस पर टोका-टोकी करनी चाहिए और इस कार्य के साथ सबको आगे बढ़ना चाहिए, चीजें अच्छी करने का प्रयास होना चाहिए। माननीय अधिष्ठाता जी, एक विषय आता है आवास के ऊपर, प्रधानमंत्री आवास और मुख्य मंत्री आवास। हम लोगों ने नहीं चर्चा की जो 07 मौलिक अधिकार थे उसमें से एक मौलिक अधिकार 1978 में खत्म किया है वह अधिकार 'राइट टू प्रापर्टी' था। जब हम समानता की बात कर रहे थे क्या ये 'राइट टू प्रापटी', जो गरीब हैं उनको छत मिले इसके विषय में नहीं उठना चाहिए क्या उसके बारे में चिंता नहीं होनी चाहिए थी। आज जब राइट टू प्रापर्टी जो फण्डामेण्टल राइट हैं उसको 44 अमेण्डमेण्ट से हटा दिया गया था, आज जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक कोई खुले में सोएगा नहीं, सभी को छत मिलेगी और जब ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की नेतृत्व वाली राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर 14.5 लाख ग्रामीण आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना रही है और शहर के अन्दर 07 लाख बन गये और 04 लाख और आवास बन रहे हैं तो यह प्रशंसा का विषय हो जाता है न कि महामहिम को बताने का, यह गलत है और इसके बारे में आपको नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये 'राइट टू प्रापर्टी' फण्डामेण्टल राइट के अन्दर था, जिसे 1978 में हटाया गया।

(03 बजकर 30 मिनट पर ही श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ट्रिपल तलाक का जिक्र किया। संविधान 'राइट टू इक्वैलिटी' लिंग समानता। संविधान कहता है कि 'राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन' ये अधिकार है कि शोषण और दोहन नहीं होगा। आप किस श्रेणी में हम ट्रिपल तलाक को डालना चाहेंगे और विशेष रूप से जब संविधान के अन्दर ये लिखा हुआ है और आर्टिकल 44 जिसे मैं पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है कि "article 44 encourages the state to secure uniform civil code for all citizens by eliminating discrepancies between various person laws currently in force in the country." (''आर्टिकल-44 इनक्रेजिस द स्टेट टू सिक्यूर यूनिफार्म सिविल कोड फार आल सिटीजन बाई एलिमीनेटिंग डिसक्रीपेसिज बिटविन वेरियस पर्सन लॉ करेंटली इन फोर्स इन द कंट्री'') हर राज्य को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह अधिकार है कि सबके बीच में समानता लाएं, यूनिफार्म सिविल कोड लाएं और सात के सात जो पर्सनल लॉ चल रहे हैं उसको पूरे देश में या पूरे राज्य के अन्दर देखते हुए समानता लेकर आना चाहिए। यह राजनैतिक विषयक कैसे आ जाता है ? जब कोई दल या कोई प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी जब इसको आगे लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। यह राजनैतिक विषयक कैसे आ जाता है ? इस पर जरूर गौर करना चाहिए। मैं घड़ी भी देख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी भी आ गए हैं और माइक पकड़ना शुरू कर चुके हैं। आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं, धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मैं आपके आपके माध्यम से मा0 सदन से दो बातों का आग्रह करना चाहता हूं। एक 1976 में 42वां अमेंडमेंट जो हुआ था, उसके सिड्यूल-7, लिस्ट-3 में 20ए में

लिखा गया है और इसे पूरे सदन को करना है, इसे कोई दल करे या कोई इसका राजनीतिकरण करे, वह लाभदायक नहीं होगा। उसमें लिखा गया है कि केन्द्र और राज्य जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन में कानून बना सकता है। क्या यह सदन राजनीति से ऊपर उठकर और सभी को पता है, जितने हम हैं, हम जितने बाहर हैं, कितने पत्रकार हैं, सब जानते हैं, जनसंख्या पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा तो देश की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, कितना भी आप जीडीपी बढ़ा लें, विकास कर लें, कहीं न कहीं नीचे खिंचती जायेगी, गरीबी मिटेगी नहीं। इस तरफ हम लोगों को काम करना है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, जैसा मैंने कहा, क्या हम सब मिल कर एक आवाज उठा सकते हैं ? यह देश का पहला सदन हो, जहां से यह कानून बने क्योंकि राज्य को भी इसका अधिकार है, हम यह कानून ला सकते हैं और आखिर में चूंकि आज निर्माताकार जो हैं, सभी थे, लेकिन 206 के साथ जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनके बारे में हम जिक्र करते हैं, आदरपूर्वक और सम्मान के साथ जिक्र करते हैं, नमन करते हैं, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी का, क्या हम सही मायने में उनको यह सम्मान और रिस्पेक्ट दे सकते हैं, अध्यक्ष जी, क्योंि जो ओरिजनल हमारा प्रिएम्बिल है, जिसका जिक्र हुआ है, चूंकि मैं बाद में आया हूं, प्रिएम्बल के अन्दर, जिसका जिक्र अभी हुआ था समाजवादी पंथनिर्पेक्ष।

मैं पंथनिर्पेक्ष और धर्म निर्पेक्ष की बहस में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं उसको अंग्रेजी में ज्यादा बोल देता हूं, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म। सोशलिस्ट सेकुलर, यह शब्द नहीं था और कारण है, आपने भी शुरुआती दौर में इसका जिक्र किया है, उसकी भूमिका में आपने उल्लेख किया है। भारत की संस्कृति, भारत के अन्दर किस प्रकार से हम लोग रहते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छी से इसका उल्लेख किया है और डिफिनेशन दिया है, 'हिन्दू इज वे ऑफ लाइफ', जब हमारे निर्माता लोग बैठे थे, तब उनके दिमाग में यह नहीं आया था। जो भारत की संस्कृति है, जो कल्चर है, जब संविधान लिखा जा रहा था वो कोई धर्म नहीं था, वो हिन्दू कल्चर था, जिसका सुप्रीम कोर्ट कहता है, यह धर्म नहीं है, यह रिलीजन नहीं है, यह 'वे ऑफ लाइफ' है, तो क्यों नहीं हम उसे वापस जाकर सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें, डा0 भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने कहा था कि 'हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए', वहां कहीं भी समाजवादी पंथनिर्पेक्ष का शब्द नहीं है।

क्या यह सदन इस चीज के ऊपर भी विचार कर सकती है। दो चीजों के अनुरोध के साथ इतना ही कहूंगा कि यह एक बड़ा अवसर है और पूरे देश के लिए, इस सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लिए यह एक बड़ा अवसर है। खुशी की बात यह है कि सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। हम अपने कर्तव्यों को जो संविधान में लिखे गए हैं जो हमारे उद्देश्य हैं वह डायरेक्ट प्रिंसिपल सरकार के हैं सरकार आएगी और जाएगी, कोई न कोई तो आएगा ही लोकतंत्र के अन्दर। हम लोगों के जो फण्डामेण्टल मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में एक सकारात्मक बहस करते हुए यह निर्णय करें कि आने वाले समय में जो भी सरकार होगी वह

जिस प्रकार से योगी जी की सरकार ने शुरुआत की है इसको लेकर हम चलेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हम सेवारत रहेंगे, इसी नीति और योजनाओं के माध्यम से। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री संजय गर्ग-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। नेता विरोधी दल और नेता बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो अपनी बात रखी मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर उसी बात पर बल देते हुए कुछ बिंदुओं पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संविधान की मूल आत्मा के रूप में उसके ड्राफ्टिक कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम सब अपनी विन्यांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी किस तरह से बने हैं अगर इस बात के इतिहास में जाए तो निश्चित रूप से समाज की उन विकृतियों की तरफ हम ध्यान देने की बात करें कि भारत की इसी धरती पर समाज का एक हिस्सा किस तरह से अपनी जिंदगी यापन करने का काम कर रहा था। जब वह सड़क पर चलता था तो नंगे पैर चलने दिया जाता था। मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं थी, कुएं में पानी पीने की इजाजत नहीं थी, सामने चारपाई पर बैठ नहीं सकते थे, पीठ के पीछे झाड़ बांधकर जाने के लिए उनको निर्देश दिए जाते थे। मानवता कुम्हला रही हो, इंसानियत मर रही हो और ऐसे छुआछूत के माहौल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे चरित्र का निर्माण होना। उनकी परिस्थितियों को पैदा करने के लिए जिन लोगों ने और महान आत्माओं ने सहयोग किया, मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से उन लोगों को भी याद करते हुए विन्यांजलि अर्पित करता हूं। मैं श्रद्धावनत होता हूं महात्मा ज्योतिबा फूले के लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दबे कुचले शोषितों के उद्धार के लिए जिनसे उन्होंने प्रेरणा ली। हम संत कबीर को भी श्रद्धावनत होते हैं जिन्होंने अत्याचारों के खिलाफ विद्रोही तेवर जिनके विचारों से उन्हें मिलें और सूबेदार राम जी मालव जी सत्पाल जो उनके पिता थे उन्हें भी याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धावनत होते हैं कि अछूतों के उद्धार के लिए उनकी योग्यता को देखकर उन्होंने घर, स्कूल और कालेजों में उनकी परवरिश के लिए और उनकी शिक्षा के लिए समुचित माहौल और सुविधाएं देने का काम किया। हम श्रद्धावनत हैं और विन्यांजलि अर्पित करते हैं। उनकी धर्मपत्नी रमाबाई जी के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी और खाट की परवाह किए बिना उन्हें उनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वतंत्रता प्रदान की। हम श्रद्धावनत होते हैं योगेन्द्र नाथ मण्डल जी का अगर योगेन्द्र नाथ मण्डल बंगाल से अपनी सीट को छोड़ कर संविधान सभा में फिर दोबारा बाबा साहब जी को मौका देने का काम न करते तो शायद संविधान जिस रूप में हमारे सामने आया है उस रूप में हमारे सामने होता या नहीं होता यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस बात के साथ लगता है कि कॉन्स्टीटुएंट एसेम्बली में जितने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी लोगों ने बहस की उसमें अगर हम भारत के लोग इस शब्द के साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इस बात के साथ प्रस्तावना और उद्देशिका की शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से भारत के उन समान्तर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीड़ा को उन्होंने झेला था, जिया था और समझा था। हर संविधान सभा की बहस में उन्होंने बड़े गूढ़ तरीके से अपनी बात को मजबूती के साथ रखते हुए इस संविधान का निर्माण किया और उन लोगों की जिज्ञासाओं की आत्मा को शांत करते हुए उन तमाम चीजों में कामयाबी हासिल करने का काम किया। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 25 जनवरी, 1950 को संविधान का प्रारूप देते हुए जो उन्होंने अपना भाषण दिया उसका बहुत सारे लोगों ने उद्दृत किया। मैं कुछ चंद बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं।

जब उन्होंने कहा कि मैं संविधान की खुबियों पर बात नहीं करुँगा क्योंकि मैं समझता हूं कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो यह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे कितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले अच्छे हों। संविधान की प्रभावशीलता पूरी तरह उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं है। संविधान केवल राज्य के अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्राविधान कर सकता है। राज्य के इन अंगों का प्रचलन उन तत्वों पर निर्भर है, वह है जनता और उनकी आकांक्षाओं और राजनीति को संतुष्ट करने के उपकरण के रूप में उनके द्वारा गठित राजनैतिक दल। इसलिए विधायिका में आज इस संविधान दिवस को मनाने की जिम्मेदारी उसके एहसास के साथ निश्चित रूप से हम सब पक्ष और विपक्ष के लोगों की और ज्यादा बढ़ जाती है कि 70 साल के संविधान के निर्माण के बाद उन तमाम उद्देश्यों को हमने पाया या नहीं पाया, वहाँ कहाँ हम प्रश्न चिह्न लगाएं और प्रश्न चिह्न लगाने के साथ-साथ आगे के लिए किस तरह अपने आपको, अपने रास्ते को तय करने का काम करें। इस बात को समापन के समय अपने भाषण में बाबा साहेब डा0 भीमराव रामजी आम्बेडकर जी ने कहा कि जॉन स्टुअर्ट मिल की उस चेतावनी को ध्यान में रखना चाहिए, जो उन्होंने उन लोगों को दी जिन्हें प्रजातंत्र को बनाए रखने में दिलचस्पी है अर्थात् अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में भी समर्पित न करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियाँ प्रदान न कर दें कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए। एक नायक के रूप में वह तानाशाह न बन जाए और संविधान को अपने हिसाब से परिभाषित करके उसका मखौल उड़ाने की शुरुआत न कर दे, तो आज के दौर में खुले रूप में है।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधी दल ने जिस रूप में कहा, उन तमाम संवैधानिक संस्थाओं की आज हालत क्या है ? अगर आज हम इस रूप में देखने का काम करें तो निश्चित रूप से वह सवालिया निशान हमारे और आपके सामने खड़े होते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट के 70 साल के इतिहास में पहली बार 12 जनवरी, 2018 को उसके चार जज मिलकर

प्रेस कॉफ्रेन्स करते हैं और मीडिया के सामने आने को मजबूर होते हैं, तब वह सवालिया निशान खड़ा होता है और जब वे कहते हैं कि अनलेस द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज प्रिजर्व डेमोक्रेसी वुड नॉट सर्वाइव इन द कण्ट्री, लोकतंत्र खतरे में है। इस बात के साथ उन्हें मजबूर होना पड़ता है और सर्वोच्च न्यायालय के चार जज 70 साल में पहली बार 12 जनवरी, 2018 को जब इस बात पर सवाल उठाते हैं तो निश्चित रूप से इस बात को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि उस इण्डिपेण्डेण्ट इंस्टीट्यूशन को हम किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सी0बी0आई0 संविधान का अंग है या नहीं है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता परन्तु आर0बी0आई0 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया तो संविधान का अंग है और आर0बी0आई0 के साथ क्या होता है जो 70 साल में नहीं हुआ, पहली बार वह खेल हुआ। हम तो संविधान बनने के 10 साल बाद पैदा हुए। आजादी के बाद की पीढ़ी के वे लोग किस तरह से इतिहास को पढ़ेंगे, देखेंगे, मनन करेंगे और किस तरह से आगे देश का निर्माण करने और राष्ट्र का निर्माण करने की कसम खाने का काम करेंगे, जब उनके सामने इस तरह से धज्जियाँ उड़ाने की बातें की जा रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के गवर्नर जिनकी स्वायत्तता पर प्रश्न चिह्न नहीं होना चाहिए था। आप ने ही तो उर्जित पटेल को आर0बी0आई0 का गवर्नर बनाया था तो क्यों उन्हें 10-12-2018 को इस्तीफा देना पड़ा जबकि उनका कार्यकाल सितम्बर 2019 तक था। इससे पहले रघुराम राजन जब इस बात को कहते-कहते थक गए कि नोट बन्दी लागू नहीं होनी चाहिए परन्तु उस सबके बावजूद भी नोट बन्दी को लागू किया गया। कैबिनेट में निर्णय हो या न हो, फाइनेंस मिनिस्टर को पता हो या न हो, परन्तु 08 नवम्बर, 2016 को इस तरह से अचानक घोषणा हो जाए और उसके बाद में नोट बन्दी लागू कर हम सबके सिरों पर आयत कर दी जाए। उसके बाद के अराजक माहौल को हम, आप सब लोग देख सकते हैं कि किस तरह सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी। लाइन में खड़े हो गए, न जाने किस तरह से प्रताड़ित कराया गया परन्तु कुछ भी हाथ में नहीं आया। जितनी करेंसी देश में प्रचलित थी उससे ज्यादा करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को मिल गई और यह पैसा कहाँ से आया, काला धन फिर दोबारा कहाँ चला गया, 2000 के नोट कितने इकट्ठे किए। वह गरीब जिसे आजीविका नहीं मिली, वह गरीब जो शादी नहीं करा सका, वह किसान जिसे उसका दाम नहीं मिल सका, वह मजदूर जिसे पारिश्रमिक नहीं मिल सका। इन्होंने उन तमाम चीजों की परवाह नहीं की परन्तु आर0बी0आई0 के उस फैसले को पलटना था और अपने राजनैतिक हितों को पूरा करना था। इस बात के तहत नोट बन्दी को लागू करने का वह फरमान जारी कर दिया गया और आर0बी0आई0 के साथ एक खुला खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्या नहीं, इस तरह के उदाहरण मा0 नेता विरोधी दल जी ने दिए। मैं उन तमाम चीजों पर बल देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह संरक्षण चाहता हूं कि जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो लोग कहते हैं और लोकतांत्रिक समाज में जब तक लोकतंत्र के आखिरी प्राणी को भी विश्वास नहीं होगा कि चुनाव निष्पक्ष है या नहीं है तो

निश्चित रूप से यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि वह सभी लोगों को विश्वास में ले वह कम हो या ज्यादा सवाल इस बात का नहीं है। मेरे से लोग कहते हैं भैय्या चुनाव तो आप जीत जाओगे परन्तु यह मशीन का मामला समझ लेना और इलेक्ट्रानिक मशीन का जवाब ढूंढ लेना।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहते हुये केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि जब चुनाव निष्पक्ष है और आप ईमानदार हैं तो मुल्क में चुनाव निष्पक्ष रूप में वैलेट से हो या इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो इस बात के लिए जनमत संग्रह करा लिया जाए। यह बात एक बार साफ हो जाए कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो या वैलेट से हो। तमाम मुल्क जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन का अविष्कार किया वह भी आज वैलेट पर आ गये हैं परन्तु हमारे जैसा मुल्क जो विकासशील मुल्क था आप की नीतियों की वजह से जिसे अब अविकसित मुल्क की श्रेणी में लाने का काम वर्ल्ड बैंक ने कर दिया उस मुल्क के उन तमाम लोगों का ध्यान कौन करेगा और इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं से इस तरह से खिलवाड़ होगा तो मुल्क को हम मजबूत बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया जाना कि रक्षा मंत्रालय के राफेल से सम्बन्धित टॉप सीक्रेट डाक्युमेंट चोरी हो गये। बड़ी हँसी की बात है कि डिफेन्स मंत्रालय इस बात के लिए हलफनामा दे कि रक्षा मंत्रालय के डॉक्युमेंट्स भी चोरी हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इन तमाम चीजों के बाद अगर हिम्मत करके आपकी अनुमति से आपके सामने कोई बात रखने की कोशिश करते हैं तो अगले ही दिन इस बात की सूचना कानों में कहीं न मिले कि इनकी बात की आलोचना करने वाला, जो कि समालोचना में ली जानी चाहिए उसे आलोचना में न लेकर उसे देश द्रोही की संज्ञा देने का काम हाथ के हाथ कर दिया जाता है। इन तमाम चीजों के अलावा माननीय संविधान निर्माता और प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आगे भी इस बात के लिए कहते हैं कि हमें हमारे राजनैतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र में बनाना चाहिए और उन्होंने कहा है कि जब तक उन्हें सामाजिक प्रजातंत्र का आधार न मिले राजनैतिक प्रजातंत्र चल नहीं सकता है। सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ क्या है और वह एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व को जीवन के सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार करती है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल आपके माध्यम से इतनी बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर एक सच्चे लोकतांत्रिक समाजवादी के रूप में समाज में अहिंसक शांतिपूर्ण बदलाव चाहते थे तथा संविधान में उनकी इतनी निष्ठा थी कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वंचितों, शोषितों और निचली जातियों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों में सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर होने के नाते उनके राजनेता के रूप में संविधान के प्रति उनकी निष्ठा और विश्वास है, वह उसे प्रतिबन्धित करता है। जब उन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को जो मूल अधिकारों में श्रेणीबद्ध करने का काम भाग-3 में किया है। परन्तु आर्थिक अधिकार संविधान के भाग-4 के राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में रखा

इस नीयत के साथ रखा कि लोकतांत्रिक जनकल्याण के लिए जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई उन राजनैतिक दलों की सरकारें निश्चित रूप से ऐसी नीतियों को बनाने का काम करेंगी कि जो सामाजिक परिवर्तन की उस लड़ाई में समता और समानता के आधार पर उन दबे-कुचले लोगों के ऊपर भी मरहम लगाकर उन्हें जीने का हक दे सकें और पाखण्ड के उस आवेश से उन्हें बाहर निकालकर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक माहौल देने में मदद करने का काम किया जा सके, परन्तु इन तमाम चीजों के साथ-साथ मैं संविधान सभा की उस उद्देशिका का जिक्र न करते हुए केवल आपके माध्यक से इतनी बात जरूर बताना चाहता हूं कि जो समाजवादी शब्द जिसके बारे में कहा गया। वर्ष 1976 में अमेण्डमेण्ट के बाद जिसे हमने अपने संविधान में शामिल करने की बात कही थी वह 42वां संविधान संशोधन में 03-01-1977 को जो प्रस्तावित हुआ जिसमें समाजवादी, धर्मनिर्पेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात आई है। तमाम समाजवादी नेताओं की वह टोली जो उस समय कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी। कांग्रेस के अन्दर मौजूद थी उनके तमाम साथियों के नाम आदरणीय नेता विरोधी दल ने लेने का काम किया है मैं उन्हीं के साथ एक नाम जोड़ते हुए स्वतंत्रता आन्दोलन के उस महानायक शहीद-ए-आजम भगत सिंह का नाम भी इस आशय के साथ जोड़ना चाहता हूं कि ब्रिटिश काल की गुलामी के बाद आजाद भारत कैसा होगा इसकी परिकल्पना अगर किसी ने की थी कि भारत की संरचना कैसे होगी तो वह वर्ष 1928 में कोटला के फिरोजशाह मैदान में बैठकर उन नौजवानों की टोली ने अपने संगठन का नाम हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन (समाजवादी जनतांत्रिक संगठन) का नाम रखकर उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती देने का काम इस आशय के साथ दिया था। वह दिव्य स्वप्न उन्होंने देखा था कि कुंभलाई हुई इस मानवता को संदेश और सम्मान देने के लिए निश्चित रूप से इमें इस तरह की व्यवस्था का गठन करना होगा जो इस तरह के साथ आगे बढ़ने का काम कर सके। उद्देशिका और क्रियायिम्बल के ऊपर बात हुई है मैं इन तमाम चीजों के आधार पर माननीय नेता विरोधी दल के उन शब्दों को बल देना चाहता हूं कि क्यों नहीं उद्देशिका को आज 70 साल बाद जो उन तमाम लोगों को और भटके हुए लोगों को या समाज में संविधान से अलग जो और दिनचर्या के अपने कामों में लगे रहते हैं, सचेत करने के लिए विधायिका में वन्दे मातरम् के बाद या पहले किसी भी रूप में हम अगर संविधान की उद्देशिका का वाचन भी कर सकें तो निश्चित रूप से वह संस्कार प्रबल होंगे और उसके आधार पर हम अपनी भूमिका को तय करने का काम आगे आने वाले दिनों में कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान दिवस है और संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए हम-आप यहां इकट्ठा हुए हैं।

मैं आपको बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि दबे-कुचलों के उत्थान की बात हो, सामाजिक क्रांति की बात हो और उसी के साथ-साथ जब संविधान के रक्षण में ही अनुसूचित जाति, जनजाति के हकों की लड़ाई को लड़ते हुए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के आधार पर अगर कोई कानून बनाने की बात कर दी जाये तो संविधान को 9 अगस्त, 2018 में प्रतियों

की होली जलाने का काम दिल्ली में किया जायें इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती और संविधान की प्रतियां ही नहीं जलायी जाये बल्कि जलाकर उसको वायरल भी किया जाये उसे और ज्यादा लोगों तक फैलाने का काम करने का दुस्साहस दिखाने की कोशिश करने का काम किया जाये तब मैनपुरी में हमारे साथियों ने मिलकर एक प्रदर्शन करके मुकदमा कायम करने की बात की और उस पर मुकदमा कायम हुआ। मुकदमा 16 अगस्त, 2018 को कायम हुआ। मैनपुरी की थाना कोतवाली में मुकदमा कायम होता है भारत दण्ड संहिता 1860 की धारा-120-बी, 149, 153(ए), 505 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति निषिद्धता निवारण अधिनियम की धारा-3ए(क्यू), धारा 315, 3-1(10) और राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा-2 और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 की धारा-67 के अन्तर्गत मुकदमा दायर होता है परन्तु संविधान दिवस मनाने वाले, सत्ता में केन्द्र और प्रदेश में राज करने वाले योग के नाम पर हमारा सबका नेतृत्व करने वाले ऐसी उस सरकार के ऊपर उस समय प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है कि जब राष्ट्र के गौरव और संविधान की बात हो और जब संविधान की प्रति जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और मुकदमा दर्ज होने वाले एक भी नामजद अपराधी को गिरफ्तार न किया जाये और न ही उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही मौजूदा सरकार के द्वारा की जाये। उसमें 15 लोग अभियुक्त थे अखिल भारतीय ब्राह्म्ण एकता परिषद् यूथ इक्वेलिटी फाउंडेशन, आरक्षण विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता, संतोष शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, संजय शर्मा, आशुतोष झा, पीयूष पण्डित, स्वर्ण न्याय आन्दोलन संतोष पाठक, दीपक गौड़, श्रीनिवास पाण्डेय, कामिनी झा, अनूप दुबे, परवेश साहनी और कृष्ण मोहन राय।

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं आज संविधान दिवस है क्यों न आपकी पीठ से यह निर्देश दिया जाये। जब एक मुकदमा 16 अगस्त, 2018 को दर्ज हुआ है और अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो आप इस बात के निर्देश दें। हम इस बात के आकांक्षी हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इस बात के लिए आदेशित करें कि निश्चित रूप से उस पर कोई कार्यवाही हो जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो, संविधान की मर्यादाओं की रक्षा की जा सके और आगे फिर कोई दोबारा इस बात की हिम्मत भी करने का काम न कर सके कि इस तरह से फिर दोबारा प्रतियों को जलाने का काम किया जा सके। अभी मुझसे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी, फण्डामेंटल राइट्स में सात अधिकारों में से एक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी के छीनने के ऊपर अपनी बात कह रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना से पहले आवास की तमाम योजनाएं, तमाम प्रधानमंत्रियों ने चलाने का काम किया है और माननीय अखिलेख यादव जी ने लोहिया आवास योजना के जरिए भी उन तमाम लोगों तक अपनी संवेदना पहुंचाने का काम किया। मैं नहीं जानना चाहता हूं कि आंकड़े क्या बता रहे हैं और क्या आप लोग इस बात के लिए कह रहे हैं चाहे वह ओ0डी0एफ0 की बात हो या दूसरी और चीजों की बात हो

परन्तु राइट टू प्रॉपर्टी का इरेडिकेशन, उसे यदि हटाने का काम किया गया तो संविधान निर्माताओं ने और उसके बाद यह केवल इस नीयत के तहत किया गया कि जिस तरह सार्वजनिक उपयोग में अगर कहीं किसी की भूमि अधिग्रहीत कर दी और मजबूर हो जाये तो वह राइट टू प्रॉपर्टी के फंडामेण्टल राइट्स के जरिए फिर दोबारा कोर्ट में जाकर संरक्षण न ले ले और सार्वजनिक उपयोग में आने वाली जमीन या भूमि को अधिग्रहीत करने की सुगमता कानूनी रूप से राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को मिल सके परन्तु तब भी प्रॉपर्टी का राइट एक लीगल राइट के रूप में हमारी इस धरा पर मौजूद है और रहेगा। मैं इस बात के साथ जो राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो बात माननीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टीट्यूट एसेम्बली में कहने की कोशिश करने का काम किया था उसमें यह जिम्मेदारी हम सब लोगों की थी और खास तौर पर विधायिका की थी कि विधि बनाने में उन तत्वों को लागू करें। यह राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, राष्ट्रीय जीवन की तमाम सुविधाओं को अनुमानित करके, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक विपदा सर्वोत्तम रूप में साधन हो, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रीयकरण न हो परन्तु आज जिस तरह से केन्द्रीयकरण हो रहा है, क्या इसमें सच्चाई नहीं है केवल 20-25 ही घराने ऐसे हैं जिनको लेकर पार्लियामेण्ट बैठती है और कानून बनाने का काम करती है, क्या यह सरकारी आँकड़े नहीं हैं। आप्शन के गैर बराबरी सर्वे, 2018 के अनुसार भारत की सबसे अमीर मात्र एक प्रतिशत आबादी कुल सम्पदा के 73 प्रतिशत की मालिक है। केवल 1 प्रतिशत जो यह नियत के तहत की गयी थी परन्तु संविधान बनने के 30 साल बाद बढ़े एक प्रतिशत नोटों की सम्पदा में 38 प्रतिशत की कमी आयी है, परन्तु आज जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनकी सम्पदा में 36 प्रतिशत की कमी है और जो निचले 50 प्रतिशत लोग हैं उनकी सम्पदा में 37 प्रतिशत की कमी है। आज हम सब इस बात के साथ आपके माध्यम से संरक्षण चाहते हुए केवल इतनी बात चाहते हैं कि पर कैपिटा कंजेप्शन जो कुल मिला करके 2011-12 में 1501 था, वह कंजेप्शन घटकर 1446 हो गया। इस बात के लिए यह हम सबको सचेत करता है कि बेरोजगारी के आंकड़ों को छुपाने का काम केन्द्र की सरकार करती है और बेरोजगारी सर्वोच्च सीमा पर हमारी छाती पर बैठी है। हिन्दुस्तान के तमाम प्रदेशों में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार 15.8 प्रतिशत हैं। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े हैं, जो मैं आपके सामने आपके माध्यम से देना चाहता हूं। मानीय अध्यक्ष जी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 में लाया गया, जो 86वें संशोधन के माध्यम से 2002 में अनुच्छेद 21 ए के मौलिक अधिकार में शामिल करा गया परन्तु क्या यह सच्चाई नहीं है कि जब संविधान बना था तब इस बात की शपथ ले रहा था कि हम 10 साल के अन्दर 07 से 14 साल तक के बच्चों की फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन देकर यहां से जहालत

को दूर करने का काम करेंगे, परन्तु वह दूर करने का काम नहीं हुआ। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा कि हम शिक्षा का बजट बढ़ायेंगे और इसे 6 से 7 प्रतिशत लेने का काम करेंगे। कोठारी आयोग ने लगभग 50 साल पहले 6, 7 प्रतिशत का आंकड़ा सुझाया था परन्तु सम्पन्न राष्ट्र आज भी शिक्षा व्यवस्था पर अपनी जी0डी0पी0 का 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं, पर हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में 7.8 प्रतिशत रहा। परन्तु उसके बाद वह लगातार कम होता रहा। 2017-18 में मात्र 3.7 प्रतिशत और 2018-19 में शिक्षा के ऊपर बजट की व्यवस्था 4 प्रतिशत और 2019-20 में, मौजूदा वित्तीय वर्ष में शिक्षा के ऊपर मात्र 3.9 प्रतिशत खर्च किया जाता है। किस तरह से शिक्षा के माहौल में आप बदलाव लाने का काम करेंगे। जब तक मानवता को, इंसान को, शिक्षित करने की बात नहीं करेंगे वह अपने दुलारों को पहचान पायेगा या नहीं पहचान पायेगा। मैं आपके माध्यम से केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा पर मात्र एक प्रतिशत यह लोग खर्च कर रहे हैं। 2017-18 में उसे भी घटाकर मात्र 62 प्रतिशत खर्च हुआ। दुनिया भर के काम प्राथमिक शिक्षकों को दिये जाते हैं। उनके पद न भरे जाते हैं और न ही टीचर और छात्र का रेशियो तय होता है और पाठशालाओं के क्या हालात हैं मैं इन तमाम चीजों पर चर्चा नहीं करना चाहता। नीति आयोग ने खुद स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 36 प्रदेशों में से 20 प्रदेशों में सबसे नीचे आंकने का काम किया है। अनुच्छेद-42 में अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी बरतने को कहा। पूर्व की सरकारों में जीरो फीस की व्यवस्था की गयी परन्तु निरंकुश प्रदेश में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था समाप्त कर उन्हें उच्च शिक्षा, रोटी और रोजगार से वंचित करने की साजिश क्या गैर संवैधानिक है या नहीं है। मैं इन्हीं के साथ आपसे केवल इतनी बात और कहना चाहता हूं कि वनाधिकार कानून 18-12-2006 को बना और 01-01-2008 को लागू हुआ परन्तु आज भी आदिवासी तरस रहे हैं उन्हें उनके सामुदायिक अधिकार नहीं दिये जा रहे है।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास सामग्री बहुत ज्यादा है तो कैसे होगा।

***श्री संजय गर्ग-**

कैमूर के गौड़ हों, खरवरिया हों या बुन्देलखंड के कौल हों, वह आज भी आस लगाये बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं हो पायेगा, आपके पास जो कागज हैं, वह बहुत ज्यादा हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री संजय गर्ग-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि जब इसका पठन और वाचन हो रहा था तो कम से कम इतनी बात तो सुनाने दीजिये कि आज आजाद।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आपने पहले नहीं सुनाया।

***श्री संजय गर्ग-**

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015 में 12,602 किसानों ने आत्महत्या की जिसमें 4,595 खेतिहर मजदूर थे। इसी प्रकार 2016 में 11,379 किसानों ने आत्महत्या की जिसमें 5,109 खेतिहर मजदूर थे।

श्री अध्यक्ष-

संजय जी, अब आप समाप्त करिये। अब ज्यादा हो गया।

***श्री संजय गर्ग-**

आप सोचिये कि क्या किसानों की हालत होगी क्या उन्हें उचित दाम मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा। क्या धान की खरीद हो रही होगी या नहीं हो रही होगी।

श्री अध्यक्ष-

आपके विषय संगत हैं, संगत हो सकते हैं लेकिन आपने पहले यह विषय नहीं उठाये। अब आप समाप्त करिये।

***श्री संजय गर्ग-**

माननीय अध्यक्ष जी, केवल आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को सबसे कम अंक दिये हैं जिसमें 33.69 कम्पोजिट हेल्थ इंडेक्स में नम्बर हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब समाप्त करिये, आपने बहुत समय ले लिया।

***श्री संजय गर्ग-**

मान्यवर, केवल दो मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप विधायकों में सर्वाधिक प्रिय हैं लेकिन आप मान नहीं रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री संजय गर्ग-**

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट में 55 हजार मुकदमे लम्बित पड़े हैं हाईकोर्ट में 32.4 लाख मुकदमे लम्बित पड़े हैं, निचली अदालतों में 2.77 करोड़ मुकदमें लम्बित पड़े हैं।

(सत्ता पक्ष की ओर से इनको रोकिये की आवाजें)

श्री अध्यक्ष-

अब अगर कोई बात नहीं मानेगा तो हम क्या कर सकते हैं।

***श्री संजय गर्ग-**

मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। इससे पूर्व जो वक्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, वह हमारे बहुत ही योग्य साथी हैं वह इस बात को दोहरा रहे थे कि किस तरह से 1976 में मूल कर्तव्य और फण्डामेन्टल ड्यूटीज को रखा गया जिसमें संविधान का पालन करने, उनके आदर्शों संस्थाओं और उनका आदर करने की बात की गयी।

श्री अध्यक्ष-

यह बात तो आप पहले कह चुके हैं।

***श्री संजय गर्ग-**

परन्तु जिस शपथ और उद्देशिका की हम बात कर रहे हैं मैं उस ओर केवल आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इस देश में दो शपथ के मानने वाले लोग हैं। एक वह जो भारत के संविधान की शपथ को मानते हैं और दूसरे वह जो नागपुर की शपथ को मानते हैं जो नागपुर की शपथ को मानते हैं उन पर सवालिया निशान खड़ा होता है और वह गोडसे के मंदिर बनाने की बात करते हैं और वह गांधी को गोली मारकर वीडियो को वायरल करने की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

गोडसे के मंदिर की बात कभी नहीं कही गयी। गोडसे के मंदिर वाला तथ्य आपका गलत है।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

***श्री संजय गर्ग-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं आर0एस0एस0 के आर्गनाइजर द्वारा आर0एस0एस0 के मुख्यालय में 15 अगस्त, 1947 को और बाद में 26 जनवरी को भारत का तिरंगा नहीं फहराया जाता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप सुन लीजिये। आप सुनते नहीं। संजय जी सुनिये, आप बैठिये। मा0 संजय जी, यह तरीका ठीक नहीं है। हम 5 बार कह चुके हैं यह तरीका ठीक नहीं है। पहले आप हमारी बात सुन लीजिये आपने जो कहा है कि नागपुर से गोडसे के मंदिर बनाने की बात होती है। नागपुर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय है गोडसे के मंदिर की बात अगर कभी कही गयी हो और तथ्यगत हो तो आप कह सकते हैं लेकिन आपकी बात असंगत यानि विषय से संबंधित नहीं है। दूसरी बात कि आपको हमने कई बार कहा और आप हर बार कहते हैं कि एक ही बात रह गयी है तो हम तो सुन रहे हैं लेकिन यह तरीका ठीक नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप क्या कहना चाह रहे हैं।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो टेक्निकल तौर से सही नहीं हो सकतीं लेकिन जो सही है वह सही है। इसको आप भी जानते हैं पूरा देश जानता है और दुनिया जानती है। गांधी के हत्यारे कौन लोग थे कि संविधान के हत्यारे कौन लोग थे ? आर0एस0एस0 की विचारधारा क्या है ?

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वार एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

अगर वह राष्ट्रवादी होती तो इस देश में दो-दो बार उस पर प्रतिबन्ध न लगा होता। सन् 1952 में लगा और सन् 1975 में लगा और किसी संगठन पर नहीं लगा।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

अध्यक्ष जी, माननीय गर्ग जी ने केवल यह कहा कि आज जो लोग राष्ट्रीय झण्डा लेकर कूद रहे हैं, उन्होंने यह झण्डा अपने हाथ से क्यों नहीं फहराया ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आपने कहा कि नागपुर में उन्होंने गोडसे के एक मंदिर की बात की है।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

हम तो अपने घर पर फहराते हैं, हर जगह फहराते हैं। राष्ट्रीय झण्डे का अपमान यह लोग करने वाले हैं, यही तो कह रहे थे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय अध्यक्ष जी, जो विधान सभा में मार-पीट करें, वह संवैधानिक हैं, बाकी सब असंवैधानिक हैं। मान्यवर, अगर आपकी कृपा होगी तो अभी कई लोग और बोल लेंगे। ऐसे तो कई लोग बोलने से रह जायेंगे।

(श्री संजय गर्ग के पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी, आप काफी लम्बा बोल लिये हैं। अब श्री सतीश द्विवेदी जी बोलें।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, इधर से भी बुलवा लीजिए।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी)-

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर आयोजित भारत के संविधान दिवस के इस विशेष सत्र में मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। यह जो आयोजन हुआ था, यह इस उद्देश्य से हुआ था और शायद माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्य मंत्री की और आपकी यह मंशा रही होगी कि 26 नवम्बर, 1949 को भारत के जिस संविधान को हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, उसकी उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति-निदेशक तत्व और मूल कर्तव्यों का एक बार हम पुनः स्मरण करेंगे और इस बात की समीक्षा करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद इन 70 वर्षों में संविधान के दिखाये हुये रास्ते पर हम कितना चल पाये हैं या अगर कुछ कमी रह गयी है तो वह कैसे पूरी हो सकती है। मैं भी उसी दिशा में अपनी बात कहना चाह रहा था। लेकिन अभी हमारे विपक्ष के साथी बड़े भाई संजय जी ने कुछ बातें कहीं हैं, कुछ आरोप लगाये हैं, उनका उत्तर दिये बिना आगे बढ़ना सम्भव नहीं है। संविधान, संविधान की संस्थाओं और भारत की लोकतांत्रिक मर्यादा और परम्परा का कितना पालन यह लोग करते हैं, इसका साक्षात उदाहरण अभी संजय जी थे, जो आपकी बनाई हुई व्यवस्था का पालन करने को तब तक तैयार नहीं थे, जब तक आप स्वयं अपनी जगह पर उठकर खड़े नहीं हो गये।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेंजे थपथपाईं)

***डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

बड़े आदरणीय हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना, उनकी गरिमा और उनके संरक्षण की बात कर रहे थे। आदरणीय संजय जी ने भी अभी कहा, यह शोभा नहीं देते और हंसी भी आती है, क्योंकि अब मैं जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात कहने जा रहा हूं, उसमें मैं कॉग्रेस, सपा और बसपा को एक साथ जोड़ता हूं क्योंकि आजकल तीनों की अच्छी गलबहियां चल रही हैं। इस देश में आपातकाल की घोषणा करके नवस्थापित लोकतंत्र को अकाल मौत का षड़यंत्र रचने वाले लोग हमको आज लोकतंत्र की मर्यादा सिखा रहे हैं, यह पूरा देश सुन रहा है। मायावती जी ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

इमरजेंसी किसने लागू किया ? हम तो इमरजेंसी में जेल काटने वाले लोग हैं।

***डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं बीच में टोकाटाकी नहीं करता हूं।

(श्री लालजी वर्मा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

वह आपसे छोटे हैं, आप लोग वरिष्ठ हैं।

***डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री बहन मायावती जी ने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए समाजवादी पार्टी की उस समय अराजकता फैला रही सरकार से समर्थन वापस लिया था, तो जो गेस्ट हाउस काण्ड हुआ था, जो गुण्डा-गर्दी हुयी थी, उससे किस संवैधानिक मर्यादा का संरक्षण हो रहा है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

माननीय अध्यक्ष जी, मीडिया पर हल्ला बोल करना यह किस संवैधानिक संस्था के संरक्षण का नमूना है यह देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी के पूरी कैबिनेट के द्वारा लाये गये अध्यादेश की प्रतियां माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा फाड़ना किस संवैधानिक संस्था के अधिकारों का संरक्षण करता है, यह हम भी जानना चाहते हैं, हमारा प्रदेश और देश जानना चाहता है। आज जो लोग यहां बैठकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात करते हैं वह इसलिए करते हैं क्योंकि वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ठीक से जानते नहीं हैं, उनको नहीं पता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक डॉ0 केशव बलिराम हेडगेवार आजादी के आन्दोलन की लड़ाई लड़ रहे कांग्रेस के सबसे युवा और सक्रिय सदस्य थे जो उस समय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वालों के साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे थे। वह यह भूल गये कि जब जेद्दा में विमान की दुर्घटना हुई थी तब उस दुर्घटना में हताहत होने वाला एक भी सदस्य गैर मुस्लिम नहीं था और वहां सबसे पहले हॉफ पैंट पहन कर अगर कोई पहुंचा था तो वह राष्ट्रीय स्वयं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेवक संघ के साथी थे। वह नहीं जानते कि गुजरात के कच्छ में जब भूकम्प आया था तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य वहां बचाव कार्य में पहुंचे थे और आज भी देश भर में बाढ़ जैसी आपदाओं में जो बचाने पहुँचते हैं वह वहां के पीड़ितों का धर्म और समुदाय नहीं पूछते हैं वह सबके लिए काम करते हैं। वह नहीं जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कितना काम करता है, उस विचारधारा का हम समर्थन करते हैं, अनुसरण करते हैं, वह इस देश में राष्ट्रभक्ति का भाव जगाने वाला संगठन है, वह इस देश के बच्चे-बच्चे को राष्ट्रभक्त नागरिक बनाने का काम करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश बहुत आगे बढ़ गया है और अब यह कल्पना करना कि बैलगाड़ी युग में फिर से पीछे जायेंगे, ई0वी0एम0 युग से बैलट पेपर के युग पर आयेंगे, देश का नौजवान अब यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मीठा-मीठा गप, कड़वा-कड़वा थू, आप चुनाव जीते तो ई0वी0एम0 अच्छा है और हम जीते तो ई0वी0एम0 खराब है। अभी बात कर रहे थे आदरणीय संजय जी, देश की संसद पर हमला करने वाले आतंकवादियों, मुम्बई में हमला करने वाले आतंकवादियों, देश की अस्मिता पर हमला करने वाले, देश के टुकड़े-टुकड़े करने की बात करने वाले, नारा लगाने वालों का समर्थन करने वाले, उनके समर्थन में आधी रात को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले लोग हमको संविधान की मर्यादाओं के संरक्षण की सीख दे रहे हैं। जिन्होंने इस देश में, शुरुआत कांग्रेस ने की और चूंकि ये कांग्रेस से निकले हुए दल थे इसलिए कांग्रेस का अनुसरण करते हुए इस देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद, घृणा और नफरत की राजनीति करके वोट बैंक तैयार करने वाले लोग देश की बहुसंख्यक जनता की भावनाओं का अपमान करते हुए अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हमसे संवैधानिक मर्यादाओं, संस्थाओं के अनुरक्षण की बात कर रहे हैं।

डॉ0 संग्राम यादव-

कंधार में कौन छोड़ करके आया।

***डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान दुनिया का सर्वोच्च संविधान है। यह दुनिया का एक लिखित सर्वोत्कृष्ट संविधान है, हम जिस समय आजाद हुए थे, गांधी जी कहा करते थे खिड़कियां खुली रखो और विश्व से आने वाले उत्कृष्ट विचारों को स्वीकारो इसलिए पूरी दुनिया की संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो कुछ अच्छा था उसको भी हमने अपनाया और अपने देश, काल, इतिहास, संस्कृति और परम्पराओं का ध्यान रखते हुए जो संविधान बनाया था वह दुनिया का सर्वोत्कृष्ट संविधान है आज पूरा विश्व इसको मानता है। मैं इसकी उद्देशिका में वर्णित शब्दों के संदर्भ में ही अपनी कुछ बातें कहना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में कहियेगा।

***डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

मान्यवर, बहुत संक्षेप में कहूंगा माननीय संजय गर्ग जी से ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान की जो उद्देशिका है, आज मुझे अच्छा लगा कि इस तरफ से भी यह बातें आ रही थीं कि वन्दे मातरम् के बाद उद्देशिका भी दोहराई जाय, आप पढ़ें या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पढ़ें। इस देश में वन्दे मातरम् जैसे राष्ट्रीय गीत का विरोध करने वाले लोग अगर वन्दे मातरम् के साथ कुछ और जोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसको हमको प्रसन्नता हुई है। ''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथ निर्पेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने तथा'' आगे बाद में पढ़ूंगा। भारत की कल्पना की गई थी संविधान बनाते समय कि भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य होगा लेकिन आजादी के बाद का पूरा इतिहास हमारे सामने है।

एन0डी0ए0 की अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से पहले के भारत को आप देख लीजिए। जब भी हमने अपनी प्रभुता स्थापित करने की कोशिश की, चाहे पाकिस्तान के संदर्भ में रहा हो, चाहे दुनिया के किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच के संदर्भ में रहा हो, तब-तब हमारी इन कोशिशों को दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों ने परवान चढ़ने नहीं दिया, लेकिन जब इस देश में एन0डी0ए0 की सरकार थी, तब भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाने का प्रयास भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। पूर्व में दबाव बनाकर इन प्रयासों को जैसे रोका गया था, वैसे उस समय दुनिया के ताकतवर राष्ट्रों ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब मा0 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो पहली बार भारत ने खुला संदेश पूरी दुनिया को दिया कि हम आपकी ही तरह सम्पूर्ण, प्रभुत्व सम्पन्न गणराज्य हैं। हम अपने देश की रक्षा के लिए जो करना चाहेंगे, वह करेंगे। पूरी दुनिया के देशों ने आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये, लेकिन हम किसी के सामने नहीं झुके, हमने किसी की शर्त नहीं मानी और धीरे-धीरे दुनिया के सारे देशों को सभी प्रतिबन्ध हटाने पड़े। हम वहां से एक शक्तिशाली समर्थ राष्ट्र के रूप में उभरे। 10 साल बाद जब एक बार फिर पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी (एन0डी0ए0) की सरकार यशस्वी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तब चाहे वह चीन के साथ डोकलाम का प्रकरण हो, चाहे अनुच्छेद-370 और अनुच्छेद-35(ए) हटाने को अपना आंतरिक मामला कहकर पूरी दुनिया की आपत्तियों को दरकिनार करने की बात हो, चाहे ब्रिक्स जैसे देशों के बैंक की स्थापना करने की बात हो, चाहे पूरी दुनिया में भारत माता के जय-जय कार कराने की बात हो। आज मा0

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने सही मायने में साबित किया है कि भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र है।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं इनके पसंदीदा विषय पर आना चाहता हूं। हमारे संविधान में कहा गया है कि समाजवादी, पंथ निर्पेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करेंगे। हम उस समाजवाद के समर्थक हैं, जिस समाजवाद की चर्चा हमारे संविधान में की गयी है, लेकिन उस समाजवाद का अर्थ क्या है ? आर्थिक विषमता को समाप्त करना, सबको समान रूप से सामाजिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकार मिलना। हम उस समाजवाद का आदर करते हैं जिसकी बात लोहिया जी करते थे और कहते थे कि दुनिया में कहीं भी आदर्श समाजवाद की स्थापना तभी हो सकती है, जब वह राज्य, वह सरकार रामराज्य की अवधारणा पर काम करेगी। हम लोहिया जी की कल्पना पर आधारित रामराज्य का आदर करते हैं और उस समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन ये कौन सा समाजवाद बीच में आया, जिसने ये सिखाया कि एक परिवार को छोड़कर, दूसरा कोई व्यक्ति उस परिवार में भी, भाई-भतीजा नहीं, पिता, पिता के पुत्र और पुत्र के बाद पुत्र का पुत्र, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सत्ता का स्वप्न देखने की कोशिश न करे, इस समाजवाद की स्थापना की गयी।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मा0 अध्यक्ष जी, संविधान दिवस के अवसर पर इन्हें यह बात कहने का अधिकार नहीं है। जब गवर्नर की बात कहने का अधिकार नहीं है तो जो सदन में नहीं हैं, उसके संबंध में इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

द्विवेदी जी, यह उल्लेख ठीक नहीं है।

***डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयं सेवक हूं, इस बात का मुझे गर्व है। इस संस्था के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाये गये हैं तो अब इनको पीड़ा क्यों हो रही है ? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 आडवाणी और मा0 जोशी जी की राजनैतिक हत्या करके राज करना यह कहॉ का उचित है ? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने नेता थे, उन सबको दरकिनार करके, अपमानित करके भगा दिया गया, ये कौन सा उचित है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

मा0 अध्यक्ष जी, सच्चे अर्थों में समाजवाद की स्थापना हम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सतीश जी, जो इस सदन में नहीं हैं, उनके बारे में न बोलें।

***डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने नाम नहीं लिया है। यहां तो डा0 हेडगेवार जी का नाम लिया गया है। मैंने नाम नहीं लिया है और न आगे लेंगे।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, मा0 नेता विरोधी दल ने जो कहा है, वह नाम कार्यवाही से निकलवा दें। हमारी पार्टी में सभी का सम्मान है, किसी का कोई अपमान नहीं है।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मा0 अध्यक्ष जी, अब शब्द निकलवाने की बात क्यों आ गयी। मीठा-मीठा गप, बाकी सब थू।

जो बात मैं कहता हूं उसको निकलवाइये और जो बात आप कहें उसको रखवाइये।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

क्या नियम इस बात की इजाजत देता है कि जो लोग इस सदन में नहीं हैं आप उनका नाम लें। आप बताइये कौन सा नियम है।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

वह जो बात कह रहे थे माननीय सदस्य।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

वही बात तो मैंने कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई शक्ति मिली है कि आडवाणी जी, जोशी जी के नैतिक विरासत में घेघई करके राज करता हो वही असली भारतीय जनता पार्टी है।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

ऐसा है जो लोग इस सदन में नहीं हैं उनका नाम लेने का न तो नियम है न परम्परा है। इसलिये मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

संसदीय कार्य मंत्री जी, दो एम0पी0 से आपको सत्ता में ले आने का कारण हैं तो वह हैं माननीय आडवाणी जी। उनको आपने कहां रख दिया।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

वह हमारे आदरणीय नेता हैं और रहेंगे।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

बड़े ईमानदार बने हुए हैं और हम बेईमान हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रकारान्तर से आपकी बात का समर्थन ही किया था कि जो लोग यहां नहीं हैं उनका नाम न लिया जाय। उनके वाले में भी कहा था और आपके वाले में भी कहा था कि उनके नाम निकाल दिये जायं अब तो कोई आपत्ति नहीं है। सतीश जी भी कह रहे हैं कि हमने कोई नाम नहीं लिया तो अब वह आगे बोलें अगर सबकी राय हो तो।

***डॉ सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

नाम निकाल दिया जाय मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि असली समाजवाद की स्थापना हम कर रहे हैं, हमने किया है। लोगों ने केवल खोखली बातें की लेकिन जब पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने अन्त्योदय की बात की, विकास मानववाद की बात की तो वह असली समाजवाद था जो समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी हमारी मोदी सरकार, हमारी योगी सरकार, देश और प्रदेश के दलितों, महिलाओं, आदिवासियों, वनवासियों, किसानों की उन्नति का प्रयास कर रही है अभी आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा। जब हम यह कह रहे हैं कि आपका जो समाजवाद का सपना है उसको हम पूरा कर रहे हैं। आप ही कहते थे कि हम समाजवादी राज्य स्थापित करना चाहते हैं सबको रोजगार मिल सके, सबको काम मिल सके। अध्यक्ष जी, मैं उदाहरण देना चाहता हूं जो मोदी सरकार और योगी सरकार भारतीय संविधान के समाजवादी सत्य को चरितार्थ करते हुए उस संकल्पना को पूरा करे। सबको आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अगर उत्तर प्रदेश के 25 लाख लोगों को हमने घर दिया है तो इससे बड़ा समाजवाद और क्या हो सकता है। जिनके पास रहने के लिये घर नहीं था, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं थी जो टाट पट्टी में रह रहे थे जो खुले आसमान के नीचे रह रहे थे हमने अगर दो करोड़ 61 लाख लोगों को इज्जतघर दिया है उनकी बहन बेटियों की आबरू की रक्षा हो सके इसका प्रयत्न किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, सिर पर मैला ढोने की प्रथा को खत्म किया है, तो हमने भारतीय संविधान के सपने को पूरा करने वाला सबसे बड़ा काम किया है। हमने सबको स्वास्थ्य उपलब्ध कराने का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और जो लोग उससे छूट रहे थे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री द्वारा मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश के 10 करोड़ से अधिक परिवारों को जो सबसे बड़ा संकट का काल होता है जिसमें सम्पत्ति बिक जाती है, आभूषण बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है, उसे बचाने के लिये 5 लाख रुपये तक का गम्भीर बीमारी के इलाज की जो व्यवस्था हमने की है उससे बड़ा समाजवाद और क्या हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने हर घर को रोशनी देने का संकल्प लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प था सौभाग्य योजना के तहत कि हर गांव को बिजली पहुंचायेंगे हर घर को रोशनी देंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी को और हमारे यशस्वी बिजली मंत्री जी यहां पर बैठे हैं इन लोगों के प्रयासों से हमने 1 करोड़ 14 लाख घरों का अंधेरा खत्म किया है उनको आधुनिक रोशनी पहुंचाई है।

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के बारे में कौन सोचता था इस देश में। किसानों की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले भी नहीं सोचते थे। समाजवादी पार्टी जैसा नाम रखने वाले लोग भी नहीं सोचते थे उनके बारे में। हमने सोचा कभी संकट में उनको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। साहूकारों से मुक्ति की बात तो यह करते रहे लेकिन किसान को सही मायने में 6 हजार रुपये का मान धन देकर बिना किसी ब्याज के उनको सम्मान से देकर उनको साहूकारों के आगे हाथ फैलाने से रोका है। 86 लाख किसानों का योगी सरकार ने जब 36 हजार करोड़ रुपया लगाकर कर्जा माफ किया तो सच्चे समाजवाद की स्थापना का प्रयास वह था। माननीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत अभियान इससे बड़ा समाजवाद और क्या हो सकता है कि एक वर्ग समाज का तय कर दिया गया था कि इनका काम है झाड़ू लगाना, लोगों के घरों में सफाई करना और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने झाड़ू उठाया और यह कहा कि नहीं देश का प्रधानमंत्री भी देश की स्वच्छता के अभियान में उतना ही भागीदार होगा जितना वह सफाई कर्मी जिसके पैर धुलकर महाकुम्भ के अवसर पर उन्होंने पूरी दुनिया को यह संकेत किया यह नया भारत है।

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने पूरी दुनिया को यह संकेत किया कि यह नया भारत है और नये भारत में कोई छुआछूत नहीं होगा, कोई अपमान नहीं होगी, यह सच्चे समाजवाद की स्थापना का प्रयास था। अभी-अभी संजय जी ने एक आरोप लगाया, इसलिए वह बिन्दु मैंने अन्त में जोड़ लिया। अभी यह प्राथमिक शिक्षा परिषद् की बात कर रहे थे। पूरे देश में आज योगी सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा, सरकारी शिक्षा, हर एक शिक्षा व्यवस्था के सुधार की सराहना हो रही है। अभी-अभी मैं मुम्बई से लौटा हूं। 21 नवम्बर को मुझे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा में नवाचारों के लिए लीडरशिप अवार्ड मिला है। केन्द्र सरकार केवल यूनिफार्मों का पैसा दे रही है, लेकिन योगी सरकार ने अपने बजट से बच्चों को जूते, मोजे दिये हैं। सर्दियों में

पहनने के लिए स्वेटर दिया है। हर स्कूल में आज विद्युतीकरण हो रहा है, किचेन सेट बन रहे हैं। हमने कायाकल्प योजना के तहत इनके द्वारा टूटे-फूटे जर्जर छोड़े गये स्कूलों की तस्वीर बदल दी है और ये चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट की चर्चा की। मैं चाह रहा था कि वह चर्चा हो। आदरणीय संजय जी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा के बारे में जो नीति आयोग की रिपोर्ट आयी है, जिसमें हम अन्तिम पायदान पर हैं, वह 2017 तक की आपके कार्यकाल की रिपोर्ट है। आप भरोसा रखिये, जबसे हमारी कायाकल्प योजना शुरू हुई है, जून, 2018 से हमारी सरकार का कार्यकाल शुरू होगा तो हम इस संदर्भ में टॉप थ्री में पहुंचेंगे, हमारा तो प्रयास है कि हम नम्बर एक पर पहुंचें। आप इन्तजार करिये वह दिन हम सब देखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

***डॉ सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त करूंगा अभी पंथ निर्पेक्ष शब्द आया है। इस देश में किसी एक शब्द ने अगर इस देश का बेड़ा गर्क किया है, सबसे बड़ा नुकसान किया है तो वह धर्म निर्पेक्षता ने यही सही शब्द था पंथ निर्पेक्षता। सेक्युलर शब्द का भी अर्थ पंथ निर्पेक्षता होता है। दुनिया भर के जिन संविधानों ने अपने मार्गदर्शक के रूप में इस शब्द को लिया है, हमने भी लिया है तो इसके पीछे की परिकल्पना यही थी कि राज्य किसी पंथ का पोषण नहीं करेगा। राज्य किसी पंथ के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। हम धर्म निर्पेक्ष कैसे हो सकते हैं ? मैं राज्य सरकार का मंत्री हूं, बेसिक शिक्षा मंत्री हूं, मेरा धर्म है बेसिक शिक्षा की व्यवस्था को उन्नत बनाना। मैं इस धर्म को कैसे छोड़ सकता हूं।

मा0 अध्यक्ष जी, आप मा0 अध्यक्ष हैं, आपका धर्म है इस सभा का समुचित संचालन करना। आप इस धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। कितनी बातें विद्वानों ने कही हैं। जिस दिन कोई राज्य धर्म निर्पेक्ष हो जायेगा, वह राज्य अनैतिक हो जायेगा, अराजक हो जायेगा, वहां अव्यवस्था फैल जायेगी, इसलिए पंथ निर्पेक्षता की बात कही गयी है। हम सच्चे अर्थों में उस पंथ निर्पेक्षता का संवर्धन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास करेंगे और जब दूसरी बार चुनकर आये तो उन्होंने कहा कि हम सबका विश्वास भी जीतेंगे, इसलिए तीन तलाक जैसा कष्ट झेल रही जो हमारी अल्पसंख्यक बहनें थीं, जिनका जीवन नर्क बना हुआ था, उस पर प्रयास किया। हम जब पंथनिरपेक्षता कहते हैं तो इसका मतलब होता है तुष्टीकरण सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। विपक्षी साथियों ने तो धर्म निर्पेक्षता के नाम पर देश के बहुसंख्यक समुदाय का हमेशा तिरस्कार किया, अपमान किया,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी परम्पाओं, उनके त्योहारों पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाये, एक समुदाय विशेष का तुष्टीकरण किया, हम यह नहीं कर रहे हैं। हम सच्चे अर्थों में पंथ निर्पेक्ष भारत की स्थापना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस देश में महाकुम्भ भी शांति से होता है, कांवड़ यात्रा भी योगी सरकार के नेतृत्व में शांति से होती है, मथुरा की, बरसाने की होली भी शांति से होती है और अयोध्या की दीपावली भी होती है, उतने ही शांतिपूर्ण तरीके से मोहर्रम भी मनाया जाता है। संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात कही गयी है। इसकी चर्चा इन्होंने क्यों नहीं की ? मैं जानता था कि यह चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दल में आंतरिक लोकतंत्र है, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई गरीब, किसान, मजदूर का बेटा हो सकता है। हमारी पार्टी में एक चाय बेचने वाला मुख्य मंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन इनके दल में यह संभव नहीं है, इसलिए यह अपने दल में लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं। इनके लोकतंत्र की बातें खोखली हैं। सच्चे अर्थों में इस देश के उभरते हुए लोकतंत्र को मरने से बचाया तो वह भारतीय जनता पार्टी ने बचाया। अध्यक्ष जी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। जब हम दलितों के अधिकारों का संरक्षण करते हैं। आप कल्पना करिये आजादी के 70 साल बाद प्रदेश में कुछ ऐसे भी वनटांगिया और मुसहरों के गांव हैं। वोटर लिस्ट में उनका नाम तक नहीं था। उनको राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं था इतने वर्ष क्यों लग गए इनके जैसे गरीबों के मसीहा होते हुए इतने वर्ष क्यों लग गए।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिए।

***डॉ सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

सामाजिक न्याय की स्थापना आर्थिक न्याय की स्थापना सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रयास हम कर रहे हैं। उद्देशिका में सबकी स्वतंत्रता की बात कही गयी है उद्देशिका में उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है, हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार के संरक्षण में इस देश के सभी सम्प्रदायों, पंथों, मतों के लोग निर्द्वन्द भाव से अपनी-अपनी उपासना कर रहे हैं, उद्देशिका में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री सुखदेव राजभर जी को बुला लिया है। अब आप बैठ जाएं।

***डॉ सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

हमारी सरकारों ने सबको रोजगार देने के लिए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैण्ड अप इंडिया के तहत सबको रोजगार, सबको अवसर की समानता की बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कही है। मैं एक वाक्य में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, उद्देशिका में देश की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने के लिए कहा गया है।

***श्री सुखदेव राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी आपकी पीठ से पांच बार निर्देश हुआ है लेकिन माननीय मंत्री जी आपके निर्देश को नहीं मान रहे।

***डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-**

अध्यक्ष जी आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री सुखदेव राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं रखूंगा सुषमा जी इस पर अपनी बात रखेंगी मैं केवल दो मिनट में अपनी बात रखूंगा। आज 70 साल हो गया है संविधान को राष्ट्र के नाम समर्पित करने और देश को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम समर्पित करने के लगभग 70 साल हो गए हैं। इस 70 साल में आज चिन्तन करने का विषय था लेकिन यहां पर बहुत कुछ विकास, उपलब्धियां शौचालय से लेकर सचिवालय तक की चर्चा हो गयी। लेकिन आज चिन्तन का विषय था जो बहुत अच्छा था जिस पर चर्चा कराने का आपने विषय लाया आज मैं केवल इतना ही कहूंगा कि संविधान में तन महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं कार्यपालिका, विधायिका न्यायपालिका। आज विधायिका का मैं सदस्य हूं यहां पर जितने भी विधायिका के सदस्य बैठे हैं विधायिका जितनी 70 साल में कमजोर हुई है उतनी कोई संवैधानिक संस्था कमजोर नहीं हुई है।

आज विधायिका असहाय हो गयी है जहां संविधान में सीमाएं बनी हैं कि तीनों संस्थाओं का कार्य क्षेत्र अलग-अलग होगा चेक एण्ड बैलेंश की पालिसी बनी हुई है, आज विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो रोजाना हमला हो रहा है। विधायकों पर हमला हो रहा है, सांसदों पर हमला हो रहा है, आज विधायिका के सदस्य इस मंडप के सदस्य हंसी के पात्र बने हुए हैं। बसों में बैठने के बाद अपने को विधायक नहीं बता रहे हैं। ऐसे दबे हुए हैं लोकतंत्र में विधायिका का इतना कमजोर हो जाना आज विधायकों की पीड़ा है। नेता सदन बैठे हुए हैं मैं बहुत आदर करता हूं एक ईमानदार मुख्य मंत्री के रूप में जो उन्होंने प्रदर्शित किया है लेकिन आज माननीय नेता सदन जी आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को समर्पित राष्ट्र का जो संविधान है जो दिया था यही बात बाबा साहब ने कही थी उन्होंने शंकाओं और अपेक्षाओं के वातावरण में दिया था कि कुछ शंकाएं हैं और कुछ अपेक्षाएं हैं, शंका यह है कि आज के दिन जिस संविधान को दे रहा हूं यहां पर राजनीतिक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एकता तो मिल गई, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार तो मिल गया लेकिन यहॉ पर आर्थिक और सामाजिक विषमता है और बाबा साहब ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि इसको शीघ्र नहीं लागू करेंगे तो लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा। यह बाबा साहब की अपेक्षाएं थीं आज उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप मैं इतना ही कहूंगा कि आज संविधान की सब दुहाई दे रहे हैं लेकिन तब कष्ट होता है जब कभी भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति बोलते हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। तब भारत के संविधान की आत्मा पर चोट पहुंचाई जाती है जो समीक्षा की चर्चा देश में होती है तो भारत के संविधान की आत्मा पर चोट पहुंचती है। उसकी प्रतियां जलाई जाती हैं आज हम लोगों को चिन्तन करना चाहिए लेकिन हम लोग नाली, खड़न्जा, चकरोड में उलझ गए लेकिन संविधान का जो मुख्य विषय था उसको अभी बड़े बड़े विद्वान लोग रखेंगे लेकिन मैं इतना अनुरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि संवैधानिक संस्थाओं में सबसे कमजोर विधायिका है जोकि संविधान की सबल संस्था है।

सबसे मजबूत संस्था, जो सबकी समीक्षायें करती है। आज मैं अंत में कहूंगा कि कार्यपालिका ने आज इतना कब्जा कर लिया है कि जब नौकरशाही लोकतंत्र पर हावी होती है तो लोकतंत्र धीरे-धीरे खत्म होता है, वह विदेशों में भी हुआ है। अगर नौकरशाही हावी होती है तो लोकतंत्र अपने आप खत्म हो जाता है, यह हमारे माननीय सदस्य खुलकर नहीं बोल पायें हैं। आज एक सदस्य अगर किसी बड़े अधिकारी से जनता की बात कह रहा है तो वह वायरल हो रहा है। इतनी ज्यादा नौकरशाही बढ़ गयी है और लोकतंत्र के सदस्य असहाय होकर बैठे हुए हैं, हम आज संविधान के 70 साल बाद बहस कर रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है, बड़ा अच्छा संविधान बना हुआ है, बड़ा अच्छा भारत देश बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, उच्च संस्था के मंडप में हम बैठे हुए हैं औ आपने दोनों सदनों को इस अवसर पर बुलाया है इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पर डिबेट करायें, क्योंकि आज विधायिका पर जो हस्तक्षेप हो रहा है विधायिका और कार्यपालिका तमाम हम पर हस्तक्षेप कर रहे हैं इस पर रोक लगायी जाये, अगर चेक बैलेंस की पॉलिसी है तो मैं अपके द्वारा कहूंगा कि आपके तमाम ऐसे निर्देश हैं जो आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और हमारे सदस्यों को सूचना तक नहीं दी गयी है, इनको बताया तक नहीं जा रहा है यहां विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था है जहां पर आपने नियमावली में व्यवस्था दी है। अगर इस व्यवस्था का प्रयोग किया जा रहा है तो अधिकारियों द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं इनकी सुनी नहीं जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि इस विधायिका को भी मजबूत करने की चिन्ता करने की जरूरत है। इतना सुन्दर संविधान, इतना बड़ा संविधान जोकि कितने अनुच्छेदों का, कितनी अनुसूचियों का बना हुआ है, एक दिन वह महत्वपूर्ण मंडप जहां पर इसकी चर्चा चल रही है यह मंडप के सदस्य या यह मंडप जब कमजोर हो जायेगा तो मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि यह विधायिका पर खतरा हो रहा है अगर नौकरशाही इसी तरह से हावी होती गयी तो लोकतंत्र का नुकसान होगा, इस पर आप चिन्ता करें इसीलिए मैं दो मिनट के लिए खड़ा हुआ

हूँ। अब आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से दो मिनट के लिए हमारी महिला सदस्य श्रीमती सुषमा पटेल जी को बोलने का मौका दिया जाये, क्योंकि वह अभी बोल नहीं पायी हैं।

***श्रीमती सुषमा पटेल-**

माननीय अध्यक्ष जी, हम महिलाओं को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, इनको बोलने का अवसर दिया जाये।

***श्रीमती सुषमा पटेल-**

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे संविधान दिवस के अवसर पर बोलने का मौका दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, इसको बनाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने और विशेष रूप से प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डा0 भीम राव अम्बेडकर जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाबा साहेब डा0 भीम राव अम्बेडकर जी ने न केवल समता मूलक समाज की स्थापना की बल्कि वह विभिन्न प्रकार के भेदभाव को संवैधानिक प्राविधानों के माध्यम से उनको समाप्त करने का प्राविधान भी किया है। मा0 अध्यक्ष जी, बाबा साहेब डा0 भीम राव अम्बेडकर जी ने संविधान निर्माण प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनकर देश को एक ऐसा संविधान दे दिया जिसमें व्यक्ति-व्यक्ति के बीच जाति-धर्म, मूल-वंश, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव खत्म कर दिया। ऐसे महापुरुष को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं । आज का दिन हम सभी के लिए बड़े ही गौरव का दिन है आज के ही दिन 26 नवम्बर, 1949 को हमारे देश की संविधान सभा में भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था अर्थात् हमारा संविधान इसी दिन से लागू हुआ था। हमारा वह संविधान जो इस देश के नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और न्याय की गारंटी देता है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होती है तथा वाक और अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है, हमारा वह संविधान जो व्यक्ति को मूल अधिकार अर्थात् फन्डामेन्टल राइट के माध्यम से उनके हितों की रक्षा करता है तो वहीं नीति-निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य का अन्तिम उद्देश्य व्यक्ति का कल्याण है अर्थात् राज्य की भूमिका इस देश में कल्याणकारी राज्य की होगी।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बढ़िया-बढ़िया सारी बातें अब आ गयी हैं अब आप समाप्त करिये।

***श्रीमती सुषमा पटेल-**

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान देश में संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए सभी कानूनों को पारित करने और लागू करने का अधिकार इस देश की संसद और विधान सभाओं को देता है, तो वहीं संविधान ने संरक्षक के रूप में एक स्वतंत्र न्यायपालिका तथा इसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शीर्ष पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करके एक बेहतरीन संतुलन बनाने का कार्य किया है। पूरे विश्व में हमारे संविधान की तरह इतना सुन्दर समन्वय कहीं देखने को नहीं मिलता है। यह हमारे भारत देश की विविधता का जीता जागता दस्तावेज है। हमारा संविधान, संविधान ही नहीं है बल्कि यह हम सभी भारतवासियों की भगवत गीता है और हमारा कुरान है। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी इस सभा मण्डप में एकत्रित हुये हैं। यह उसी संविधान की देन है जो देश के हर नागरिक को लोकतांत्रिक तरीके से चुनने और चुने जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मैं आज इस विशेष सत्र को आहूत किए जाने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं माननीय अध्यक्ष जी, आज संविधान को लागू हुये 70 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है। इस अवधि के दौरान हमने संविधान की मंशा को काफी बेहतरीन ढंग से लागू किया है लेकिन अभी भी हमें इस दिशा में लम्बी यात्रा करनी है। न्याय की अवधारणा इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान की उद्देशिका में जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई थी तो इसका अर्थ यही था कि हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जो सामाजिक रूप से समानता पर आधारित हो, आर्थिक गैर बराबरी ना हो तथा राजनीतिक व्यवस्था हर व्यक्ति के लिए खुली हो।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्या, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया है और आपकी पूरी बात भी आ चुकी है। कृपया अब आप समाप्त कीजिये। अभी दो और माननीय सदस्यों को बोलना है।

***श्रीमती सुषमा पटेल-**

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया हमें पांच मिनट का और समय दे दीजिए।

***श्री लाल जी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, महिला सदस्य बोल रही हैं और अच्छा बोल रही हैं। मेरा अनुरोध है कि अन्य माननीय सदस्यों का समय काटकर इन्हें दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी को ठीक पांच बजे बोलना है और अभी दो माननीय सदस्य और बोलेंगे। माननीय सदस्या, कृपया आप अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दीजिये।

***श्रीमती सुषमा पटेल-**

माननीय अध्यक्ष जी, न्याय का अर्थ यही था कि इस देश में हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिले तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। माननीय अध्यक्ष जी,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महिलाओं और बच्चियों के साथ अन्याय ना हो और 'एक देश, एक विधान' हो। समाज कानून और विधियों से संचालित हो ना कि 'मत्स्य न्याय' से कि जहां पर एक बड़ मछली छोटी मछली को मारकर खा जाये अर्थात् शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति के आधार पर कमजोर व्यक्ति पर शासन करे। समाज में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और वंचितों को उनका अधिकार मिले। भले ही इसके लिए सरकारों को कुछ विशेष प्राविधान ही क्यों ना करना पड़े। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम संविधान की अपेक्षाओं और वास्तविकताओं की तुलना करते हैं तो निश्चित ही हमें एक निराशा हाथ लगती है। आर्थिक बराबरी की बात तो छोड़ दीजिए, इस देश की बहुत बड़ी आबादी को दो वक्त की रोटी और रहने के लिए छत तक उपलब्ध नहीं हो पाई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्या, आपने बहुत अच्छा और सुन्दर बोला है। कृपया अब आप बैठिये। अब मैं माननीय पंकज सिंह जी को बुला रहा हूँ।

***श्री पंकज सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान दिवस के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं बहुत सारे लोगों की बातों को मैंने यहां पर सुना है। संविधान हमारे देश की लोगों की आकांक्षाओं और उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, वह संविधान एक पथ प्रदर्शक के रूप में हम सब लोगों के सामने है। देश किस दिशा में जाये और हम सब एक साथ मिलकर किस तरह लक्ष्य को प्राप्त करें यह संविधान के माध्यम से संभव हो सकता है। बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया था उसको 70 वर्ष पूरे हो गये हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मैं इस बात के लिए भी खुशी जाहिर करना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इस अवसर पर यह विशेष सत्र आहूत किया है और मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं।

लिबर्टी, फैटर्निटी और इक्वैलिटी की बात बाबा साहब ने की थी और सच में मैं यह कह सकता हूं कि संविधान के माध्यम से लोगों को अपनी बात व्यक्त करने का अवसर और सभी को अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक रखने का अवसर इस संविधान के माध्यम से हम सब लोगों को दिया गया है और यही सबसे बड़ी खूबी हमारे संविधान की है कि कोई भी किसी भी जाति, मजहब का क्यों न हो उसको हमारे देश में पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से रहने का, अपना जीवन जीने का, अपना विचार व्यक्त करने का अवसर सभी को देता है। वह चाहे कोई भी कहीं पर भी हो, वह किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, किसी भी जाति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या मजहब का हो सभी को एक बराबर शक्ति यह संविधान देता है यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। आज मैं इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि जैसे सरदार पटेल ने पूरे देश को एक करने का काम किया था। वैसे ही मैं कह सकता हूं कि उसको आगे बढ़ाते हुए डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इन सबको बांधकर एक दिशा में चलने का काम संविधान के माध्यम से दिया था। मैं सच में यह कहना चाहता हूं कि सभी को साथ लेकर, सभी का बराबर विकास हो, सभी को स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जीने का अवसर मिले इस सोच के साथ संविधान का निर्माण बाबा साहेब ने किया था। मैं कह सकता हूं कि आज पूरे तरीके से उसका पालन करते हुए और बाबा साहेब के उस सपने को, उस सोच को आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है और आज सबका साथ, सबका विकास की सोच लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जो आगे बढ़े थे आज उसको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। अभी मैं सुन रहा था अपने से पहले सभी वक्ताओं को सबने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी है और हमारी सरकार ने सबके लिए उज्ज्वला से लेकर, सबकी पढ़ाई-लिखाई, बेटियों के इम्पॉवरमेंट की बात इन सबको लेकर एक दूर की सोच के साथ तथा एक अच्छे विजन के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तभी इसको समझ लिया था इसीलिए यह विश्व का सबसे लम्बा संविधान बनाते हुए उन्होंने यह कहा था कि इसका पालन करने वाला कोई भी उसमें तो त्रुटि रह सकती है, लेकिन संविधान जिस तरीके से देखा गया है और जो समिति थी जिसने इसको तैयार करके देश को समर्पित किया है इसमें कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। इस बात की निश्चिंतता उन्होंने व्यक्त की थी और पूरे गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि सच में यह हमारा ऐसा संविधन है कि कोई भी इसमें अगर त्रृटि निकालने की बात करें तो वह त्रुटि नहीं निकाल सकता ऐसा संविधान बाबा साहब ने हम सब लोगों के सामने रखा है। मा0 अध्यक्ष जी, और ज्यादा कुछ न कहते हुए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

***डा0 तज़ीन फातमा-**

मान्यवर, आज इस संविधान दिवस के अवसर पर पहली बार इस सदन में बोलने के लिए मुझे मौका देने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं कि 4 नवम्बर को जब मैंने शपथ ली थी तो उसके बाद मुझे तोहफे के तौर पर एक ब्रीफकेस दिया गया था और उसके साथ ही साथ संविधान की एक प्रति भी दी गयी थी। मैं बहुत सम्मान के साथ यह कहना चाहती हूं कि संविधान की प्रति देने का क्या औचित्य है ? संविधान तो देश का बच्चा-बच्चा 70 साल से पढ़ ही रहा है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखें कि संविधान दिवस मनाने या गांधी जयंती के अवसर पर दो दिन का विशेष सत्र बुलाने से क्या हम जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर देंगे ?

इस वक्त हमें जमीनी हकीकतों को देखना है कि संविधान का पालन होता है या नहीं होता है या गांधी जी के आदर्शों का पालन होता है या नहीं होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस भारत की कल्पना की थी वह संविधान की प्रस्तावना में निहित है। हमारी प्रस्तावना का प्रारम्भ इन शब्दों से होता है। वी द पिपुल आफ इंडिया। यानी हम भारत के लोग। इन शब्दों में एक भावना निहित है उसमें हमारा प्रियेम्बल यह कहता है कि भारत एक सम्प्रभुता सम्पन्न धर्म निर्पेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हम लोग संविधान दिवस के अवसर पर एकत्रित हुये हैं और अभी-अभी हमारे एक मा0 सदस्य ने यह टिप्पणी की है कि हमें यह प्रियेम्बल में धर्म निर्पेक्षता शब्द पर एतराज है तो मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि यह संविधान का अपमान है। संविधान के प्रियेम्बल का अपमान है। संविधान निर्माताओं की भावना का अपमान है। हम यहां पर प्रियेम्बल पर टीका टिप्पणी करने के लिए या संविधान की आलोचना करने के लिए एकत्र नहीं हुए हैं बल्कि हम संविधान दिवस पर अपने संविधान को एक तरह से मानने और मनवाने के लिए एकत्रित हुये हैं। अभी 06 नवम्बर को प्रदूषण के संदर्भ में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह सरकारों से कहा था कि अगर आपको लोगों की परवाह नहीं है तो आपको सत्ता में बने रहने का भी अधिकार नहीं है। मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूं यानि रामपुर का प्रतिनिधित्व कर रही हूं वहां लगभग 06 महीने से जबसे लोक सभा का इलेक्शन समाजवादी पार्टी ने जीता है तबसे जुल्म और आतंक का एक तूफान बरपा है। लोगों को झूठे, फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। लोग आतंक के साये में जी रहे हैं। पुलिस जाती है रातों को दबिश देती है दरवाजे तोड़ती है और जो बीमार लोग हैं उन्हें दवा तक लेने का मौका नहीं दिया जाता है। सम्भवतः यह ज्यादातर बातें आपको समाचार पत्रों से और सोशल मीडिया के माध्यम से पता होंगी। लेकिन चूंकि मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूं इसलिए मेरा यह कर्तव्य बनता है कि वहां जो हालात ब्यूरोक्रेसी ने पैदा किये हैं उससे पूरे सदन को अवगत करा सकूं। ब्यूरोक्रेसी जो कुछ कर रही है जाहिर है ऐसा नहीं है कि सरकार उससे अवगत नहीं होगी। लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। मेरे अपने परिवार पर लगभग 125 मुकदमे लगाये गये हैं। मेरे पति पर 85 मुकदमे लगे हैं। मेरे बेटों पर मुकदमें लगाये हैं। मेरे ऊपर 8-10 मुकदमे लगाये गये हैं। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहती हूं कि मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हूं और इसीलिए पशुपालन मेरा शौक है। मेरी एक डेयरी है। मुझ पर भैंस चोरी का इल्जाम लगाया गया है। मैं यहां यह बताना चाहती हूं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में प्रोफेसर रही हूं। मैंने बी0ए0 और एम0ए0 के छात्र-छात्राओं को पढ़ाया है। क्या यह शिक्षक का अपमान नहीं है कि दो दिन पुलिस की गाड़ियां भर-भरकर मेरी डेयरी पर गयीं, भैंसों के फोटो खींचे गये और यह कहा गया कि चोरी की भैंसे यहां मौजूद है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप विषय पर आ जाइये।

***डा0 तज़ीन फातमा-**

जी, मुझसे यह कहा गया कि यहां पर चोरी की भैंसे हैं। मैंने कहा कि पुलिस वालों से कह दो कि स्टेट बैंक में देखें वहां लोन की फाइल है वहां जहां से मैंने भैंसे खरीदी हैं वहां हैं। क्या यह एक शिक्षक का अपमान नहीं है। यहां मैं यह भी कहना चाहती हूं कि क्या रामपुर हिन्दुस्तान के या उत्तर प्रदेश के नक्शे में नहीं है। रामपुर में जो जुल्म हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप संविधान पर आ जाइये। आप योग्य अध्यापक रही हैं।

***डा0 तज़ीन फातमा-**

महोदय, यह एक बहुत ही गलत परम्परा का प्रारम्भ है। मैं कहना चाहती हूं कि जिस ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल आज हमें अपमानित करने के लिए किया जा रहा है कल यही ब्यूरोक्रेसी आपको भी अपमानित कर सकती है। जब ब्यूरोक्रेसी जनप्रतिनिधियों पर इतनी हावी हो जायेगी तो फिर जनता की सर्वोच्चता समाप्त हो जायेगी और जनता की सर्वोच्चता समाप्त करने का मतलब यह है कि लोकतंत्र खत्म हो जायेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले गांधी जयन्ती के अवसर पर ही दो दिन का विधान मण्डल का विशेष सत्र बुलाया गया।

मा0 अध्यक्ष जी गांधी जी के आदर्शों व गांधी जी की जो नीतियां थीं उनका अनुसरण करने के लिए कहा गया। लेकिन क्या यही गांधीवाद है कि बेगुनाह लोगों को झूठे मुकदमें में फंसा दो और यह सारी तैयारी इसीलिए की गयी थी कि उप चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीट न मिल सके। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव में भी निष्पक्षता और नैतिकता होनी चाहिए। गांधी जी ने हमेशा ही नैतिक सिद्धांतों पर बल दिया था और हो सकता है कि अगर नैतिकता के आधार पर यह इलेक्शन लड़ा गया होता तो आज मैं यहां पर नहीं होती। लेकिन इलेक्शन में तमाम अनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले शाम को 20 गांवों के प्रधानों को उठा लिया गया और इलेक्शन की सुबह को हमारे एजेंटों को पुलिस उठा ले गयी। क्या यही नैतिकता है ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात हो गयी, हम एक और सदस्य को बुला लें।

***डा0 तज़ीन फातमा-**

मा0 अध्यक्ष जी, जौहर विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। डी0एम0 ने जौहर विश्वविद्यालय के गेट को तोड़ने का नोटिस दे दिया। जौहर विश्वविद्यालय में पुलिस उस वक्त तक रुकी रही जब तक की मा0 उच्च न्यायालय ने पुलिस को ऐसा करने से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रोक नहीं दिया। मैं यह कहना चाहती हूं कि जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना में हिन्दू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई सभी लोगों ने दिल खोलकर चन्दा दिया है और हिन्दुस्तान के सभी धर्मों के बच्चें वहां आकर पढ़ते हैं। जौहर विश्वविद्यालय के दरवाजे सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हुए हैं। मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करती हूं कि हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मा0 श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक मौके पर कहा था कि राजा को सदैव सर्वधर्म का पालन करना चाहिए लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारा राजा जो कि खुद एक बहुत धार्मिक व्यक्ति है उसने सर्वधर्म का पालन नहीं किया है, हमें इंसाफ नहीं मिला है, हमें इंसाफ नहीं मिला है।

***उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्रीमती नीलिमा कटियार)-**

मा0 अध्यक्ष जी, संविधान दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिवस पर माननीया राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर एवं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, बहुत-बहुत धन्यवाद। 26 नवम्बर, 1949 को हमारा संविधान अंगीकार हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में श्रद्धेय डॉ0 भीमराव राम जी अम्बेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में श्रद्धेय डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी की भूमिका एवं अतुलनीय योगदान के लिए संविधान समितियों से जुड़े महानुभावों के योगदान को लेकर आज गदगद हृदय से दुनिया की बड़ी लोकशाही कृतज्ञता ज्ञापित कर रही है, उत्साह और उल्लास गर्व के साथ अपने उन बड़ों का स्मरण कर रही है जिन्होंने और जिनकी मातृ भक्ति ने, देश भक्ति ने एवं भारत भक्ति ने सैकड़ों वर्षों की दासतां पराधीनता से जकड़े भारत को जब स्वतंत्र होगा तो कैसे चलेगा, कैसे रहेगा, कैसे बचेगा और कैसे बढ़ेगा। इसका मार्गदर्शन, दिशा संकेत न सिर्फ बल्कि इसके लिए समुचित प्रेरणा भी उपस्थित संविधान के रूप में हमें दी। हमारा संविधान न सिर्फ हमको एक साथ, एक दिशा में, एक समान अवसर उपस्थित होने को आदेशित-निर्देशित करता है बल्कि किसी देश का संविधान कितना जीवंत हो सकता है इसका भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। जहां संविधान की क्षमता देश में सभी को समान अवसर देने के कारण बढ़ती ही है। जैसे हम आज 70 वर्षों के बाद संविधान पर्व मना रहे हैं। अन्तिमकाल तक संविधान की अनिवार्यता, सम्मान बना रहे, इसके लिए भी संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था की है। समयकाल परिस्थितियों के अनुसार देश क आवश्यकतानुसार संविधान में संशोधन की व्यवस्था संविधान का लचीलापन संविधान की एक सबसे महत्वपूर्ण ताकत है। आवश्यकतानुसार संशोधनों ने संविधान के सुप्रवाह को अविरलता और स्वस्थ बनाये रखा है। लोकशाही लोक-कर्तव्य के बिना अधूरी है। कर्तव्यपरायणता के ऊंचे आदर्शों को स्थापित करते हुए नागरिकता वाले देश के नागरिकों के अधिकार भी व्यवस्थित और शोभित होते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संविधान दिवस को मनाना, उसको उत्सव के रूप में मनाना, संविधान के संदेशों, संकेतों एवं निर्देशों को राष्ट्र हित और विकसित देशों की श्रेणी के नागरिक गुणवत्ता वाला देश भी बनना आवश्यक है। 2015 में पेरिस में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और उसमें जो सतत् विकास के लक्ष्य तय किये गये और सम्पूर्ण मानवता को संरक्षित और सवंर्द्धित कैसे किया जाए, भारत में यह सुनिश्चितता एक व्यवस्थित व्यवस्था के साथ-साथ और नागरिक अधिकारों के साथ-साथ नागरिक कर्तव्यों की महत्ता को स्थापित किये बिना सहज नहीं होगा। आज अगर देश में 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है, उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है, यह परिस्थिति बनी है तो देश की व्यवस्था के साथ जब संविधान की मूल भावना को न सिर्फ अंगीकृत के कारण बल्कि पहली बार धरातल पर भी व्यवस्थित रूप से उतारने के कारण ही बनी है। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़ों की अपनी भाषा होती है और आंकड़े कह रहे हैं और तथ्य के साथ कह रहे हैं कि देश में जो 70 वर्षों में जो आमजन के लिए नहीं हुआ वह आज हो रहा है, बिना किसी जातिवाद के बिना किसी परिवारवाद और बिना किसी अवसरवाद औ बिना किसी भेदभाव के गरीबों के सिर पर पक्की छत देने की बात हुई है, गरीबों को पारदर्शी व्यवस्था से राशन देने की बात हुई है, आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य लाभ देने की बात हुई है, श्रमयोगी मानधन जैसी बात हुई है, किसान सम्मान निधि जैसी बात हुई है और तमाम ऐसी योजनाओं की बात हुई है। सरकार का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को सिद्ध करती हुई योजनाएं जिस दिशा की बात करती हैं वहीं बात हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था चलाने के लिए दृढ़ता से निर्देशित की। आज चाहे राज्य की मा0 योगी जी की सरकार हो, चाहे केन्द्र की मोदी जी सरकार हो, ये दोनों सरकारें संविधान की मूल भावना से ही सार्थक रूप से अभिप्रेरित होकर चल रही है। संविधान सभा के श्रद्धेय अध्यक्ष डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी को और संविधान प्रारूप समिति के सम्मानित अध्यक्ष डॉ0 बी0आर0 आम्बेडकर जी को नमन करते हुए मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा लाए गये इस धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, केवल एक मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

केवल एक मिनट में तो नहीं हो पाएगा। मा0 मुख्य मंत्री जी। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजे थपथपाईं)

***[05:03 बजे] मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हम सबके अनुरोध को स्वीकार करते हुए संविधान दिवस पर इस विशेष सत्र को आहूत करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस सत्र के नाम पर बनने जा रहे हैं। खासतौर पर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा आज पूर्वाह्न में समवेत् सदन में जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया, कई दशकों के बाद इतने शांतिपूर्ण तरीके से, इतनी सहजता और संसदीय मर्यादा की गरिमा के अनुरूप यहां पर सभी मा0 सदस्यों ने उस अभिभाषण को स्वयं में अंगीकार किया है। मैं अभिभाषण के लिए महामहिम राज्यपाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी समवेत् सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। (सदस्यों ने मेजे थपथपाईं)

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं यहां महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को सुन रहा था, उसके उपरान्त मेरे मन में यह बात आयी कि वास्तव में यह अपने आप में एक चमत्कार है कि सभी लोग बहुत धैर्य के साथ संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा को व्यक्त करते हुए दिखायी दे रहे थे। यह बहुत अभिनन्दनीय है, बहुत सराहनीय भी है। मुझे एक छोटी सी कथा याद आ रही है। एक गांव में एक बाबा भारती रहा करते थे। उनके पास सुलतान नाम का एक घोड़ा था। उन्होंने बचपन से उसे पाला था। उसे प्रशिक्षित भी किया था। उसके प्रति उनका बड़ा अनुराग भी था। उसकी ख्याति आस-पास के क्षेत्रों में बहुत फैल गयी थी। उस ख्याति को सुनकर एक बार उस क्षेत्र के एक दस्यु ने जब यह सुना तो वह बाबा भारती के आश्रम में गया। बाबा ने उसे देखा और पूछा कि कैसे आना हुआ ? उसने कहा कि सुना है आपके पास सुलतान नाम का बहुत अच्छा घोड़ा है, उन्होंने कहा कि हां है। उसने कहा कि मैं उसे देखना चाहता हूं। उसने देखा और देखने के बाद कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, क्या मैं इसे ले जा सकता हूं ? उन्होंने कहा कि नहीं, इसे मैंने अपने आश्रम में पाला है, मैंने इसकी देखभाल स्वयं की है, इसको प्रशिक्षित किया हूं, मैं जान दे सकता हूं नलेकिन इसे नहीं दूंगा। बाबा भारती की बात को सुनकर उसने कहा कि मैं एक बार इसे जरूर लूँगा। बाबा भारती इस बात को लेकर परेशान थे कि दस्यु इसको जरूर लेकर जायेगा, उनकी रातों की नींद हराम हो गयी थी। उनको उसकी सुरक्षा के लिए पहरा देना पड़ता था, लगातार जागते थे। दिन बीतते गए, मामला शांत हुआ और वह भी निश्चिन्त हो गए कि मेरा घोड़ा अब सुरक्षित है। लेकिन एक दिन अचानक उनको कहीं जाना था तो उन्होंने घोड़े सुलतान पर बैठ करके यात्रा करना तय किया। वह रास्ते में चल रहे थे, एक जगह से आवाज आयी, बड़ी कातर आवाज थी। कातर स्वर से जो आवाज आ रही थी, वह कह रहा था कि मुझे फलॉने जगह पहुंचा दो, मैं असहाय हूं, रात्रि हो जायेगी तो में जान को खतरा हो सकता है। उनके हृदय में दया उत्पन्न हो गयी, उन्होंने देखा और उसके नजदीक गए और पूछा कि क्या बात है? उसने कहा कि मुझे यहां से कुछ कोस दूर जाना है, अगर आप मुझे इस घोड़े पर बैठाकर लेकर चले जाते, क्योंकि मैं तो असहाय हूं, अपंग हूं, जा नहीं सकता हूँ। वे घोड़े से उतरे और उसे घोड़े पर बैठाया घोड़े की लगाम पकड़ करके बाबा भारती स्वयं चलने लग गए। कुछ दूरी पर चले फिर उन्होंने देखा कि घेड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति लगाम को अपने हाथों से खींच करके और घोड़े पर उन्होंने

एड़ लगाई और घोड़ा सरपट से दौड़ने लग गया। बाबा भारती को आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति अब तक असहाय पड़ा हुआ था वह व्यक्ति था मुझे धोखा दे दिया है। वास्तव में यह असहाय नहीं था, अपंग नहीं था यह मेरे साथ कोई धोखा करने वाला व्यक्ति है। तो चिल्लाए और कहा कि कौन हैं आप ? कहां जा रहे हैं इसको ले करके उसने कहा कि मैं वही दसयू हूं जो घोड़ा लेने के लिए आया था और इसे अब मैं दूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं यह घोड़ा मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है तुम इसको ले लो, और मेरी बात सुन लो। वह वापस आया और कहा कि क्या बात है बताओ? उन्होंने कहा कि ले जाओ इसको, लेकिन किसी को मत बताना कि तुमने धोखे से यह घोड़ा मुझ से लिया है, क्योंकि अगर इसको तुम किसी को बताओगे और लोग सुनेंगे तो आने वाले समय में दीन-दुखियों की कोई सहायता नहीं करेगा। तुम लेकर चले जाओ। बाबा भारती निराश होकर के वापस आए और अपने आश्रम में निश्चिंत होकर सोए, क्योंकि जिस घोड़े के लिए उनकी नींद हराम थी, वह घोड़ा तो जा चुका था। उधर दस्यू भी इस बात को लेकर के परेशान था कि मैंने अपने जीवन में पहला व्यक्ति देखा है जिसका प्राणों से प्यारा घोड़ा चला गया, लेकिन वह मुझ से कहता कि किसी को बताना मत। क्या कारण है? और बाद में वह रात्रि के अंधेरे में वापस जाता है और घोड़े को बांधकर के चुपचाप वापस चला जाता है। बाबा भारती जब सुबह भूले-भटके ऐसे अचानक उनको याद आई आश्रम में टहल रहे थे तब तक घोड़े ने देखा कि मालिक टहल रहा है तो हिनहिनाया, उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनका घोड़ा उनके अस्तबल में बंधा हुआ है। यह कथा अपने आप में बहुत कुछ कह देती है कि हर व्यक्ति अपनी-अपनी भूमिका इस कथा के माध्यम से ढूढ सकता है और इस कथा के माध्यम से अपनी-अपनी पात्रता को भी तय कर सकता है।

आज देश का संविधान दिवस है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के स्मारक के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर 2015 में इस बात का उल्लेख किया था कि हम सभी दिवस मानते हैं लेकिन संविधान सभा ने जिस तिथि को संविधान को अंगीकार किया था उस दिवस को हम नहीं मना पाते है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज के रूप में संविधान हमारे पास है। अनेकता में एकता का संदेश देने वाला संविधान हमारे पास है, लेकिन इस संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को स्मरण करने के लिए संविधान दिवस है। इस संविधान के निर्माण में अपना योगदान देने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी और उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिनमें कि 55 अकेले उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश में 55 सदस्यों में से 5 सामान्य महिला सदस्य थी। इन सब के योगदान से जो संविधान बना उस संविधान के अंगीकार की तिथि 26 नवम्बर को ही हम संविधान दिवस के रूप में मना सकें। इस दृष्टि से यह विशेष सत्र आज यहां पर आहूत किया गया है। महामहिम राज्यपाल ने इस सदन को संबोधित किया है और अपना अभिभाषण दिया, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और विशेष रूप से इस पीठ के प्रति भी आभारी हूं जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके आज उत्तर प्रदेश विधान

मण्डल के नाम से इन सभी रिकॉर्ड के आंकड़ों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। मैं इन सभी 14 मा0 सदस्यों को धन्यवाद दूंगा। मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने यहॉ पर प्रस्ताव रखा था और श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस सदन में इसका समर्थन किया है। बाकी मा0 सदस्यों ने इसका अनुमोदन किया। नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता अपना दल और इस सदन की तीन मा0 महिला सदस्यों ने भी इस चर्चा में भाग लेकर इसे और भी रोचक बनाया है। यह एक अच्छा प्रयास है कि सदन ने अपने परम्परागत कार्यों से हटकर, जिस संविधान के बल पर हम सब अलग-अलग पृष्ठभूमि के होने के बावजूद इस सदन में आए हैं, उस संविधान की उद्देशिका और उस संविधान में निहित नागरिकों के मूल कर्तव्य, इन मुद्दों पर इसके लिए आहूत इस विशेष सत्र में चर्चा की है। साथ ही साथ इससे पहले 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को लगातार 36 घण्टे तक सस्टेनेबुल डेवलपमेण्ट गोल्स पर पूज्य बापू की 150वीं जयन्ती के अवसर पर विधान मण्डल की विशेष कार्यवाही देश और दुनिया के लिए आश्चर्य और कौतूहल का विषय थी। इसलिए थी क्योंकि तलवार सज्जनों के हाथों में होगी तो सबको सुरक्षा देगी, दुर्जनों के हाथों में होगी तो लूटपाट ही करेगी और यह साबित हुआ है कि आज सत्ता लोक कल्याण के लिए समर्पित है, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित है।

आज सरकार गरीबी के मुद्दे पर, भुखमरी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, उत्तम शिक्षा के मुद्दे पर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के मुद्दे पर, अच्छे पर्यावरण के मुद्दे पर और विकास के समग्र स्वरूप को ध्यान रख करके इस प्रकार की चर्चा को आगे बढ़ा रही है। लेकिन यही सदन रहा है जिसकी चर्चा शुरू में संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने की है कि यहॉ पर माइक भी चलते थे और भी बहुत कुछ चलता था। आज अन्तर यही है कि केवल पात्र बदल जाने से व्यवस्थाएं अपने आप बदलती हुई दिखाई देती हैं और बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने यही कहा था कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। लेकिन केवल इतना भर कर देने से सब कुछ नहीं हो जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि संविधान किन लोगों के द्वारा लागू किया जा रहा है, लागू करने वालों की पात्रता क्या है? देश, काल और परिस्थिति इसी बात को ले करके है, पात्रता का निर्णय इसी बात को ले करके होता है और उस पात्रता का निर्णय इसी बात को लेकर के होता है और उस पात्रता का निर्णय यही सब तो कर रहा है कि आज इन मुद्दों पर चर्चा होती है। हम संविधान की उद्देशिका पर चर्चा कर रहे हैं, संविधान के मूल कर्तव्यों की बात भी कर रहे हैं। हम केवल अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों पर चर्चा कर रहे हैं। हम केवल एक जनप्रतिनिधि के अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो भुखमरी को सर्वदा समाप्त करने की बात कर रहे है। गरीबी को पूरी तरह समाप्त करने की बात कर रहे हैं। हम लोग बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। हम उसके लिए ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जब इन सब कार्यों को हम आगे बढ़ा रहे हैं,

इन पर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि इस सदन में जिन महापुरुषों ने इस संविधान की पूरी रचना में अपना योगदान दिया, जिन महापुरुषों के नाम पर हम सब, पूरा राष्ट्र कृतज्ञतापूर्वक उनके प्रति विनम्रता और श्रद्धा का भाव व्यक्त करता है। और जब उन सभी महापुरुषों का स्मरण आज सभी माननीय सदस्यों ने यहॉ पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से किया है तब इस देश के अन्दर उन महापुरुषों के नाम पर सर्वाधिक दिनों तक शासन करने वाली कांग्रेस इस सदन से आज भी नदारद है, पूरी तरह गायब है यानि कांग्रेस का सदन से गायब रहना पूज्य बापू की 150 वीं जयन्ती के अवसर पर इस सदन से गायब रहना सस्टेनेबुल डेवलपमेंट गोल्स पर 36 घंटे की चर्चा में भी उनके द्वारा भाग जाना और सदन का बहिष्कार करना और आज संविधान दिवस के अवसर पर विशेष सत्र के कार्यक्रम का भी बहिष्कार करना इस बात को साबित करता है कि इनके मन में न तो संविधान के प्रति सम्मान का भाव है और देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति भी इनके मन में कोई सम्मान का भाव नहीं है। इनके लिए सत्ता ही सब कुछ है। सत्ता देश की कीमत पर, सत्ता सुरक्षा की कीमत पर, सत्ता संविधान की कीमत पर और जब भी इन्हें अवसर मिला है इन्होंने वह करके दिखाया है आज फिर से इस सदन में उन लोगों की भूमिका इस रूप में सामने आई है।

महोदय, उद्देशिका में जो बातें सामने आई हैं उसमें बहुत स्पष्ट है। देश की संविधान की उद्देशिका जो प्रिअम्बल हैं उसके चार शब्द पूरे संविधान की आत्मा है। ये चार शब्द हैं न्याय, स्वंत्रता, समता और बंधुता। इन चार शब्दों पर स्थापित भारत के संविधान की उद्देशिका और इस उद्देशिका पर आधारित भारत का बना हुआ दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा संविधान है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सभी रूपों में स्वतंत्रता विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की और बंधुता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने वाले अर्थात् ये चार शब्द भारत के संविधान की आत्मा के रूप में जैसे चार दिशायें होती हैं। जैसे ब्रह्मा जी चतुर्भुज रूप में, पालक के रूप में, सृष्टा के रूप में जैसे उनकी मान्यता है। वही चार शब्द चार मुंह के रूप में देश के अन्दर चतुर्भुज के रूप में चार दिशाओं का प्रतिनिधित्व भी करते हुए दिखाई देते हैं और उस रूप में हम सबने अपने संविधान का अंगीकार किया। संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान किया और उन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सब पूरे दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ आज भी कार्य कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की कार्यवाही आगे बढ़ रही है और एक दिन का विशेष सत्र यहॉ पर आयोजित हुआ है इस दौरान देश के संसद का भी ज्वाइंट शेशन देश की राजधानी में आज आयोजित हुआ है। एक नई कार्य संस्कृति की देश के अन्दर उन्होंने शुरूआत की है जिनके लिए दल से महत्वपूर्ण देश है जिनके लिए सत्ता से महत्वपूर्ण संविधान है, जिनके लिए स्वार्थ नहीं राजनीति परमार्थ का मार्ग है, और जब राजनीति परमार्थ का माध्यम बनती है, तब कोई विधान मण्डल था कोई संसद इस प्रकार के मुद्दों को चर्चा का विषय बनाती हैं। आमजन से

जुड़े हुए मुद्दों को ले करके, हमने केन्द्र की सरकार के विगत पांच, साढे पांच वर्ष के कार्यकाल को देखा है। ढाई वर्ष का कार्यकाल प्रदेश के अन्दर हमारी सरकार को भी हुआ है। हम किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहते हैं लेकिन जिन्होंने परिवार को ही दल मान लिया हो वह हमें समाजवाद का उपदेश देते हैं। जिन्होंने व्यक्ति को ही दल मान लिया हो वह बहुजन की बात करते हैं। जातिवाद जिनकी रग-रग में भरा पड़ा है और उससे बाहर सोच ही नहीं सकते हैं वह हम पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने पिछले साढ़े पांच वर्ष में 10 करोड़ परिवारों को एक-एक शौचालय उपलब्ध कराया है। 4 करोड़ परिवारों को एक-एक आवास उपलब्ध कराया है। 4 करोड़ परिवारों को विद्युत के कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराये हैं। 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन पूरे देश के अन्दर उपलब्ध कराये है।। देश के अन्दर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपये की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करायी है। देश के अन्दर हमने जो सुविधायें केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उपलब्ध कराये हैं इसमें व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र भाषा किसी को नहीं देखा गया है यह तो सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं के साथ इन योजनाओं को लागू किया गया है। हमने उन संकीर्णताओं से ऊपर उठ कर काम किया है।

उत्तर प्रदेश के अन्दर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यही कार्य उत्तर प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने भी ढाई वर्ष में किया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री आवास योजना में 28 लाख से अधिक परिवारों को अब तक एक-एक आवास हमारी सरकार उपलब्ध करा चुकी है। 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक-एक शौचालय उपलब्ध करा चुकी है। 1 करोड़ 45 लाख लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करा चुकी है। 1 करोड़ 16 लाख लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा चुकी है। 6 करोड़ 56 लाख लोगों को आयुष्मान भारत में या मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना में 5-5 लाख रूपये की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रही है। 3 करोड़ 55 लाख परिवारों को अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी में राशन की सुविधा 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रूपये किलो चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। हमने किसी की जाति नहीं देखी, किसी का क्षेत्र नहीं देखा, किसी का मत और मजहब नहीं देखा, पात्रता को ध्यान में रखकर कार्य किया। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवान के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य किया और उन योजनाओं को उस रूप में आगे बढ़ाया है। जिन लोगों का एजेण्डा सीमित था, व्यक्ति था, जाति था, मत और मजहब था उससे ऊपर यह लोग उससे उभर ही नहीं पाये। वह लोग आज उपदेश देते हैं और इन सब पर बड़े-बड़े उपदेश देने का कार्य करते हैं और इसलिए मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि विकास की इन योजनाओं को लेकर अगर हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश फेज लाइन सर्वे के बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को ओ0डी0एफ0 घोषित किया है, खुले में शौच से मुक्त किया है यह हमारे

आंकड़े स्वयं के नहीं हैं हमने कार्य किया है और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इण्डिया ने इस बात को प्रमाणित करके इस बात का सर्टिफिकेट दिया है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर गांव और शहर में हर जगह खुले में शौच से मुक्ति के लिए इतने परिवारों को टॉयलेट बनाकर दिये गये हैं। मुझे लगता है कि अगर लोगों ने गरीबों की पीड़ा को सुना होता तो उनको इस बात का अहसास भी होता कि वास्तव में उनकी पीड़ा क्या है? इन कार्यों को लोगों ने स्वीकार भी किया कि कार्य किया गया है। हर स्तर पर कार्य हुआ, हर स्तर पर कुछ-न-कुछ नया देने का प्रयास हुआ। यही स्थिति आवास के क्षेत्र में है, बिना भेद-भाव के हर गरीब को प्राप्त हुआ। यह सूची जिसको आधार बनाया गया, यह सूची बी0जे0पी0 की केन्द्र और प्रदेश में जब सरकार नहीं थी, तब यह सूची बनी थी। हमने तो उसी सूची को आधार ले करके कार्यवाही शुरू की, हमने यह भी नहीं कहा कि यह सूची किसने बनायी। हमने यह मान करके कहा कि जो भी सूची बनी है हम पहले उस सूची से पूरा करेंगे बाकी जो लोग बचेंगे उनको फिर इस सुविधा से आच्छादित करेंगे और हम लोगों ने इस पर बिना भेद-भाव के कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। आज योजनाओं का लाभ हरेक तबके को उसी रूप में देने का प्रयास हो रहा है इसलिए इस प्रकार के किसी अच्छे विषय को ले करके जब विशेष सत्र आहूत हो तो आरोप-प्रत्यारोप की बजाय उस समय सहजता के साथ उनको स्वीकार करना है। अच्छे कार्यों को स्वीकार करना जहां पर लगता है कि नहीं इसकी आवश्यकता है वहां के लिए एक रचनात्मक सुझाव भी अपना दे देना, यह अच्छे प्रतिपक्ष की भूमिका हो सकती है लेकिन हर कार्य को नकारात्मक भाव से देखना मुझे लगता है कि यह उनकी भूमिका को कम कर देता है और साथ-साथ आगे के रास्तों को बाधित करने की एक कुत्सित चेष्टा होती है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की नकारात्मकता को हर हाल में रोकने का प्रयास होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में प्रश्न खड़ा करने का भी कुछ लोगों ने प्रयास किया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, मैं समझ पा रहा हूं कि बहुत दूर मत जाईये हम आज 26 नवम्बर को यहां पर एकत्र हैं और पूरे देश के अन्दर पूरी दुनिया के अन्दर हर व्यक्ति इस बात को लेकर सशंकित था कि जब राम जन्म भूमि का फैसला होगा तब पता नहीं क्य होगा? लोग मुझसे पूछते थे कि क्या होगा मैं कहता था कि कुछ नहीं होने वाला, एकदम शान्ति रहेगी। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति शान्ति और सौहार्द का पक्षधर है और ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों में जब दंगों की श्रृंखला खड़ी होती थी तो दंगाई किसी मंत्री के घर में या तो प्रश्रय पाते थे या किसी मंत्री के द्वारा उन्हें शरण दे करके उकसाया जाता था लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो कानून का राज है। कानून का राज हर हाल में अपना काम करेगा और हम लोगों ने इस बात को 9 नवम्बर, 2019 को किया। महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, 500 वर्षों के विवाद का पटाक्षेप। 500 वर्षों से जिस विवाद को लटकाया जाता था, भटकाया जाता था, उलझाया जाता था, जिसकी आड़ में तमाम लोग तमाम प्रकार के अन्य कृत्य करते थे। उस मामले को किस-किस प्रकार से लोग बोलते थे कि फैसला ऐसा

आयेगा तो यह हो जायेगा, हम लोग तब भी कहते थे कि कुछ नहीं होगा और आज मैं फिर से इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर, उत्तर प्रदेश की जनता ने शान्ति और सौहार्द की जो एक नयी सीख दी है। मुझे लगता है कि हम सबके लिए यह एक अच्छी सीख है कि वास्तव में हम शान्ति, सौहार्द और विकास के पक्षधर हैं और पूरी तत्परता के साथ, यानि एक सामान्य मार-पीट की घटना भी घटित नहीं हुई, 9 और 10 नवम्बर को उत्तर प्रदेश के अन्दर। यह अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है और महोदय यह न्यायपालिका की ताकत और लोकतंत्र की ताकत का अहसास भी कराता है। सही मायने में लोकतंत्र की यही वास्तविक ताकत है, इस बात का अहसास 9 और 10 नवम्बर के अन्दर पूरे प्रदेश और पूरे देश के लोगों ने किया उत्साह भी मनाया शान्ति और सौहार्द भी बना रहा।

हर एक पक्ष ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया उसको स्वीकारा भी और हर हाल में उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। जब हम इसके पहले जायें, हम आज बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी को स्मरण कर रहे हैं। जब 26 जनवरी, 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था तो संविधान लागू होने के मात्र दो वर्ष के अन्दर ही देश के संविधान में एक नई आर्टिकल जोड़ दी गयी और उस आर्टिकल के अन्तर्गत कश्मीर को विशेष प्रावधान दे दिया गया। तब भी बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि धारा-370 अलगाववाद का कारण बनेगी। उन्होंने तब भी कहा था कि यह विषबेल है, इस पर मैं अपनी सहमति नहीं दे सकता। यह इस देश की एकता और अखंडता के लिये चैलेन्ज है और तब भी उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की थी। डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसके खिलाफ अभियान चलाया था, आन्दोलन चलाया था और कहा था कि एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, वह बलिदान हो गये। 1952 से लेकर 2019 तक इन 67 वर्षों में पूरे देश के अन्दर इसको हटाने की मांग तो होती थी लेकिन इस कार्य को करेगा कौन। 1952 में ही संविधान लागू होते समय जब सरदार पटेल जी से इस बारे में पूछा गया। उनके निजी सहायक थे वी0 शंकर, उन्होंने अपनी आटोबायोग्राफी में इस बात का उल्लेख किया है कि जब मैंने सरदार पटेल जी से इस बारे में पूछा कि आखिर धारा-370 जब देश की अखंडता के लिये चैलेन्ज पेश करेगी, अलगाववाद का कारण बनेगी, कश्मीर के विकास के लिए बाधक होगी तो फिर इसको हटाया क्यों नहीं जा रहा है। तब उन्होंने कहा था कि नेहरू की जिद के कारण यह हट नहीं पा रही है उनकी जिद के कारण यह आई है लेकिन याद करना यह धारा तभी हटेगी इसमें कुछ नहीं है लेकिन इस धारा को हटाने के लिये जिसके कलेजे में दम होगा, वही इसको हटा पायेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने साबित कर दिया है कि किसके कलेजे में दम है। आज जम्मू कश्मीर में पूरी शान्ति है और धारा 370 सदैव के लिये समाप्त हो चुकी है। लद्दाख एक नये भविष्य की ओर देख कर विकास की नई-नई योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिये एक नये पैकेज के साथ विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के

नागरिकों का शेष भारत के साथ अलग-अलग राज्यों पर जो अधिकार उन्हें प्राप्त है वही अधिकार शेष भारत के लोगों को भी जम्मू कशमीर के अन्दर अब प्राप्त हो गया है, यह एक ऐतिहासिक अवसर संविधान के 70वें वर्ष में इस देश के नागरिकों को मिला है। सरदार बल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने भारत के अलग-अलग रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया था उनकी उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, मैं इसके लिये उनका अभिनन्दन करता हूं

महोदय, प्रदेश के अन्दर उन एक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम इस दौरान हुआ है। देश में भी उस दिशा में एक नई स्थिति पैदा हुयी है। भारत कश्मीर के मुद्दे पर और श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर भी जो फैसला आया है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी, वैश्विक मंच पर भी भारत को दुनिया का समर्थन इन सब मुद्दों पर प्राप्त हुआ है और यह चीजें इस बात को साबित करती हैं कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा पहले से कई गुना ज्यादा बड़ी है, कई गुना बढ़ी है। भारत के प्रति लोगों की स्वीकृति बढ़ी है, दुनिया की बढ़ी है। आज जब भारत के प्रधानमंत्री जी, दुनिया के अन्दर कहीं जाते हैं तो भारत दुनिया का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है। अब भारत पिछलग्गू राष्ट्र नहीं है। आज भारत दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने वाला भारत है, एक नया भारत है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की उन्हीं परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए जो देश के संविधान निर्माताओं ने देखा था, उन संविधान निर्माताओं की भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए ही आज भारत की सरकार उस दिशा में प्रयास कर रही है, बेहतरीन रूप से भारत को आगे बढ़ा रही है। चाहे वह भारत को 5 ट्रिलियन यू0एस0 डालर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में किये जाने वाले प्रयास हों और चाहे उस तर्ज पर उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी के रूप में बदलने की प्रदेश सकार की कार्य-योजनायें हैं। यह सब एक दूसरे के साथ जुड़ करके हम लोग प्रत्येक नागरिक के जीवन के बिना भेदभाव के खुशहाली लाना चाहते हैं और दिशा में जो प्रयास प्रारम्भ हुए हैं, उन प्रयासों की ही यह श्रृंखला है कि आज हम सब यहां पर केवल अधिकारों की ही चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि अपने उन मूल कर्तव्यों की भी चर्चा करेंगे जो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य होने चाहिए। क्योंकि अधिकार और कर्तव्य अलग-अलग नहीं हो सकते। अधिकार विहीन कर्तव्य कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कर्तव्य विहीन अधिकार एक निरंकुश सत्ता को ही जन्म देते हैं, एक प्रकार की तानाशाही को जन्म देते हैं। जो लोग तानाशाही के समर्थक थे, वह सदन से बहिष्कार कर चुके हैं। लेकिन हम लोग लोकतंत्र के रक्षक हैं, लोकतंत्र के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, तो सबका साथ और सबके विकास की बात हमने की है। हमने जाति की बात नहीं की, क्षेत्र की बात नहीं की, भाषा की बात नहीं की, सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने की बात नहीं की। हमने सबकी सभी योजनाओ को एक साथ जोड़ करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की बात की और यही चर्चा, जो भारत का संविधान जिस कार्य के लिए हम सबसे अपेक्षा करता है, उसी कार्यक्रम को यू0एन0 ने सस्टेनेबल डेवलेपमेण्ट गोल्स

के रूप में दुनिया को दिया है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब यू0एन0 एसेम्बली को संबोधित किया था तो उस समय भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि यह केवल एक देश की समस्या नहीं है। आतंकवाद एक देश की समस्या नहीं है, भुखमरी को हम एक देश की समस्या नहीं मान सकते, बेकारी एक देश की समस्या नहीं हो सकती, गरीबी किसी एक देश की समस्या नहीं हो सकती। वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है इसलिए वैश्विक स्तर पर अलग-अलग देश अपने-अपने अन्दर तो इन समस्याओं के लिए कुछ कार्य-योजना बनाये ही, वैश्विक स्तर पर भी इसके लिए ठोस कार्य-योजना बने। इसके लिए यू0एन0 के मंच का प्रयोग पहली बार हुआ है और सस्टेनेबल डेवलपमेण्ट गोल्स को ले करके प्रधानमंत्री जी के आवाह्न पर यू0एन0 ने जो कार्य-योजना तैयार की, उस कार्य-योजना पर ही इस सदन ने 2 और 3 अक्टूबर को 36 घण्टे की एक अनवरत् चर्चा को आगे बढ़ा करके एक इतिहास उस समय भी रचने का कार्य किया। उसमें भी आपने देखा होगा, चर्चा का विषय कोई जाति नहीं थी, कोई क्षेत्र नहीं था, कोई भाषा नहीं थी। उस समय भी उस चर्चा का विषय जो यू0एन0 के 17 गोल्स थे, वे सभी स्पष्ट थे और यह 17 गोल्स थे। मैं पूछना चाहूंगा, अपने प्रतिपक्ष के उन सभी मित्रों से जिन लोगों ने यहां पर इस बात को कहा कि सरकार जातिवाद के आधार पर कार्य कर रही है, सरकार किसी अन्य योजना पर कार्य नहीं कर पा रही है।

मैं पूछना चाहता हूं, गरीबी का सर्वथा अंत हो इसमें कौन सा जातिवाद है, कौन सा क्षेत्रवाद है, कौन सा भाषावाद है, अगर जीरो हंगर की बात करते हैं, शून्य भुखमरी की बात करते हैं, भुखमरी का सर्वथा अन्त होना चाहिए, अगर हम खाद्य की बात करते हैं, खाद्य, सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना, स्वास्थ्यप्रद कृषि को बढ़ावा देना, इन सब कार्यों पर सरकार कार्य कर रही है तो इसमें कहां से जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब की बात आती है, यह तो सबके लिये है। उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की बात करती है यह सरकार हम मेडिकल कालेजेज बना रहे हैं, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज दे रहे हैं। एम्स का निर्माण हो रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास प्रारम्भ हुए हैं। कहां से जाति की बात आती है कहां क्षेत्र और कहां भाषा है। यह स्थिति क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी है, गुणवत्तायुक्त पूर्ण शिक्षा और इस शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा किये जा रहे प्रयास, बेसिक शिक्षा परिषद् में 1 लाख 58 हजार विद्यालय, वर्ष 2016 तक जिनकी स्थिति खण्डहर जैसी थी, आज जा करके देखिये। इसी सदन के जो सदस्यगण हैं, इन सबने भी एक-एक, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, दस-दस विद्यालय गोद लिये हैं, उनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं। 1 लाख 58 हजार में से 92 हजार ऐसे विद्यालय हैं जिनमें ऑपरेशन कायाकल्प के तहत फर्नीचर लगे हैं, फ्लोरिंग हुई, ट्वायलट बालक-बालिकाओं के लिए बने हैं, पेयजल की व्यवस्था हुई है, स्मार्ट क्लॉस बने हैं और छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। 92 हजार विद्यालय इस रूप में आगे बढ़े हैं जनसहयोग और जनसहभागिता के माध्यम से। माध्यमिक शिक्षा में नकलविहीन परीक्षा हो सकती है, प्रदेश के

अन्दर कुछ लोगों का नारा था कि सत्ता में आयेंगे नकल करायेंगे। हमने तो यह नहीं कहा, हम प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, एक तरफ नकल करायेंगे और दूसरी तरफ नौकरी के नाम पर पैसा लेंगे। हमने तो प्रदेश के अन्दर जितनी भर्तियां की हैं, अभी 50 हजार पुलिस की भर्ती निकली है, 75 हजार पुलिस की भर्ती कर चुके हैं, एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि किसी से पैसा लिया गया है, यह कोई नहीं कह सकता है, ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया है, व्यवस्थाएं उत्तम की गई हैं, पारदर्शी तरीके के साथ पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है औ जहां कहीं भी थोड़ी खामी देखने को मिली तो कठोरता के साथ निपटने की कार्रवाई भी की गई है। क्राइम और करेप्शन पर सरकार का जीरो टॉलरेंस पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई समझौता नहीं है। नये-नये विश्वविद्यालय दिये जा रहे हैं, सहारनपुर में नया विश्वविद्यालय दिया जा रहा है, अलीगढ़ में नया विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं, आजमगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय दे रहे हैं। तमाम निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। एम्स जैसी संस्थाएं आ रही हैं, 1947 से लेकर 2016 तक कुल 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज बनते हैं और 2016 से 2019 के बीच 15 मेडिकल कॉलेज बन करके तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, 14 के नये प्रस्ताव जा चुके हैं, यह है स्पीड, यह है कार्य करने की स्पीड। इसी प्रकार से लैंगिक समानता हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमने कभी इस बात को नहीं कहा, अगर कहीं पर किसी बालिका के साथ कभी दुष्कर्म हुआ है तो हमने कठोरता के साथ कार्रवाई की है, हमने उस बालिका की कभी खिल्ली नहीं उड़ाई है। हमारी मान्यता यह रही है, हम उस पृष्ठभूमि से हैं जहां पर यह मान्यता रही है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, हम इस बात को मानते हैं लेकिन यहीं पर पहले सरकारें थीं, किसी बेटी/बहन के साथ, कोई घटना हो जाती थी तो लोग खिल्ली उड़ाते थे, क्या-क्या नहीं बोलते थे, क्या-क्या नहीं करते थे ? हमने तो ये हरकत कभी नहीं किया।

''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान हो या फिर प्रदेश के अन्दर अभी हाल ही में लागू की गयी ''मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना''। बेटी के पैदा होने से लेकर बेटी के द्वारा डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स लेने तक धनराशि रु0 15000/- का पैकेज बेटी के नाम पर प्रदेश सरकार देगी। बेटी के शादी योग्य होने पर धनराशि रु0 51000/- प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जायेगा। 96 हजार बालिकाओं की शादी इस योजना के अंतर्गत अब तक संपन्न हुई है। हमारी सरकार ने मुखबिर की योजना प्रारम्भ की है। अगर कहीं पर कोई व्यक्ति भ्रूण हत्या करने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होनी है, इसमें भी प्रभावी ढंग से कार्यवाही को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है ? इसी प्रकार से प्रदेश के अन्दर स्वच्छ जल और स्वच्छता (क्लीन वाटर एण्ड सेल्टेशन) की दिशा में कार्य प्रारम्भ हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'प्रयागराज कुम्भ' है।

महोदय, मैं पिछली बार भी इस बात को कहा था कि वर्ष 2013 में 'महाकुम्भ' का आयोजन था। उस समय मारीशस के प्रधानमंत्री जी 'कुम्भ' में स्नान करने के लिए आये थे। गंगा जी में जब उन्होंने गन्दगी देखी तो दूर से ही प्रणाम करके वापस चले गये। वर्ष 2019 में 'कुम्भ' का आयोजन करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। इस बार कुम्भ के आयोजन में अविरल गंगा, निर्मल गंगा के दर्शन सबको हुए थे। मारीशस के प्रधानमंत्री जी भी आये थे और उनके साथ चार सौ लोगों का डेलीगेशन था। सभी ने गंगा जी में डुबकी लगायी और यहां से जाने के बाद धन्यवाद भी भेजे कि हमें बहुत अच्छा लगा कि जीवन का हमने एक पुण्य प्राप्त कर लिया। ये सरकारों की कार्य पद्धति है। छः वर्ष में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। हमारी सरकार ने वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2019 के 'कुम्भ' में स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मानक तय करके इसका एक उदाहरण पेश किया है। स्वच्छ जल और स्वच्छता का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसी उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय का गठन भी हमारी सरकार ने किया है। हर घर नल पहुंचाने की हमारी योजना है। बुन्देलखण्ड के लिए हम पैसा दे चुके हैं। लगभग नौ हजार करोड़ रुपये की योजना बुन्देलखण्ड के लिए स्वीकृत हो चुकी है। हम वहां का कार्य प्रारम्भ करने जा रहे हैं। विंध्य क्षेत्र में सोनभद्र और मिर्जापुर में हम पेयजल उपलब्ध कराने का डी0पी0आर0 तैयार कर चुके हैं, इस पर भी हम लोग बहुत शीघ्र पैसा देने जा रहे हैं। इंसेफलाइटिस, आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में भी हम लोग शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार की जो प्रतिबद्धता है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जल-जीवन मिशन उसी का हिस्सा है। इसके लिए जल संरक्षण करना, हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुरूप शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना, ये दोनों दिशा में सरकार ने प्रयास प्रारम्भ किये हैं और इस पर कार्य प्रारम्भ हुआ है। सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, ये दोनो प्रकार से है। यह वही प्रदेश है जहां दो चार जिलों में 22-23 घण्टे बिजली मिलती थी और शेष 70-72 जिले अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होते थे। आज प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बिजली आपूर्ति है। आज सुबह एक सज्जन कह रहे थे कि आपने एक भी यूनिट बिजली नहीं दी। मैंने कहा कि ये तो खूबी हमारी है कि बिना एक यूनिट बिजली पैदा किये 75 के 75 जनपदों में 23 करोड़ जनता को समान बिजली दे रहे हैं, तो आपने बिजली पैदा करके कौन सा खाक छान लिया कि लोगों को दो घण्टा भी बिजली नहीं दे पाते थे। हमने कितना पैदा किया, कितना नहीं, इसके बारे में हमें जहां बताना पड़ेगा, हम बताएंगे, लेकिन आपने ऐसा कौन सा काम किया जो इस बात को कह सकते हैं। प्रदेश के अन्दर एक करोड़ छियालिस लाख परिवारों को ''उज्ज्वला योजना'' में रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन मिलना भी इसी स्वच्छ ईंधन का ही आधार बना है।

आज आप जाइये मुरादाबाद में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अन्तर्गत जो उद्यमी वहां पर वर्षों से अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता के साथ जिन्होंने अपना उद्यम स्थापित किया था वे सभी उद्यमी आज इस बात को लेकर खुशहाल हैं कि उन्हें आज बिजली भी मिल

रही है और बिजली के साथ साथ उन सभी उद्यमियों को वहां पर पी0एन0जी0 भी मिल चुकी है। वह पी0एन0जी0 से युक्त हो रहे हैं। आज ही मैंने गाजियाबाद में एन0सी0आर0 में सुप्रीम कोर्ट के बाद कोयले से चलने वाले जो उद्योग थे, उन उद्योगों को पी0एन0जी0 या सी0एन0जी0 उपलब्ध कराने के लिये भारत के पेट्रोलियम मंत्री को मैंने स्वयं पत्र लिखा है। हमें विकास भी चाहिए लेकिन शुद्ध पर्यावरण भी चाहिए। अब हमें इसमें संतुलन बिठाना है। हम टैक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। विकास को बाधित भी नहीं होने देंगे लेकिन साथ-साथ टैक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम आम जन के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास भी करेंगे। पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे और पर्यावरण की उसी रक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार ने यह प्रयास प्रारम्भ किये हैं। इसी प्रकार से सरकार ने जो आगे सस्टेनेबुल डेवलेपमेंट गोल्स में जिनमें चर्चा की थी वह थी उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास। इस दिशा में भी सरकार ने अलग-अलग सैक्टर पॉलिसीज बनाई थीं। फोकस सेक्टर की पॉलिसीज बना करके वहां पर निवेश की व्यापक सम्भावनाओं को आगे बढ़ाया। प्रदेश के अन्दर बेहतरीन कानून व्यवस्था का परिणाम है ढाई वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए, और ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश इस दौरान प्रदेश के अन्दर हुआ है। लाखों नौजवानों के लिये नौकरी की सम्भावनाएं उससे बढ़ी हैं।

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कार्य योजना ने प्रदेश के एक्सपोर्ट को देश के अन्दर सर्वाधिक रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है और यह एक बेहतरीन दिशा में किया जाने वाला प्रयास है। चाहे वह उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये जो कार्य प्रदेश के अन्दर प्रारम्भ हैं। वर्षों से बंद उद्योग। रमाला चीनी मिल तीस वर्षों से किसान चिल्लाते थे इस चीनी मिल की क्षमता विस्तार होना चाहिए नई चीनी मिल लगनी चाहिए कोई नहीं कर पाया। मैं पिछले महीने ही रमाला में नई चीनी मिल का उद्घाटन करके आया हूं पिपराइच नई चीनी मिल का उद्घाटन करके आया हूं। मुण्डेरवा नई चीनी मिल का उद्घाटन करके आया हूं पिछली सरकारें बंद करती थीं, बेचती थीं हम उन्हें फिर से नये सिरे से चलाने की कार्यवाही कर रहे हैं। गोरखपुर में खाद कारखाना 1990 में बंद हो गया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अनुकम्पा से नया खाद कारखाना नई टैक्नोलॉजी के साथ लग रहा है आज वह खाद कारखाना नवम्बर, 2020 में बनकर तैयार हो जायेगा। किसानों को आसानी से सस्ते में खाद मिलेगी । उस दिशा में चलेगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये। इन्फ्रास्ट्रक्चर आज पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेजी से चल रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे की सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। एक महीने के अन्दर हमारा प्रयास होगा कि इसका शिलान्यास करके इस कार्य को भी हम आगे बढ़ायें। गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिये युद्ध स्तर पर उसके सर्वे के कार्य को आगे बढ़ाया गया है और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को फोर लेन के साथ जोड़ने के लिये हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर को फोर लेन के साथ जोड़ने, तहसील और विकास खंड को टू लेन के साथ जोड़ने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर

चल रही है। एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। पहले प्रदेश के अन्दर केवल दो एयरपोर्ट थे। आज 7 एयरपोर्ट प्रदेश के अन्दर फंग्शन में हैं और कनेक्टिविटी देश और दुनिया के 55 शहरों के साथ उत्तर प्रदेश की हुई है। बेहतरीन 11 एयरपोर्ट का काम चल रहा है। जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। यह नयी कार्य योजना अयोध्या में एक बड़ा एयरपोर्ट बनाने की कार्यवाही युद्धस्तर पर आगे बढ़ रही है। यह कार्य योजना प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ आगे बढ़ाने की कार्यवाही, असमानताओं में कमी, रास्तों के अन्दर और उनके बीच असमानताओं को कम करना, कश्मीर में धारा-370 को समाप्त करना उसी कड़ी का हिस्सा है। भेद-भाव नहीं होगा। अगर जम्मू कश्मीर का नागरिक उत्तर प्रदेश में कहीं आ जा सकता है, यहां जमीन खरीद सकता है तो उत्तर प्रदेश के नागरिक को भी यह अधिकार जम्मू कश्मीर में मिलना चाहिए (मेजों की थपथपाहट)।

माननीय अध्यक्ष जी, यह कार्य धारा-370 के समाप्त होने के साथ आगे बढ़ चुका है। असमानता किसी भी स्तर पर हो, हम लोग उसे हर स्तर पर ठीक करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। संवहनीय शहर और समुदाय भी उसी दिशा में किया गया प्रयास है। प्रदेश के अन्दर 60 शहर अमृत योजना के अन्तर्गत, 10 सिटी स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत, जो 07 हमारे नगर निगम बच गये थे, उन्हें राज्य सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में और सेफ सिटी के रूप में विकसित करने की कार्यवाही इसी योजना के अन्तर्गत हो रही है कि शहरी जीवन लोगों के रहने लायक रहे। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में इनका योगदान हो सके, इस दिशा में एक बेहतर प्रयास और वहां पर रहने वाले समुदायों को भी बेहतर सुविधायें मिल सकें, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो या फिर कूड़ा प्रबंधन की कार्यवाही हो, इन सबको इसके साथ जोड़ने की कार्यवाही की गयी है। इसी प्रकार से अन्य जो ही कार्य योजनायें बनायी गयी हैं यह सभी जो 17 गोल्स यू0एन0 ने तय किये थे, इन्हीं पर 2, 3 अक्टूबर को सदन में लगातार 36 घण्टे तक चर्चा हुयी थी। यह सरकार की कार्य योजना थी। यह प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखकर बनायी जाने वाली कार्य योजना थी। यहां पर केवल चर्चा नहीं होती है, चर्चा के बाद एक ठोस कार्य योजना बना करके उसे बेहतर तरीके से लागू करने की कार्यवाही होती है और उसे बेहतर तरीके से लागू करने फिर उसके परिणाम की समीक्षा भी करने की कार्य योजना का हिस्सा था। उस पर ही सरकार ने 2, 3 अक्टूबर को इसी सदन में चर्चा करायी थी और इसी कार्य योजना को आगे बढ़ाया था। आज भी जब हम इस विशेष सत्र में आये हैं तो उन सभी नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ-साथ उन कर्तव्यों के बारे में आभास कराने के लिए जो प्रत्येक नागरिक के लिए देश के अन्दर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक हैं और इस दिशा में आज जब महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के माध्यम से इन सब बातों की चर्चा सदन में की है तो हम सब अधिकारों और कर्तव्यों को एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखें इससे एक बेहतर व्यवस्था आगे बढ़ सकती है और उस बेहतर व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ही सरकार ने प्रयास प्रारम्भ किये हैं। मैं इस अवसर

पर यह बताना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम आज से प्रारम्भ हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य योजना पूरे देश के लिए दी है कि संविधान दिवस से ले करके समरसता दिवस पर बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक अलग-अलग कार्य योजनायें अलग-अलग स्तर पर तैयार होनी हैं। आज हम इस अवसर पर यहां उपस्थित हैं। आज प्रदेश के अन्दर इस सदन में हम लोग इस संकल्प के साथ बंधे हैं। अभिभाषण के बाद आप एक संकल्प भी यहां पर पूरे सदन के साथ करवायेंगे, लेकिन इसके साथ ही संविधान का संकल्प हर एक स्तर पर अलग-अलग विभागों के द्वारा भी पूरे प्रदेश के अन्दर आज लिया गया है कि संविधान के प्रति हम सब अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। संविधान के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, हमारे अपने मूल कर्तव्य क्या हैं ? देश के प्रतीकों के प्रति, देश के विधान के प्रति, देश के उन पवित्र प्रतीकों के प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए ? इन सभी को आगे बढ़ाने की कार्यवाही के साथ-साथ उन सभी मूल कर्तव्यों को ध्यान में रख करके आज जब इस सदन में हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं तो यह संकल्प, यह शपथ प्रदेश के अन्दर हर एक संस्थाओं में भी कॉलेजेज में, स्कूलों में और सरकारी कार्यालयों में, अन्य निगमों में, हर जगह इसका एक संकल्प भी दोहराने का कार्य हुआ है। 03 दिसम्बर को संविधान सभा के अध्यक्ष डा0 राजेन्द्र प्रसाद जी की जयन्ती का दिन है। इस दिन जितने भी बार एसोसिएशन्स हैं, अन्य ऐसी संस्थायें हैं, वहां पर भी विशेष कार्य योजना वहां के लिए पहले से ही बनाने की कार्य योजना न्याय विभाग के द्वारा बनायी गयी है। इस पर शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं में, देश के अन्दर अलग-अलग संस्थाओं में डिबेट हो।

देश के संविधान के प्रिअम्बल को ले करके फण्डामेण्टल ड्यूटीज को ले करके इन सभी को ले करके डिबेट को आगे बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की क्विज की प्रतियोगिताएं सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम इस पर चलने वाली डिबेट और अन्य तमाम प्रकार से खेल कूद की प्रतियोगिताओं को इसके साथ जोड़ कर प्रदेश के अन्दर अलग-अलग विभागों के द्वारा अलग-अलग कार्यक्रम करते हुए बाबासाहब डा0 भीम राव अम्बेडकर की जयन्ती के दिन, 14 अप्रैल के दिन इन सभी कार्यक्रमों को समारोह के रूप में हम लोग योजना को वहां तक लेकर जाएंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के अन्दर कई अन्य कार्यक्रम होंगे और खासतौर पर 12 से 16 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश के अन्दर देश का युवा महोत्सव भी होने जा रहा है जिसमें देश के हर राज्य से लगभग 6 हजार यूथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आएगा। एक अवसर होगा उत्तर प्रदेश के अन्दर जब इतने बड़े आयोजन को करने का श्रेय उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा, युवा महोत्सव उत्तर प्रदेश के अन्दर होने जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं विधान सभा में इसी सदन में देश के सभी पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन भी 16-17 जनवरी को इसी सदन में होने जा रहा है उसी का पार्ट होगा। यही नहीं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अन्दर दो डिफेंस प्रोडक्शन कारीडोर के निर्माण की घोषणा की थी उसमें से एक उत्तर प्रदेश में है। चार से नौ फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश की

राजधानी में डिफेंस एक्सपो का भी कार्यक्रम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है जो प्रदेश में डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए भी व्यापक सम्भावनाओं को आगे बढ़ाएगा और साथ-साथ प्रदेशवासियों को देश के अन्दर रक्षा क्षेत्र में भारत की आधुनिकता और प्रगति के बारे में जानकारी लेने का एक अवसर प्रदान करेगा। अनेक ऐसे कार्यक्रम इस दौरान प्रदेश के अन्दर चलने जा रहे हैं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती के कार्यक्रम में हों या फिर इस दौरान होने वाले अनेक ऐसे आयोजन जिन आयोजनों के साथ एक कार्य योजना यहां पर लागू होने जा रही है उस कार्य योजना को पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश सरकार लागू करने के लिए यहां पर संकल्पित है।

मैं सचमुच आभार व्यक्त करता हूं महामहिम राज्यपाल महोदय का जिन्होंने इस सदन के विशेष सत्र में आकर अपने अभिभाषण के माध्यम से इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। समवेत सदन की गरिमा को आगे बढ़ाया है। और समवेत् सदन की गरिमा को आगे बढ़ाकर उन्होंने इस बात को साबित किया कि वास्तव में इस सदन ने भी उसी गरिमापूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को यहॉ पर आगे बढ़ाया। मैं अभिनन्दन करूँगा सभी माननीय सदस्यों का दोनों सदनों के इतना शांतिपूर्ण ढंग से यहॉ पर पूरे सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न में सम्पन्न हुई थी और उस सदन के बाद जब यहॉ पर चर्चा प्रारम्भ हुई तो चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लेकर इस पूरी चर्चा की गरिमा को आगे बढ़ाया मैं जानता हूं बहुत सारे माननीय सदस्य थे जो लोग इसमें भाग लेना चाहते थे बोलने के इच्छुक थे अवसर भी मिलना चाहिए था लेकिन हम सब लोग जानते हैं सस्टेनेबुल डेवलपमेंट गोल्स पर होने वाली चर्चा पर पहले हम लोगों ने 48 घंटे का रखा हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हुए मित्रों ने इस बारे में उस समय कहा कि इस चर्चा को 48 घंटे नहीं 36 घण्टे करना चाहिए हमने उनके अनुसार इसे 36 घंटे में किया तो उसके बाद लोग वाक आउट कर गए। यह विशेष सत्र था एक विशेष प्रयोजन के लिए आहूत किया गया था और उस आहूत सत्र में सबने अपनी बातों को यहॉ पर रखा संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव के बाद श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने, नेता बहुजन समाज पार्टी श्री लाल जी वर्मा जी ने, नेता अपना दल श्री नील रतन पटेल 'नीलू' जी ने सिद्धार्थ नाथ सिंह जी ने, श्री संजय गर्ग जी ने, डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी जी ने, श्री सुखदेव राजभर जी ने, श्रीमती सुषमा पटेल जी ने, श्री पंकज सिंह जी ने, श्रीमती तंजीम फातिमा जी ने, श्रीमती नीलिमा कटियार जी ने इन सभी माननीय सदस्यों ने इस सदन में अपनी बात को रखा और स्वाभाविक रूप से उनके जो बहुमूल्य विचार थे।

उनके जो बहुमूल्य विचार थे, संविधान के प्रति, कर्तव्यों के प्रति और मूल कर्तव्यों के प्रति उन्होंने इस सदन में अपनी बात को रखा मैं उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया हृदय से धन्यवाद देता हूँ। (सत्ता पक्ष द्वारा मेजे थपथपायी गयीं) मैं साथ ही साथ पूरे सदन के सभी मानीय सदस्यों का जो प्रातःकाल से यहां पर बैठ कर इस चर्चा में भाग लेने के इच्छुक होने के बावजूद समय न मिलने के कारण अपने विचारों को रख तो नहीं पाये हैं लेकिन इस पूरी चर्चा को इन्होंने ध्यानपूर्वक सुना उसे अंगीकार किया उन सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अध्यक्ष जी, आपके प्रति आपने पूरी सहजता और सरलता के

साथ इस पूरे कार्यक्रम को जो अभी हम लोग जुलाई में रुटीन सत्र अपना चलाये थे और जुलाई के सत्र के बाद इस दौरान दो विशेष सत्र आपके मार्गदर्शन में आयोजित हुए हैं, एक गांधी जी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर जब हम लोगों ने 36 घन्टे के सदन को यहां पर सस्टेनेबिल डेवलेपमेंट गोल्स को लेकर आयोजित करके गोल्स कार्य योजना को आगे बढ़ाया और आज जो संविधान के प्रियम्बल ओर फन्डामेंटल ड्यूटीज को ले करके जो विशेष सत्र आहूत किया गया है आपके मार्गदर्शन में यह कार्य योजना बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है। सचमुच आज का दिन हम सबके लिए एक संकल्प का दिन है एक संकल्प का दिवस है। भारत के संविधान ने हम सबको जो गौरव दिया है कि अलग-अलग पृष्ठभूमि से होने के बावजूद हम सब एक साथ मिलकर न केवल स्वयं यह गौरव और गरिमा को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं बल्कि अपने स्वयं के प्रयास से समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में हम सबकी भी एक भूमिका हो सकती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना है उस परिकल्पना के साथ जुड़कर हम भी उसमें अपना योगान दे सकते हैं। इस दृष्टि से आज का यह विशेष सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है मैं इसके लिए आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम न केवल संविधान के प्रियम्बल को लेकर बल्कि फन्डामेंटल राइट एण्ड फन्डामेंटल ड्यूटीज को भी ध्यान मे रख कर निश्चित ही अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाहन करने में हम सफल होंगे। मैं इस बात को मान सकता हूँ कि विधायिका का स्तर अगर कम हुआ है तो इसके लिए विधायिका में बैठे हुए लोगों को स्वयं भी सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि वास्तव में इसका कारण क्या है? और अगर हम स्वयं अपने उन दायित्वों को समझ करके जो चर्चा का विषय हमने सदन को बनाना प्रारम्भ किया है, अगर यह चर्चा आगे बढ़ेगी कोई कारण नहीं कि विधायिका में बैठे हुए जितने भी माननीय सदस्यगण हैं इनके गौरव और गरिमा में आयु वृद्धि होगी इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, महामहिम राज्यपाल के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[06.13 बजे] श्री राज्यपाल द्वारा संविधान दिवस पर दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

***वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर आज जो धन्यवाद प्रस्ताव मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसमें जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, मा0 स्वामी प्रसाद मौर्या जी, मा0 श्री राम गोवन्द चौधरी जी, नेता प्रतिपक्ष, मा0 श्री लाल जी वर्मा जी, नेता बसपा, मा0 नील रतन पटेल 'नीलू' जी, नेता अपना दल, मा0 श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मा0 श्री संजय गर्ग जी, मा0 डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी जी, मा0 श्री सुखदेव राजभर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी, मा0 श्रीमती सुषमा पटेल जी, मा0 श्री पंकज सिंह जी, मा0 तजीन फातमा जी और मा0 श्रीमती नीलिमा कटियार जी इन सभी का मैं आभारी हूँ जिन्होंने अपने-अपने विचार इस पर व्यक्त किए और मैं विशेष रूप से इस प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

''प्रश्न यह है कि यह सदन मा0 श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को संविधान को अंगीकार किये जाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी उद्देशिका में अन्तर्निहित तत्वों एवं संवैधानिक मूल कर्तव्यों तथा संविधान के महान वास्तुकार डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर के सिद्धान्तों पर दिया है, यह सदन कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[06.15 बजे] सदन में सदस्यों द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों की शपथ

श्री अध्यक्ष-

आज अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में उद्देशिका का उल्लेख किया है और उस पर अपने अमूल्य विचार भी व्यक्त किये हैं। आज के लिए आहूत यह सदन शुद्ध रूप से संविधान के प्रवर्तन की तिथि को लेकर ही था तो हम एक बार उद्देशिका फिर दोहराये देते हैं।

> ''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी, पंथ निर्पेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता, सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रम) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

हम लोगों ने मूल कर्तव्यों को लेकर एक शपथ-पत्र तैयार किया है। हमारे सचिवालय की तरफ से सभी माननीय सदस्यों को यह मिल गया होगा, तो हम अपेक्षा करते हैं कि हम और आप साथ-साथ पढ़कर शपथ लेंगे।

शपथ

''हम विधान सभा, उ0प्र0 के सदस्य सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं कि भारत के संविधान में दिये गए मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे। संवैधानिक आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करेंगे। देश की सम्प्रभुता, अखण्डता की रक्षा करेंगे। महिलाओं का सम्मान करेंगे। हिंसा से दूर रहकर बन्धुता बढ़ायेंगे। सामाजिक संस्कृति का संवर्द्धन, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करेंगे।

व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधि में उत्कृष्टता बढ़ाएंगे। सबको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे एवं स्वतंत्रता आन्दोलन के आदर्शों को बढ़ावा देंगे।''

(सभी सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ शपथ ग्रहण की गई)

[06:18 बजे] बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर विधान मण्डल में लगवाने की मांग

***श्री लाल जी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दल के सदस्य श्री उमाशंकर सिंह जी ने नियम-300 में बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर विधान मण्डल भवन में लगाने की बात कही थी और आपने सिद्धान्त इसे स्वीकार कर लिया था। आज संविधान दिवस है और यदि आज यह एलान हो जाये कि बाबा साहब की तस्वीर विधान मण्डल भवन में लगाई जायेगी तो निश्चित तौर पर यह उनके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

श्री अध्यक्ष-

आपने आज भी अपने भाषण में इस बात को रखा है। उचित समय पर माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ बैठ लीजियेगा।

[06:20 बजे] उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-05 सन् 2019)+

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-05 सन् 2019) को सदन के पटल पर रखता हूं।

[06:21 बजे] उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-06 सन् 2019)+

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-06 सन् 2019) को सदन के पटल पर रखता हूं।

[06:21 बजे] सदन का अनिश्चित काल के लिये स्थगन का प्रस्ताव

वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

\+ छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 22 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 26 नवम्बर, 2019

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 71 विधान सभा (103)-22-07-2021-631 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।